क्रान्ति

मई 2013

- इस्लाम में जनसेवा का महत्व
  –मौलाना जलालुद्दीन उमरी
- ये बदलाव ले जाएंगे सुनिर्माण की ओर
  –रोशनलाल अग्रवाल
- यथार्थपूर्ण जीवन-स्पंदन
  –डॉ॰ मुहम्मद अहमद
- मात्र योग्यता नहीं सफलता
  –सीताराम गुप्ता

MILLENNIUM GIRLS SCHOOL

(Run & Managed by Human Welfare Foundation, New Delhi)



VISION :

Modern education for girls with moral and spirituall orientation, to educate them to shoulder the responsibilities entailed on them by the society. A practical, purpossive, meaningful & enjoyable environment to help the mind of educand for absolute realization of moral and intellectual values.

EXISTING FACILITIES :

- **Bus for day schoolars.**
- **Warden, maintained hostel for inmates.**
- **Spacious, maintained hostel for inmates.**
- **Wazoogaah, Separate Washing Place.**
- **Healthy Kitchen and Dining Area.**
- **Library & Computer Section.**

FUTURE PLANS :

Plans	Estimated Cost
Upgrading Library & Computer Section	2,50,000
Audio Visual Lab	1,00,000
Modern Well Equiped Kitchen & Eating Place	2,00,000
Playing & Drill Materials & Equipment	5,0000
Auditorium	5,00,000
One More Bus+One Van	10,00,00,000

Dr. A. A. Farooqui
Secretary

Abrar Ahmed
Chairman

Matloob Ahmad
Administrator

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

कान्ति

वर्ष 22 अंक 10 अप्रैल 2013

तुम अल्लाह के साथ इन्कार की नीति कैसे अपनाते हो, जबकि तुम निर्जीव थे, उसने तुम्हें जीवन प्रदान किया, फिर वही तुम्हारे प्राण ले लेगा, फिर वही तुम्हें पुनः जीवन प्रदान करेगा, फिर उसी की ओर तुम्हें पलट कर जाना है ।

–क़ुरआन

संपादक

डॉ० मुहम्मद अहमद

अपने विचार, लेख, रचनाएं भेजने एवं संपादकीय मामलों के लिए लिखें–

संपादक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

ई मेल editorkanti@yahoo.com

* * *

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए लिखें–

प्रबंधक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

* * *

फ़ोन संपादकीय एवं प्रबंधकीय

09818799223, 011-26949430

सहयोग राशि

एक प्रति रु० 20/- विशेषांक रु० 30/-

वार्षिक रु० 220/-, दो वर्ष 425/-

पांच वर्ष 1000/-, आजीवन रु० 5000/-

सऊदी अरब और खाड़ी के देशों से–100 रियाल

यूरोप व अमेरिका से–35 US डॉलर

वेब : **www.kanti.in**

चेक / ड्राफ्ट **'मासिक कान्ति'** के नाम से बनवाएं

आओ मन को स्वस्थ बनाएं

आओ मन को स्वस्थ बनाएं
आसपास जो हिंसा चोरी
झूठ, लूट व अनाचार है
सब पर हावी मन की सत्ता
मन का सारा व्यापार है
मन ही बंधन, मन ही मुक्ति
मन में उज्ज्वलता फैलाएं

निर्मलता, शुचिशील भावना
इस जीवन का मात्र ध्येय हो,
कटुता, लघुता त्याग करें हम
सभी का हित विश्वास श्रेय हो
सात्विकता में डूब सृजन का
उच्च भाव ही सदा जगाएं

भौतिकता में लिप्त चेतना
अहंकार नित नये जगाती,
आचरणों की छीन शुद्धता
क्लेश वासना में उलझाती
करें चेष्टा उन कर्मों की
'श्वेत शिखर' तक जो ले जाएं

खाते-बही छोड़ दुनिया के
याद रहे वापस जाना है,
हर कोई नितांत अकेला
सार शून्य जग का बाना है
ऐसा कुछ भी करें कभी ना
कि आगे जाकर पछताएं
आओ मन को स्वस्थ बनाएं ।

अभिराम सत्यज्ञ जयशील

हथुआ (बिहार)



कहां क्या है ?

आओ मन को स्वस्थ बनाएं (कविता)	–अभिराम सत्यज्ञ जयशील	3
कुरआन ज्योति		5
ज्ञान का महत्व (हदीस मंजरी)		6
महिलाओं की सुरक्षा का गंभीर प्रश्न (संपादकीय)		7
देश को राजनीतिक स्वतंत्रता ही मिली (आपके पत्र)		9
इस्लाम में जनसेवा का महत्व (प्रेरणा)	–मौलाना जलालुद्दीन उमरी	13
हज़रत फ़ातिमा (रज़ि॰) (नेकी के सिपाही)		17
मेरी मौत (कहानी)	–मासूम अंसारी	23
सूखी नदी का चिंतन (फेसबुक उवाच)	–डॉ॰ मुहम्मद अहमद	25
ये बदलाव ले जाएंगे सुनिर्माण की ओर (विशेष आयोजन)	–रोशन लाल अग्रवाल	26-27
''पहली दूब''–यथार्थपूर्ण जीवन स्पंदन (पुस्तक समीक्षा)	–डॉ॰ मुहम्मद अहमद	41
दस हाइकू	–डॉ॰ राम निवास मानव	42
चुनौतियों का पहाड़ (कविता)	–अमित कुमार लाडी	42
मात्र योग्यता नहीं सफलता (कैरियर)	–सीताराम गुप्ता	43
यूं चाहते हैं हम (कविता)	–डॉ॰ अपर्णा चतुर्वेदी प्रीता	45
स्वयं को प्रेरित करना सीखें (युवन)	–भाषणा बांसल	47
जीवन को उजियारा लिख (कविता)	–प्रो॰ शरद नारायण खरे	49
क्या होती है विश्व धरोहर (बालवीथी)	–विद्या प्रकाश	50

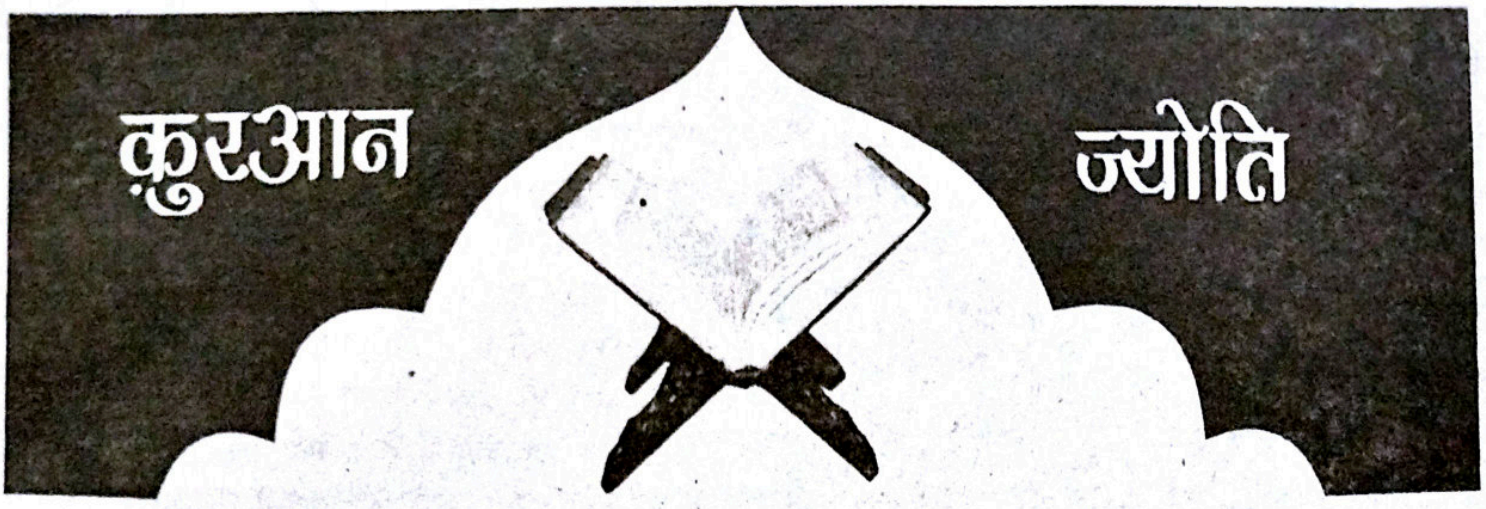

(25) अल्लाह इससे पहले बहुत से अवसरों पर तुम्हारी सहायता कर चुका है। अभी हुनैन की लड़ाई के दिन (उसकी मदद की शान तुम देख चुके हो)[23], उस दिन तुम्हें अपनी संख्या की अधिकता पर घमंड था, परन्तु वह तुम्हारे कुछ काम न आया और धरती अपने फैलाव के बाद भी तुम पर तंग हो गयी और तुम पीठ फेरकर भाग निकले। (26) फिर अल्लाह ने अपनी 'सकीनत' (प्रशांति) अपने रसूल पर और ईमान वालों पर उतारी और वे सेनाएं उतारीं जो तुमको नज़र न आती थीं और सत्य के इन्कारियों को सज़ा दी कि यही बदला है उन लोगों के लिए जो सत्य का इन्कार करें। (27) फिर (तुम यह भी देख चुके हो कि) इस तरह सज़ा देने के बाद अल्लाह जिसको चाहता है, तौबा की तौफ़ीक़ भी प्रदान करता है, अल्लाह क्षमा करने वाला और दया करने वाला है। **–क़ुरआन, 9 : 25-27**

---

23. जो लोग इस बात से डरते थे कि उत्तरदायित्व से बरी होने के ऐलान की भयानक नीति को व्यवहार में लाने से तमाम अरब के कोने-कोने में लड़ाई की आग भड़क उठेगी और उसका मुक़ाबला करना कठिन होगा, उनसे कहा जा रहा है कि इन आशंकाओं से क्यों डरे जाते हो, जो अल्लाह इससे अति भयानक ख़तरों के अवसरों पर तुम्हारी सहायता कर चुका है, वह अब भी तुम्हारी सहायता को मौजूद है। अगर यह काम तुम्हारी शक्ति पर आश्रित होता तो मक्का ही से आगे न बढ़ता, वरना बद्र में तो अवश्य ही समाप्त हो जाता, परन्तु उसके पीछे तो अल्लाह की शक्ति है और पिछले तजुर्बे तुम पर सिद्ध कर चुके हैं कि अल्लाह ही की शक्ति अब तक इसको आगे बढ़ाती रही है। इसलिए विश्वास रखो कि आज भी इसे आगे बढ़ाएगा।

हुनैन की लड़ाई, जिसका यहां उल्लेख हुआ है, शव्वाल सन् 08 हि० में इन आयतों के उतरने से केवल बारह-तेरह महीने पहले मक्का और तायफ़ के बीच हुनैन की घाटी में हुई थी। इस लड़ाई में मुसलमानों की ओर से 12 हज़ार की सेना थी जो इससे पहले कभी इस्लाम की किसी लड़ाई में इकट्ठी नहीं हुई थी और दूसरी ओर शत्रु उनसे बहुत कम थे, लेकिन इसके बाद भी हवाज़न क़बीले के तीरंदाज़ों ने उनका मुंह फेर दिया और इस्लामी सेना बुरी तरह तितर-बितर होकर पराजित हुई। उस समय केवल नबी (सल्ल०) और कुछ मुट्ठी-भर जांबाज़ सहाबा थे जिनके क़दम अपनी जगह जमे रहे और उन्हीं के जमे रहने का परिणाम था कि दोबारा सेना व्यवस्थित कर दी गयी और अंत में विजय मुसलमानों के हाथ लगी, वरना मक्का की विजय से जो कुछ प्राप्त किया गया था उससे बहुत ज़्यादा हुनैन में खो देना पड़ता।

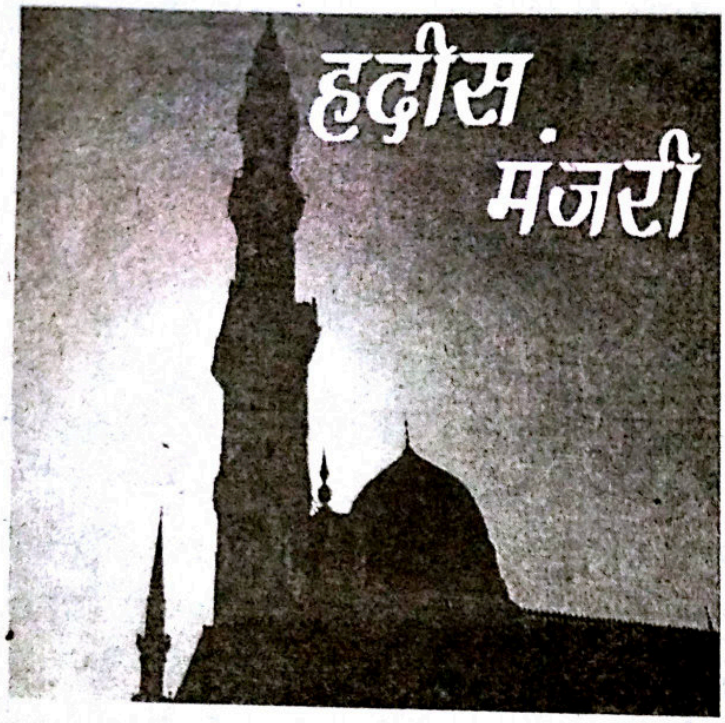

ज्ञान का महत्व

● हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "जब आदम का बेटा (मनुष्य) मर जाता है, तो उसके कर्म का सिलसिला समाप्त हो जाता है सिवाय तीन चीज़ों के : अनवरत दान, लाभप्रद ज्ञान और नेक संतान जो उसके लिए दुआ करे ।"

–मुस्लिम

● हज़रत अनस (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "जो व्यक्ति ज्ञान की चाह में निकला, तो वह वापस आने तक अल्लाह की राह में होता है ।"

–तिरमिज़ी । तिरमिज़ी ने कहा है कि यह हदीस 'हसन' है ।

● हज़रत अबू उमामह (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "ज्ञानवान को उपासक के मुक़ाबले में ऐसी श्रेष्ठता प्राप्त है जैसी श्रेष्ठता मुझे तुममें से किसी अदना व्यक्ति के मुक़ाबले में प्राप्त है ।" फिर अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "निश्चय ही अल्लाह और उसके फ़रिश्ते और आसमानों और ज़मीन वाले यहां तक कि चींटियां अपनी बिलों में और यहां तक कि मछलियां भी उन लोगों के लिए रहमत की दुआएं करती हैं जो लोगों को भलाई की शिक्षा देते हैं ।"

–तिरमिज़ी । तिरमिज़ी ने कहा कि यह हदीस 'हसन' है ।

● हज़रत अबू दरदा (रज़ि॰) से रिवायत है । वे कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) को यह कहते सुना : "जो व्यक्ति ज्ञान की खोज में कोई मार्ग अपनाएगा अल्लाह उसके लिए जन्नत का मार्ग सुगम कर देगा । और फ़रिश्ते ज्ञानार्थी को प्रसन्नता के लिए अपनी भुजाएं बिछाते हैं और ज्ञानी के लिए आकाश और धरती के रहने वाले यहां तक कि जल की मछलियां भी क्षमा की प्रार्थना करती हैं । और ज्ञानी की श्रेष्ठता उपासक की अपेक्षा ऐसी है जैसे चन्द्रमा की श्रेष्ठता शेष समस्त तारागण के मुक़ाबले में है । और निस्संदेह ज्ञानी नबियों के वारिस (उत्तराधिकारी) हैं । नबी मीरास में न दीनार छोड़ते हैं और न दिरहम, वे तो विरासत में बस ज्ञान छोड़ जाते हैं जो जिस किसी ने उसे प्राप्त किया उसने अत्यधिक हिस्सा प्राप्त किया ।"

–अबू दाऊद, तिरमिज़ी

● हज़रत इब्न मसऊद (रज़ि॰) से रिवायत है । वे कहते हैं कि रसूल (सल्ल॰) से कहा : "अल्लाह उस व्यक्ति को तरोताज़ा रखे जिसने मुझ से सुना और जैसा उसने सुना उसे दूसरों तक पहुंचाया क्योंकि प्राय: ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति तक बात पहुंचायी जाती है, वह सुनने वाले से अधिक सुरक्षित रखने वाले होते हैं ।"

–तिरमिज़ी । तिरमिज़ी ने कहा कि यह हदीस 'हसन सहीह' है ।

● हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "जिस व्यक्ति से कोई ज्ञान की बात पूछी जाए और वह उसे छिपा ले, तो क़ियामत के दिन उसे आग की लगाम (उसके मुंह में) लगायी जाएगी ।"

–अबू दाऊद, तिरमिज़ी । तिरमिज़ी ने कहा कि यह हदीस 'हसन' है ।

● हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "जिस व्यक्ति ने वह ज्ञान जिससे गौरव के स्वामी प्रतापवान अल्लाह कीक प्रसन्नता प्राप्त की जाती है केवल इसलिए प्राप्त किया कि उसके द्वारा सांसारिक सामग्री प्राप्त करे वह व्यक्ति क़ियामत के दिन जन्नत की सुगंध तक न पा सकेगा ।"

–अबू दाऊद

इस्लाम-परिचय : हिन्दी वेबसाइटें

www.islamdharma.org ,
www.islamic videos.com
www.islamicwebdunia.com
www.quranhindi.com

संपादकीय

महिलाओं की सुरक्षा का गंभीर प्रश्न

भारतीय महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा का गंभीर प्रश्न देश-समाज के सभी हितैषियों और शुभचिंतकों के मन-मस्तिष्क को लगातार झिंझोड़ रहा है । आख़िर ऐसा क्यों न हो ? महिला-प्रताड़ना की दिनानुदिन बढ़ती घटनाओं ने इनको आंतरिक रूप से क्षुब्ध और चिंतित कर डाला है । इसलिए भी महिला-सुरक्षा और सम्मान के रक्षार्थ उपाय और सुझाव पेश किये जा रहे हैं । इस सिलसिले में महिलाओं के मान-सम्मान और उनकी सुरक्षा के मद्देनज़र अति प्रभावकारी एवं उपयोगी सोलह सूत्रीय प्रस्ताव इस प्रकार हैं–1. शराबनोशी सभी बुराइयों और ख़ास तौर से महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जड़ है । इस पर पूरे देश में पूर्ण पाबन्दी लगायी जाए । 2. उसी विवाह को वैध माना जाए, जो प्रचलित ढंग से होते हैं । इसके अभाव में शारीरिक संबंध को अवैध एवं दंडनीय घोषित किया जाए । 3. शादी को आसान बनाया जाए । इसे समय पर करने के लिए उभारा जाए । दहेज की सभी शक्लों पर पाबंदी लगायी जाए । शादी में अनावश्यक ख़र्चों पर पाबंदी लगायी जाए और फ़िज़ूलख़र्ची करने वाले को सज़ा देने का क़ानून बनाया जाए । 4. सहशिक्षा पर रोक लगायी जाए और लड़कियों के लिए अलग शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा हो । देशराज आर्यमित्र जी की एक कविता की ये पंक्तियां इस चलन पर कटु कटाक्ष करती हैं–"जिस कॉलेज में लड़का पढ़ता/उसी में पढ़ती है लड़की/आकर्षण पैदा करने में/फ़ैशन की है बू भड़की...दुष्परिणामों से बचने को/ सह-शिक्षा बन्द करो...चरित्र का निर्माण करो ।"

5. शिक्षण-संस्थाओं में लड़कियों के लिए संजीदा और सभ्य ड्रेस प्रस्तावित करें । 6. समाज-सुधार और देशवासियों ख़ास तौर पर नयी पीढ़ी के दिलों में नैतिक मूल्यों को परवान चढ़ाने और अपराधों के ख़िलाफ़ बेदारी लाने के लिए धार्मिक संस्थाओं एवं धार्मिक नेताओं की सेवाएं हासिल की जाएं । 7. पुलिस-व्यवस्था में सुधार की सिफ़ारिशों को जल्द से जल्द लागू किया जाए और प्राथमिकी दर्ज न करने वाले पुलिसकर्मी को दंडित किया जाए । 8. अंधकारमय क्षेत्रों में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की जाए, सुनसान क्षेत्रों और सड़कों पर पुलिस चौकियां क़ायम की जाएं, सी॰सी॰टी॰वी॰ कैमरे लगाए जाएं । 9. डाक्टरों को हिदायत दी जाए कि वे पुलिस कार्रवाई की प्रतीक्षा किये बिना प्रभावितों की ओर ध्यान दें । 10. क़ानून को कठोर बनाया जाए और अदालती कार्यप्रणाली को आसान और तेज़ बनाया जाए । 11. सभी पुलिस थानों को यह विशेष निर्देश दिया जाए कि महिला-अपराध के केस तत्काल दर्ज करने में अधिकार-क्षेत्र का मामला रुकावट न बने । 12. सभी सरकारी गाड़ियों में रफ़्तार मापक यंत्र और जी॰पी॰एस॰ सिस्टम लगाया जाए । 13. महिलाओं के लिए रात्रि-परिवहन शुरू किया जाए, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला पुलिसकर्मी तैनात हों और वाहनों में सुरक्षा की दृष्टि से सभी आवश्यक यंत्र लगाए जाएं । 14. मीडिया के सभी रूपों में महिला- नग्नचित्र पर रोक लगायी जाए और ऐसा करने वालों को दंडित किया जाए । 15. सेवारत महिलाओं की ड्यूटी प्राथमिक रूप से दिन में लगायी जाए । और 16. व्यस्कता की आयु-सीमा घटाकर 16 वर्ष की जाए । जमाअत ने इन बातों के साथ ही जस्टिस वर्मा कमेटी को जो रिपोर्ट दी है, उसमें भयानक अपराधों में जिनमें बलात्कार भी शामिल है, अपराधी को सार्वजनिक रूप से मौत की सज़ा देने की मांग की है । यह तो हुई प्रावधानों और क़ानूनों की बात, लेकिन

जमाअत इस बात के लिए दशकों से लगातार प्रयास कर रही है कि लोगों की मानसिकता में सकारात्मक बदलाव आये और इन्सान अपराधों से बहुत दूर रहे । सोच में बदलाव एक बुनियादी ज़रूरत है, जिसके अभाव में क़ानून निष्प्रभावी रहते हैं । इस बात की भी ज़रूरत है कि क़ानून अपना काम ज़रूर करे । आज समाज के हर क्षेत्र में अनैतिकता का बोलबाला है । समाज में अनैतिकता और अनैतिक सामग्री हर जगह पसरी हुई है, जिसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वर्तमान क़ानून सही ढंग से लागू हो । सब अपना काम ठीक ढंग से करें यह कोई नहीं सोचता । अब परिवारों का वह स्वरूप नहीं रहा कि बड़े-बुज़ुर्गों का समादर हो, उनकी बात सुनी जाए, बल्कि सच्ची बात तो यह है कि उनका ही 'अस्तित्व' संकट में है । पहले जैसे शिक्षक अब रहे नहीं, जिनका समाज पर कुछ प्रभाव पड़े । अभिभावक उनकी समुचित क़द्र भी नहीं करते । ऐसा भी देखा गया है कि शिक्षकों से अभिभावक लड़ने को तैयार हो जाते हैं । टी०वी०, इंटरनेट, सिनेमा, अख़बार, प्रचार-सामग्री सभी जगह अनैतिकता की किताब खुली मिलेगी । शराबों की धड़ल्ले से खुली बिक्री हो रही है, जो रेप के कारणों में एक महत्वपूर्ण कारण है, उस पर भी कोई विचार नहीं करता । इसके अन्य महत्वपूर्ण कारकों में से एक शराब पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाना होगा । अत: सभी स्तर पर बदलाव की ज़रूरत है । नेता हों या अन्य लोग महिलाओं के प्रति उनके अनर्गल और असम्माननीय बयान भी बन्द होने चाहिए ।

आज हर किसी को नारी के सम्मान के लिए संकल्प की ज़रूरत है । घर-परिवार से लेकर स्कूल-कॉलेज तक में आध्यात्मिक, नैतिक शिक्षा का पाठ फिर से पढ़ाये जाने की ज़रूरत है । आज हर किसी को संकल्प लेने की भी ज़रूरत है ताकि फिर से किसी को न कहना पड़े कि बेटी की वजह से शर्मिन्दा है । यह भी संकल्प लेना होगा कि यदि वे अपने आस-पास जब भी कुछ ग़लत होता देखेंगे, तो चुप नहीं बैठेंगे । किसी को मुसीबत में देख, उसका साथ देने का हौसला रखना चाहिए । अपने घरों से शुरुआत करें और अपने घर की महिलाओं को स्वयं इज़्ज़त दें और अपने बच्चों को भी बचपन से लड़कियों की इज़्ज़त करना सिखाएं । हर माता-पिता को ज़िम्मेदारी लेनी होगी कि वे अपने बच्चों से वक़्त-वक़्त पर बात कर उनकी सोच को सही आकार दें ताकि वे किसी भी लड़की या महिला से बदतमीज़ी न करें । लड़कों की तरह ही अपनी बच्चियों को भी शिक्षा दें, उन्हें योग्य बनाएं । घर से लेकर बाहर तक उन्हें समानता का हक़ दें । हर स्तर पर कोशिश हो कि अनैतिक सामग्री को समाप्त किया जाए या उसे कम-से कम किया जाए । ऐसी सामग्री की पहुंच दुर्लभ बनायी जाए । सिनेमा, अख़बार, इंटरनेट, टी०वी० हर जगह एक मोरल कोड हो । हर स्तर पर यह भी प्रयास होना चाहिए कि महिलाओं को सशक्त बनाया जाए । शैक्षिक और आर्थिक रूप से जब महिलाएं उन्नत होंगी तो परिवार और समाज भी उन्नत होगा । इसके लिए पुरुष को स्त्री-विरोधी मानसिकता त्यागनी होगी । उन कल्याणकारी शिक्षाओं को अपनाना होगा, जो ईश्वर-प्रेषित हैं । इस सिलसिले में इस्लामी शिक्षाएं बड़ी कारगर हैं । इस्लाम स्त्री को भी मानवता का वैसा ही महत्वपूर्ण अंग मानता है जैसा पुरुष को । पवित्र क़ुरआन में है–"ऐ लोगो, अपने रब (पालनकर्ता प्रभु) से डरो, जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और उससे उसका जोड़ा बनाया और उन दोनों से बहुत-से मर्द और औरतें फैलायीं ।" इस्लाम की दृष्टि में दोनों समान हैं–"मैं तुममें से किसी का कर्म अकारथ करने वाला नहीं हूं, चाहे मर्द हो या औरत, तुम सब एक-दूसरे के सहजाति हो" (क़ुरआन; 3:195)। आइये एक बेहतर समाज बनाने के लिए क़दम बढ़ाएं । आइये इस दिया को हम बुझने न देने का प्रण लें । हम आशा करते हैं कि वह सुबह एक दिन ज़रूर आएगी जब नारी की करुण व्यथा-कथा का अन्त होगा ।

देश को राजनीतिक स्वतंत्रता ही मिली !

मासिक पत्रिका 'कान्ति' का फ़रवरी 2013 का अंक प्राप्त हुआ । आपकी पत्रिका का अध्ययन कर मैं दिन-प्रतिदिन अधिक प्रभावित होता जा रहा हूं । फ़रवरी 2013 के अंक में शीर्षक 'स्वतंत्रता-सपना और हक़ीक़त' आलेख लेखिका श्रीमती पुष्पा श्रीवास्तव का मैंने सरसरी अध्ययन किया । उपरोक्त आलेख में लेखिका ने स्वतंत्र भारत की सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक दयनीय दशा का उल्लेखनीय दृष्टिकोण का प्रसंग सहित सुचारू रूप से वर्णन किया है ।

वर्तमान में गत 26 जनवरी 2013 को गणतंत्र दिवस की 64वीं वर्षगांठ मनायी गयी । वास्तविकता में देखा जाए तो पाश्वात्य सभ्यता और संस्कृति जीवन के वातावरण में इतनी समावेश हो गयी है जिससे हमारा खान-पान, रहन-सहन, आचार-विचार में परिवर्तन हो गया है । प्रभाव यह पड़ा कि पुरातन भारतीय सभ्यता व संस्कृति प्रतिदिन नष्ट होती जा रही है ।

सहनशीलता का अभाव और क्रोध की भावना में वृद्धि होती जा रही है । अंग्रेज़ी भाषा संस्कृति के प्रभाव से ही टेलीफ़ोन कंप्यूटर, लैपटॉप आदि बढ़ता जा रहा है । न्यायपालिका के क्षेत्र में देखा जाए तो क़ानून व्यवस्था इतनी खोखली हो गयी जिससे बेगुनाह प्राणी को सच्चा न्याय नहीं मिल पा रहा है । गुनहगार प्राणी धन-बल, बाहु-बल, शक्ति-बल से हावी होते जा रहे हैं । इसका एक कारण भी आतंकवाद कहा जा सकता है । चुनाव प्रणाली भी निष्पक्ष नहीं है । ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ व योग्य व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता ।

प्रत्येक क्षेत्र में भयावह स्थिति बन गयी है । कोई भी प्राणी सुरक्षित नहीं है । अपराधीकरण व भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है । महंगाई का तांडव चारों तरफ़ मंडरा रहा है ।

साधारण व मध्यम वर्ग का व्यक्ति अपना जीवन सुचारू रूप से व्यतीत नहीं कर सकता । हत्या, बलात्कार के कारण नैतिकता का ह्रास होता जा रहा है ।

अंत में मेरा यही कहना है कि राजनीतिक स्वतंत्रता तो हासिल कर ली परन्तु 66 वर्ष से भी अधिक समय के बाद भी भारत को आर्थिक व सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई है ।

मैं लेखिका के विचारों का पूर्णतया समर्थक हूं ।

रामस्वरूप झैवर

9-10 शास्त्रीनगर-विस्तार, पो०-भीलवाड़ा (राज०)

उत्कृष्ट अंक

'कान्ति' नियमित रूप से निरन्तर मिल रही है । मार्च 2013 अंक प्राप्त हुआ, शुक्रिया । आपकी संपादकीय ने काफ़ी प्रभावित किया । लोगों ने अब सोचना शुरू कर दिया है, भ्रष्टाचार तो ख़ून में मिलकर रगों में बस चुका है, अभी काफ़ी समय लगेगा, ख़ैर ! अच्छी संपादकीय पढ़वाने के लिए धन्यवाद ।

अंक में शामिल आलेखों की बात करूं तो पं० दुर्गाशंकर सत्यार्थी ने अपने लेख में हिन्दू धर्म के विभिन्न धर्म ग्रंथों, वेदों आदि के बारे में अपने विचार प्रकट किये हैं । यह ज़रूरी नहीं कि सभी उनके इन विचारों से सहमत हों ।

डॉ० मुहम्मद अहमद का लेख 'बीमारियों की जननी है शराब' बढ़िया लेख है । इस लेख में शराब के बुरे प्रभावों का ज़िक्र अच्छे से किया गया है । ग़ौर हो कि टी०वी० पर शराब छुड़वाने का दावा कई कंपनियों वाले करते हैं व अपने-अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए तरह-तरह की झूठी कहानियां दिखाते रहते हैं ।

यह लेख पढ़कर मैं यह कहूंगा कि यदि कोई शराबी शराब छोड़ना चाहता है तो टी०वी० पर दिखाये जा रहे पाउडर आदि लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस डॉ० मुहम्मद अहमद के इस लेख को पढ़ लो, शराब पीने को दिल ही नहीं करेगा, शराब हमेशा-हमेशा के लिए छूट जाएगी ।

इस अंक के अंत में 'बालवीथी' के तहत बच्चों के लिए कुछ रचनाएं दी गयी हैं, बढ़िया प्रयास है । आजकल बच्चों के लिए पत्रिकाओं में से सामग्री ग़ायब हो रही है, 'कान्ति' ने एक पूरा पृष्ठ देकर नेक कार्य

किया है । आलराउंड अकादमी की ओर से उत्कृष्ट संपादन के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं ।

अमित कुमार लाडी
मुख्य संपादक 'आलराउंड' (मासिक)
आलराउंड अकादमी, डोडां स्ट्रीट, फ़रीदकोट-151203 (पंजाब)

बढ़ते वाहन बढ़ते ख़तरे

प्रारंभ में मनुष्य के आवागमन के साधन बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी आदि थे । अर्थात लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए इनका उपयोग करते थे तथा माल ढुलाई का काम भी इन्हीं से लिया जाता था । इसके बाद रिक्शा प्रचलन में आया । लेकिन फिर इसके बाद नये वैज्ञानिक युग के आते ही नये-नये द्रुतगामी यांत्रिक वाहनों का निर्माण हुआ । जैसे–मोटर साईकिल, स्कूटर, कार, ट्रक, बस, ट्रेन, हवाई जहाज़ आदि । यहां हम सिर्फ़ सड़क पर चलने वाले वाहनों के बारे में चर्चा करेंगे ।

प्रारंभ में तो जनता के आवागमन की सुविधा के लिए इन वाहनों का निर्माण हुआ । परंतु कुछ समय बाद वाहन रखना आवश्यकता नहीं, बल्कि स्टैटस सिम्बल बन गया जिससे वाहनों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई ।

हालांकि वाहन रखना आवश्यकता भी है, क्योंकि पहले जो दूरी आठ-दस दिन में तय होती थी, वह इन वाहनों के कारण अब कुछ घंटों में तय हो जाती है । लोगों के पास स्वयं का वाहन होने से आवश्यकता पड़ने पर दूसरों का मुंह नहीं ताकना पड़ता है और समय की भी बचत होती है ।

परंतु स्टैटस सिम्बल के चलते वाहनों की संख्या में जो बेतहाशा वृद्धि हुई है, उससे कई प्रकार की हानियां सामने आयी हैं ।

यांत्रिक वाहनों के संचालन में पेट्रोल एवं डीजल का उपयोग होता है । इससे वाहनों द्वारा ज़हरीली कार्बन गैस का उत्सर्जन होता है, जिससे हृदय रोग, चर्म रोग, दमा, तपेदिक़ आदि घातक बीमारियां फैल रही हैं ।

साथ ही इन वाहनों के कारण शोर भी उत्पन्न होता है, जिसके नतीजे में बहरापन, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा आदि परेशानियां बढ़ती जा रही हैं ।

इसके अलावा वाहनों की वृद्धि से सड़कों पर भीड़-भाड़ रहती है, जिससे अनेक दुर्घटनाएं घटित होती है । अनेक लोग मृत्यु का शिकार हो जाते हैं । कभी ख़बर आती है कि बस खाई में गिरी, कभी ख़बर आती है कि ट्रक ने कार या बाइक को टक्कर मारी और इतने लोग मारे गये तथा इतने लोग घायल हुए । कई लोग हमेशा के लिए विकलांग हो जाते हैं । कई बार ऐसा भीषण हादसा होता है, कि जीवन-भर भुलाये नहीं भूलता ।

कई बार मंगल, अमंगल में बदल जाता है । उदाहरण के लिए कई बार ख़बर आती है कि बारातियों से भरी बस हादसे का शिकार हो गयी, जिसमें कई लोग मारे गये । इस प्रकार शुभ अवसर, दुख की घड़ी में तब्दील हो जाता है । ऐसी ख़बरें आये दिन आती रहती हैं ।

सड़क दुर्घटनाओं को रोकना एक बड़ी चुनौती है । इसके लिए बढ़ते वाहनों की संख्या पर नियंत्रण पाना आवश्यक है तथा जो वाहन काफ़ी पुराने हो चुके हैं, उन्हें सड़कों पर से हटाना आवश्यक है ।

इसके अलावा जब-जब भी पेट्रोल व डीज़ल के दाम बढ़ते हैं, तो माल-ढुलाई भी ख़र्चीली हो जाती है, इससे



बढ़ते हैं, तो माल-ढुलाई भी ख़र्चीली हो जाती है, इससे वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं, फलस्वरूप महंगाई बढ़ती है । वर्तमान समय में पेट्रोल और डीज़ल के दाम बार-बार बढ़ाये जा रहे हैं, जिससे इतनी महंगाई बढ़ गयी है कि रसोई का बजट गड़बड़ा गया है । कई वस्तुएं आम लोगों की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं । महंगाई का आम आदमी की जेब पर बहुत बुरा असर हुआ है । इसके अलावा स्टैटस सिम्बल की ख़ातिर कई लोग ऋण लेकर वाहन ख़रीद रहे हैं, जिससे ऋणग्रस्तता व मुद्रास्फीति भी बढ़ी है ।

अबरार अहमद (लाखेरी वाले)

म०न०-554, गली न०-03, जे०पी० कॉलोनी, रंगपुर रोड, कोटा जंक्शन, ज़िला-कोटा, राजस्थान-324002

आकर्षक विशेषताएं

मैं लंबे समय से 'कान्ति' का नियमित पाठक हूं । इसकी जो विशेषताएं मुझे आकर्षित करती हैं वे हैं-(1) त्रुटिहीन मुद्रण (2) मानव कल्याण व उदात्त चरित्र से संपन्न सामग्री (3) साम्प्रदायिक सौहार्द बढ़ाने का प्रयास (4) इस्लाम से संबंधित सामान्य जन के अज्ञान को दूर करने का प्रयास तथा (5) शोधपरक सामग्री । मैं मानता हूं कि इससे मेरी अपनी इस्लाम संबंधी जानकारी बढ़ी । जब तक जीवन मूल्यों से संबंधित सामग्री का व्यापक प्रचार-प्रसार नहीं होगा मानवता का भाव बढ़ नहीं सकता । 'कान्ति' का प्रयास इसी दिशा में है ।

फ़रवरी 2013 के अंक में आपका संपादकीय ज्वलंत समस्या पर विचारोत्तेजक सामग्री देता है । आपने यथार्थपरक दृष्टि से तटस्थ भाव से विचार मंथन किया है । मुझे डॉ० सुरेश उजाला के आलेख में अनावश्यक सींचा-तानी लगी ।

उन्होंने दलित और नारी को एक खांचे में डालने के लिए कठिन द्रविड़ प्राणामाम किया है । 'फेसबुक उवाच' में आपने स्वामी महेश्वरानन्द पर प्रभावी आलेख दिया है । ऐसे सच्चे व मानवीय मूल्यों के संरक्षक महापुरुषों का चरित्र-चित्रण प्रेरक और दिशाबोधक होता है ।

वस्तुत: धर्मों के मध्य पनपता यह आचरण गत सौहार्द ही सच्चे धर्मात्मा का लक्षण है । स्वामी महेश्वरानन्द में युग पुरुष तुलसी का प्रतिबिम्ब दिखायी पड़ता है । 'मुनाफ़े का बढ़ता रोग' आलेख में आपने एक ज्वलंत व लोकहित का विषय उठाया है । वस्तुत: 'कान्ति' युगधर्मी व लोकमंगल के विषय उठाकर राष्ट्रहित का मार्ग प्रशस्त्र करती है । साधुवाद ।

डॉ० राम सनेही लाल शर्मा 'यायावर'

86, तिलक नगर, बाईपास रोड, फ़ीरोज़ाबाद-283203

बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय

'कान्ति' के सभी लेख बिना किसी पक्षपात के 'बहुजन हिताय बहुजन सुखाय' होते हैं । 'एकेश्वरवाद' एवं 'शराब की बुराइयों पर स्तरीय लेख पढ़ने को मिले ।

मोहन लाल तंवर

ई-207, शास्त्रीनगर, अजमेर (राज०)

समर्पण भाव

'कान्ति' का फ़रवरी 2013 अंक पढ़ा । अच्छा लगा । संपादक महोदय पत्रिका के लिए बहुत समर्पित भाव से काम करते हैं । आपका यह समर्पण इसी तरह बना रहे । यही चाहूंगा ।

डॉ० पूरण सिंह

वेस्ट पटेल नगर, नयी दिल्ली

मांसाहार

'कान्ति' का नवम्बर 2012 अंक पढ़ा । हर बार की तरह प्रेरणादायक लेख आदि पढ़ने को मिले । इसमें लिखी बातें पढ़कर अगर सभी अच्छे मार्ग पर चल पड़ें तो यह दुनिया सुखी हो जाएगी ।

डॉ० मुहम्मद अहमद जी का लेख 'गो-प्रेम' पढ़कर अच्छा लगा । मेरा तो इस पर यही कहना है जैसे हम 'गाय' के ऊपर रहम कर रहे हैं वैसे हर जीव-जंतु के लिए करें तो क्या यह अच्छा नहीं होगा ? आदिम युग में हम मजबूरीवश मांस भक्षण करते थे, पर अब तो हमारे पास साग-सब्ज़ियों, फल-फ्रूट की कमी नहीं । क्या समस्त मानव जाति शाकाहारी नहीं हो सकती ? इससे हमारी सेहत बचेगी और हमारी धरती भी । हमारा भविष्य हमारे हाथ में है । फ़ैसला हमें ही लेना है ।

माला वर्मा

हाजीनगर, प० बंगाल-743135

सहेज कर रखा

मार्च 2013 के अंक में 'दामिनी' (कविता) महिलाओं की भूमिका/बीमारियों व अपराध प्रेरक शराब/टूटे वादों का गणतंत्र आदि लेख रम्य हैं ।

गत मास की अंक सामग्री भी इतनी उत्कृष्ट थी कि उसे सहेज कर रखा है । किसी को देने की इच्छा पर काबून कर सका ।

निरंजन कुमार 'निराकार'
100, रामगढ़, रतलाम (म०प्र०)

अर्थ है अनर्थ की जड़

एक पहुंचे हुए फ़क़ीर थ, वे कल की फ़िक्र नहीं करते थे । वे मानते थे जिसने आज के लिए दिया वही कल के लिए भी देगा, इसलिए वे कभी किसी से भेंट नहीं लिया करते थे । एक दिन एक सेठ आयत उन्हें ढेरसारी अशर्फ़ियां दे गया । फ़क़ीर ने चेले से कहा कि इन्हें ग़रीबों में बांट दो । बांटते समय एक अशर्फ़ी ज़मीन पर गिर गयी और उसे उसने उठाकर अपनी जेब में रख लिया ।

जब फ़क़ीर इबादत करने बैठे तो उनका मन नहीं लग रहा था तब उन्होंने चेले से पूछा कि क्या सभी अशर्फ़ियां को बांट दिया गया, तभी उसे याद आया कि एक उसने अपने पास रख ली थी और उसने हक़ीक़त उस फ़क़ीर को बतायी तो उसने कहा इसे भी किसी ग़रीब को दे दो । चेले ने वैसा ही किया और फिर उस फ़क़ीर का मन लगा इबादत में ।

इसीलिए कहा है कि अर्थ अनर्थ की जड़ है । संग्रह करने से चिंता बढ़ती है और चिंता ही दुख का कारण है । ज़रूरत से ज़्यादा धन व्यक्ति को कुमार्ग पर ले जाता है । इसीलिए कुरआन में ज़कात का प्रावधान किया गया है, जिससे लोग अधिक धन को ग़रीबों में बांट सकें ताकि ग़रीबों की ग़रीबी भी कम हो और वे ख़ुदा की इबादत में अपना कुछ समय दे सकें ।

घेवरचन्द गोदीका
639, सिरमार हाउस, बारड़ी का रास्ता,
किशनपोल बाज़ार, जयपुर-302003

बढ़ती अश्लीलता

आज अश्लीलता ने अपनी जड़ें अत्यधिक गहराई में जमा ली हैं । उसके वृक्ष पर नग्नता, अवैध प्रेम और अवैध यौन संबंधों जैसे विषाक्त फल लग रहे हैं । इसी कारण हत्याएं भी हो रही हैं । चेहरे पर तेज़ाब फेंके जा रहे हैं तथा बलात्कार के कारण अवैध गर्भधारण हो रहे हैं । सम्मानीय माताओं, बहनों, बेटियों की जबरन इज़्ज़तें लूटी जा रही हैं । इसी के चलते 'वेलेंटाइन डे' को विशेष रूप से मनाया जा रहा है जो रही-सही सभ्यता की जड़ काटने में लगा है । वह खुलेआम सभ्य संस्कृति में विघ घोल रहा है, सभ्यता को खंडित कर रहा है । इन दिनों सुसंस्कारों की धज्जियां उड़ायी जाती हैं । अत: ऐसे 'वेलेंटाइन डे' को संविधान में कहीं भी जगह नहीं मिलनी चाहिए ताकि वह अश्लीलता के समान अपनी जड़ें गहरी न जमा सके ।

मलिक
नागपुर

शुभकामना

आपकी मासिक पत्रिका मुझे प्राप्त हुई । मैंने इस मासिक पत्रिका को ध्यान से पढ़ा । आपने इसमें अच्छी जानकारियां प्रकाशित की हैं । कृपया इसका ऐसा ही स्वरूप बनाए रखें । मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं ।

अभिजीत राणे
समूह संपादक-मुंबई मित्र/वृत्त मित्र
गोरेगांव (प०), मुम्बई

SHATABDI FOUNDATION, GAYA

- Started Shatabdi Public School in 2001 with primary classes, has now developed into a 10+2 CBSE affiliated educational institution with quality education in modern subjects with moral orientation..
- Presently there are around 1400 students who are provided modern teaching facilities. The Foundation also adopts poor/ orphan students
- Free education is given to poor students of the locality after school time.
- Our immediate needs are—Purchase one more school bus, Construction of Prayer Hall & Purchase of 30 Computers.

(Prof. Z. H. Khan) Chairman
(Prof. M. B. Zaman) Secretary

SHATABDI PUBLIC SCHOOL
Katari Hill Road, Gaya-823001 (Bihar) INDIA

इस्लाम में जनसेवा का महत्व

■ मौलाना जलालुद्दीन उमरी

किसी भी कर्म के लिए प्रेरक का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है । एक ही कर्म के पीछे अच्छे प्रेरक भी हो सकते हैं और बुरे भी । इस्लाम ने कर्म के प्रेरक को बुनियादी महत्व दिया है । उसकी दृष्टि में किसी कर्म का वैध और उचित होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके प्रेरक का ठीक होना भी आवश्यक है । वह सही प्रेरक को 'इख़लास' या 'निस्स्वार्थता' के नाम से पुकारता है और ग़लत प्रेरक को एक व्यापक शब्द 'रिया' या 'आडम्बर' के नाम से ।

जनसेवा अति उत्कृष्ट नेकी का काम और अल्लाह से निकट होने का साधन है । इस पर जिस अज्र और प्रतिदान का वचन दिया गया है, इन्सान उसका हक़दार उसी समय होगा जब वह निस्स्वार्थ भाव से उसे पूरा करे और उसके सामने खुदा की प्रसन्नता के अतिरिक्त कोई और उद्देश्य न हो । कुरआन ने इस वास्तविकता का 'इन्फ़ाक़' (ख़र्च करना या दान देना) के तहत विस्तारपूर्वक वर्णन किया है । रुपया-पैसा और माल का ख़र्च करना 'इन्फ़ाक़' है । जनसेवा के कामों में क़दम-क़दम पर इसकी आवश्यकता पड़ती है । जनसेवा कार्य के मार्ग में माल ख़र्च करना जितना कठिन है, उसमें निस्स्वार्थ भाव को बनाए रखना उससे भी अधिक कठिन है । अल्लाह के जो बन्दे निस्स्वार्थ भाव लेकर अपनी दौलत ख़र्च करते हैं, कुरआन में उनकी प्रशंसा की गयी है और उन्हें परलोक की सफलता की शुभ सूचना दी गयी है–

"और जहन्नम (नरक) से दूर रखा जाएगा उस व्यक्ति को जो अत्यंत परहेज़गार और अल्लाह से डरने वाला है, जो अपनी आत्मा की शुद्धता के लिए अपना धन देता है, उस पर किसी का कोई उपकार नहीं है कि वह उसका बदला दे । वह तो केवल अपने सर्वोच्च 'रब' की प्रसन्नता प्राप्ति के लिए यह कार्य करता है और बहुत जल्द ही वह (उससे प्रसन्न होगा ।"

(कुरआन, 92:17-21)

रिवायतों में कहा गया है कि ये आयतें हज़रत अबू बक्र (रज़ि॰) के बारे में उतरीं । मक्का के प्रारंभिक काल में इस्लाम क़बूल करने वालों और विशेष रूप से दासों पर असहनीय अत्याचार होते थे । हज़रत अबू बक्र (रज़ि॰) उन दासों को ख़रीद कर आज़ाद कर देते थे । उन दासों में हज़रत बिलाल (रज़ि॰) भी थे । कुछ लोगों ने कहा कि संभव है हज़रत बिलाल (रज़ि॰) ने हज़रत अबू बक्र (रज़ि॰) पर कोई एहसान किया हो और वे उनका बदला चुका रहे हों । (लोगों के इस संदेह को दूर करने और अबू बक्र की इस पवित्र भावना को स्पष्ट करने के लिए) इन आयतों में इस संदेह का खंडन और हज़रत अबू बक्र (रज़ि॰) की निस्स्वार्थता की प्रशंसा की गयी है ।

(तफ़्सीर बग़वी और ख़ाज़िन : 7/213-214)

अल्लाह की खुशी की चाहत के लिए ख़र्च करने के प्रतिदान और सवाब का वर्णन इन शब्दों में किया गया है–

"जो लोग अपने धन केवल अल्लाह की खुशी की चाहत में हृदय की पूरी स्थिरता के साथ ख़र्च करते हैं, उनके ख़र्च की उपमा ऐसी है जैसे कि उच्च धरातल पर एक बाग़ हो । यदि घोर वर्षा हो जाए तो दो गुना फल लाए, और यदि घोर वर्षा न भी हो तो एक हल्की फुहार ही उसके लिए पर्याप्त हो जाए । तुम जो कुछ भी करते हो, सब अल्लाह की दृष्टि में है ।" (कुरआन, 2:265)

यहां अल्लाह की खुशी की चाहत के साथ 'हृदय की पूरी स्थिरता' की बात भी कही गयी है । इसके कई अर्थ बयान किये गये हैं । एक यह कि वह ख़र्च करने पर अपने मन को जमाये रखते हैं यहां तक कि यह भावना उनके अन्दर स्थिर हो जाती है । दूसरा अर्थ यह है कि वह निःस्वार्थता को पूर्णरूप से जीवित और हर खोट से पाक रखते हैं । उसमें कोई कमी नहीं आने देते । तीसरा अर्थ यह बताया गया है कि उन्हें परलोक और वहां की यातना व प्रतिदान का पूरा विश्वास होता है और वे यातना से बचने और प्रतिदान प्राप्ति के लिए अपना माल ख़र्च करते रहते हैं ।

जहां नि:स्वार्थता हो वहां इन्सान अपने जैसे इन्सानों से किसी पुरस्कार अथवा बदले की आकांक्षा से पाक होता है । वह केवल अल्लाह तआला को खुश करना चाहता है । इसके अतिरिक्त उसके कर्मों का कोई अन्य प्रेरक नहीं होता । उसकी इन्सानों से सहानुभूति और संवेदना का प्रेरक यह नहीं होता कि उसकी प्रशंसा की जाएगी, चारों ओर उसके गीत गाये जाएंगे या वह इस सहानुभूति से दुनिया और दुनिया की पूंजी प्राप्त कर लेगा, बल्कि उसे वह अपना कर्तव्य समझता है, कृतज्ञता की भावना से उसका सिर झुक जाता है कि अल्लाह ने उसे अपने बन्दों की सेवा का अवसर और सामर्थ्य प्रदान किया । पवित्र कुरआन में उनकी भावनाओं का चित्रण इस प्रकार किया गया है–"और अल्लाह के प्रेम में मुहताज और अनाथ और क़ैदी को खाना खिलाते हैं, (और उनसे कहते हैं कि) हम तुम्हें केवल अल्लाह के लिए खिला रहे हैं, हम तुमसे न कोई बदला चाहते हैं, न कृतज्ञतादर्शन । हमें तो अपने 'रब' से उस (क़ियामत के) दिन का डर लगा हुआ है जो सख़्त मुसीबत का अत्यंत लंबा दिन होगा ।"

(कुरआन, 76:8-10)

इन आयतों के बाद उन पुरस्कारों का उल्लेख है जिनसे अल्लाह अपने उन निस्स्वार्थ बन्दों को सम्मानित करेगा और उन पर कृपा करेगा । चरित्र की यह श्रेष्ठता तथा सेवा के साथ यह विनम्रता केवल निस्स्वार्थ भावना से पैदा होती है । किसी अन्य प्रेरक में यह शक्ति नहीं है ।

इन्हीं नेक और अल्लाह से डरने वाले बन्दों के विषय में एक अन्य स्थान पर है–

"जो प्रत्येक दशा में अपने माल ख़र्च करते हैं चाहे बुरे हाल में हो या अच्छे हाल में, जो गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों की ग़लतियों को क्षमा कर देते हैं, ऐसे नेक लोग अल्लाह को बहुत प्रिय हैं ।"

(कुरआन, 3:134)

इस आयत में अल्लाह का डर रखने वाले और संयमी लोगों की दो विशेषताएं बतायी गयी हैं । एक यह कि वे निर्धनता और संपन्नता हर दशा में अपना माल ख़र्च करते हैं । दूसरी यह कि क्षमा और दरगुज़र से काम लेते हैं । इन दोनों विशेषताओं में बड़ा गहरा संबंध दिखायी पड़ता है । व्यक्ति हाथ बढ़ाकर ख़र्च करता है तो उसके मन में अपनी बड़ाई के गर्व की भावना उठने लगती है । वह कम से कम उन लोगों को, जिन पर एहसान व उपकार करता है, अपने से नीचा समझता है । उनकी कोई भी अशिष्ट बात तथा अशिष्टता उसके लिए असहनीय होती है । उनकी ग़लतियों को क्षमा करना और उनकी सेवा करते रहना बड़े साहस की बात है । कुरआन के ये शब्द संकेत देते हैं कि असीम ख़र्च करने के बावजूद अल्लाह के बन्दों में विनम्रता पायी जाती है । वे तो किसी को निंदा का पात्र बनाने और उसे अपमानित करने के बहाने नहीं खोजते हैं, बल्कि दोषियों को भी क्षमा कर देते हैं । वे किसी की सेवा से इसलिए हाथ नहीं रोक लेते कि उसने

Jamaat-e-Islami Social Service Society (Regd), Gaya

The Society is in service in the field of education, health and Islamic Understanding for the last 34 years. Our resources are limited, our task is tremendous. We seek your co-operation in the following activities:-

1. **IQRA PUBLIC SCHOOL :** Besides 800 paying students, about 150 poor or orphan girls & boys are provided free education upto Matriculation with Islamic Carriculam.
2. **MILLAT HOSPITAL :** Every year about 15,000 poor & needy patients are provided with free medical treatment & medicine besides other services.
3. **ISLAMIC INFORMATION CENTRE :** Established at Bodh-Gaya, where lakhs of foreigners visit every year during Nov-March. The Centre provides reading materials on Islam, distributes Islamic literature and invites interested visitors for discussion besides inter-faith dialogue on regular basis.

Kindly send your Cheque/Draft in favour of the society

(Nayyarruzzama) Chairman — **(Prof. Inamul Huque)** Secretary

J I S S S

Millat Campus, Leitch Road, Gaya-823001

उनके साथ अन्याय किया था । लोगों के अत्याचारों से उनकी सेवाओं का क्रम टूटता नहीं, बल्कि जारी रहता है । इन्सानों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करने वालों को अल्लाह तआला का प्रेम और उसकी मुहब्बत प्राप्त होती है । इसी का दूसरा पहलू क़ुरआन में इस प्रकार बताया गया है कि अल्लाह के नेक बन्दे इन्फ़ाक़ (ख़र्च) करके एहसान नहीं जताते । एहसान जताना ओछेपन का प्रमाण है । अल्लाह तआला मोमिन को उच्च आचरण प्रदान करता है और उसे ओछेपन से सुरक्षित रखता है । क़ुरआन में है–"जो लोग अपने धन अल्लाह के मार्ग में ख़र्च करते हैं और ख़र्च करके फिर एहसान नहीं जताते, न दुख देते हैं, उनकी मज़दूरी (अज्र) उनके रब के पास है और उनके लिए किसी शोक और भय का अवसर नहीं ।"

(क़ुरआन, 2:262)

अल्लाह को भूला हुआ इन्सान किसी पर उपकार करता है तो चाहता है कि वह उसको स्वीकार करे और उसका कृतज्ञ और आभारी हो, उसकी प्रशंसा करता रहे, उसकी सेवा और आदर-सम्मान करे, उसकी दानशीलता और कृपाओं की चर्चा करे, उसकी मांगें पूरी करे, उसकी आंख के इशारों को समझे और उसके आदेशों का पालन करे । जब यह आशा पूरी नहीं होती तो वह उसे अपमानित करने पर उतारू हो जाता है । उसकी दरिद्रता और अपने एहसान की बार-बार चर्चा करके उसे कष्ट पहुंचाता है और कचोके लगाने का कोई भी अवसर हाथ से नहीं जाने देता । यह मानसिक और आत्मिक कष्ट किसी भी इन्सान के लिए शारीरिक कष्ट से अधिक गहरा होता है ।

क़ुरआन के निकट, एहसान जताकर किसी के स्वाभिमान को आघात पहुंचाने से अच्छा यह है कि व्यक्ति दो मीठे बोल बोलकर उसके काम आने में अपनी असमर्थता प्रकट कर दे । इससे उसके आत्मसम्मान को ठेस नहीं लगेगी और वह अनुभव करेगा कि एक शरीफ़ और शुभचिंतक व्यक्ति से उसका मामला है ।

"एक मीठा बोल और किसी अप्रिय बात पर तनिक आंख बचा जाना उस दान से अच्छा है जिसके पीछे दुख हो । अल्लाह निस्पृह है और सहनशीलता उसका गुण है ।"

(क़ुरआन, 2:263)

नेकी के अच्छे कामों के बाद एहसान जताना उन्हें सर्वनाश करना है । अत: क़ुरआन ने ताकीद की–

"ऐ ईमान वालो ! अपने दानों को–एहसान जताकर और दुख देकर उस व्यक्ति की तरह मिट्टी में न मिला दो, जो अपना धन केवल लोगों को दिखाने के लिए ख़र्च करता है ।"

(क़ुरआन, 2:264)

हदीस में एहसान जताने पर बड़ी कड़ी यातना की धमकी दी गयी है । हज़रत अबू ज़र (रज़ि०) की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने फ़रमाया–

"तीन प्रकार के इन्सानों से अल्लाह क़ियामत के दिन बात न करेगा और न उन्हें देखेगा और उनके लिए कठोर यातना होगी, (1) एहसान जताने वाला (2) झूठी क़सम खाकर अपना माल बेचने वाला और (3) अपना अभिमान से) तहबन्द (लुंगी) ज़मीन पर लटकाने वाला ।" (मुस्लिम)

ओछा इन्सान, एहसान जताकर और कष्ट पहुंचाकर अपनी श्रेष्ठता मनवाना चाहता है । यह उसकी मूर्खता है । श्रेष्ठता उन्हें मिलती है जो इन्सानों से किसी बदले की भावना एवं कामना से निस्पृह होकर उनकी सेवा करते हैं । यही इन्सानों के निकट प्रिय हैं और यही अल्लाह को भी प्रिय हैं ।

मुनअम पब्लिक स्कूल

(सी०बी०एस०ई०, दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त, 10+2, इंग्लिश मिडियम विद्यालय)
महाराजगंज, पो० दादपुर, जिला हजारीबाग, झारखण्ड।

नामांकण सूचना



हजारीबाग के प्राकृतिक सौन्दर्य से भरपुर पहाडी क्षेत्र में स्थापित, विशाल कैम्पस में फैला एक अति-आधूनिक शैक्षणिक संस्था जहां छात्र-छात्राओं के लिए माडर्न स्कूल की तमाम सुविधाएं उपलब्ध है।

सफलता का सशक्त्म राह - मुस्लिम लडकीयों के लिए नायाब तोहफा

लडकीयों के लिए 100 बेड का शानदार हॉस्टल

सत्र 2013-2014 के लिए छात्रावास में रह कर शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्र-छात्राएं 150/- रू० अदा करें के फार्म एंव प्रास्पेक्टस स्कूल काउंटर से प्राप्त करें या 175/- रू० का ड्राफ्ट मैनेजर कर डाक से भी प्राप्त किया जा सकता है। विशेष जानकारी हेतु सम्पर्क करें -

मो० 09431530878, Website : munammission.org
E-mail-munam_school2000edu@yahoo.com

एस०एम० नईम
डायरेक्टर
एम०ए०, बी०एड

वकील अहमद
प्रिंसिपल
बी०एस०सी०, बी०एड

अल्लाह ने
गवाही दी कि उसके सिवा
कोई पूज्य नहीं और फ़रिश्तों ने
और उन लोगों ने भी जो न्याय और
संतुलन स्थापित करने वाली एक सत्ता
को जानते हैं, उस प्रभुत्वशाली,
तत्वदर्शी के सिवा कोई
पूज्य नहीं ।
–क़ुरआन

Bharat Electronics

Tourist Complex, Main Road Ranchi
(JHARKHAND)

हज़रत फ़ातिमा (रज़ि०)

मुहम्मद (सल्ल०) के परिवार की एक सदस्य, औरतों की सरदार, फ़ातिमा बिन्त हज़रत मुहम्मद (रज़ि०) का जन्म मक्का में हुआ था जिस वक़्त क़ुरैश काबा का नव-निर्माण कर रहे थे । यह नुबूवत से 5-6 साल पहले की घटना है । इनके जन्म से मां-बाप बहुत खुश थे, क्योंकि यह नबी (सल्ल०) की सबसे छोटी बेटी थीं । इसी वजह से उनकी मां हज़रत ख़दीजा ने किसी दाई से उनको दूध पिलाने का प्रबंध नहीं किया, बल्कि अपना दूध पिलाया । पाक घर में हज़रत फ़ातिमा (रज़ि०) की परवरिश हुई । मां-बाप की निगाहों के सामने उनकी देख-रेख हुई । नुबूवत के विशुद्ध स्रोत से सैराबी हासिल की । दौरे रिसालत में उन्होंने आंखें खोलीं, जिस नुबूवत को तमाम मानवजाति तक पहुंचाने के लिए अल्लाह ने आप (सल्ल०) को चुना था ।

उच्च परिवार

हज़रत फ़ातिमा (रज़ि०) की ज़िन्दगी के अध्ययन से पहले उन बुनियादों पर ग़ौर करेंगे जिनकी बदौलत वह नेतृत्व, आदर्श, शर्फ़ और मोमिन औरतों में सर्वोच्च स्थान के लायक़ हुईं । उनके पिता मानवजाति के सरदार हैं, नबी-ए-रहमत हैं । उनकी मां दुनिया की औरतों में परम विशिष्ट और सबसे पहले इस्लाम क़बूल करने वाली हज़रत ख़दीजा (रज़ि०) थीं । हज़रत फ़ातिमा (रज़ि०) ख़ुद अपने दौर की औरतों की सरदार और नबी (सल्ल०) की बेटियों में सबसे अफ़ज़ल थीं । उनके पति अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली बिन अबू तालिब थे । उनके दोनों साहबज़ादे मिल्लत के नवजवानों के सरदार और अल्लाह के रसूल (सल्ल०) की ख़ुशबू हज़रत हसन (रज़ि०) और हज़रत हुसैन (रज़ि०) थे ।

इनके चचा शहीदों के सरदार हज़रत हम्ज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब थे । इनके एक दूसरे चचा वे थे जो भूखों को खाना खिलाते, ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी करते, पड़ोसी की हिमायत करते और वक़्त ज़रूरत अपना माल भी ख़र्च करते थे, वे अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब थे । इनके चचेरे भाई मशहूर शहीद हज़रत जाफ़र बिन अबू तालिब थे । इससे बढ़कर गर्व की और क्या बात हो सकती है ?

इस्लाम क़बूल करने में अग्रणी

जब वह्य (प्रकाशना) के ज़रिये हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) को रिसालत अता की गयी तो सबसे पहले इस रिसालत पर ईमान लाने वाली और इसकी तसदीक़ करने वाली हज़रत ख़दीजा (रज़ि०) थीं । अपने बाप पर नबी की हैसियत से ईमान लाने वालों में हुज़ूर (सल्ल०) की बेटियां हज़रत ज़ैनब (रज़ि०), हज़रत रुक़ैया (रज़ि०), हज़रत उम्मे कुलसूम (रज़ि०) और हज़रत फ़ातिमा (रज़ि०) थीं । इब्ने इसहाक़ ने हज़रत आइशा (रज़ि०) से रिवायत की है कि अल्लाह ने जब अपने नबी को नुबूवत से सरफ़राज़ फ़रमाया, तो हज़रत ख़दीजा और उनकी बेटियां आप पर ईमान लायीं । आपकी सारी बेटियां अपनी मां के साथ इस्लाम के दायरे में दाख़िल हुईं और एक साथ ही अपने पिताश्री की रिसालत की तसदीक़ की, जोकि रिसालत से पहले ही बरकतों वाले गुणों के धारक थे । जब आप (सल्ल०) इस्लाम के आह्वान के लिए खड़े हुए और अपने रब के संदेश के प्रचार-प्रसार में लग गये तो स्वयं आपके ख़ानदान क़ुरैश के लोग आपके विरोधी हो गये और आप (सल्ल०) को परेशान करने की नयी-नयी तरकीबें सोचने लगे ।

हज़रत फ़ातिमा और नज़रबंदी

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) को उत्पीड़ित करने के लिए क़ुरैश ने एक तरकीब सोची, जिसमें हाशिम वंश और अब्दुल मुत्तलिब वंश के बहुत से लोगों को दुख झेलना पड़ा । मुशरिकीन ने यह फ़ैसला किया कि इनका पूरी तरह सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाए । इनसे लेन-देन, मेल-जोल न रखा जाए और न ही बातचीत की जाए, यहां तक कि ये लोग तंग आकर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) को हमारे हवाले न कर दें । अत: अबू तालिब नामक घाटी में इन्हें नज़रबंद कर दिया गया । यह

नज़रबंदी बहुत दुखदायी साबित हुई । मुशरिकीन घाटी के बाहर भूख के कारण रोते हुए बच्चों की आवाज़ें सुनते थे । नज़रबन्द होने वालों में हज़रत फ़ातिमा (रज़ि॰) भी थीं । इस नज़रबंदी ने उनकी सेहत को बुरी तरह प्रभावित किया, आशंका हो गयी कि कहीं वे वफ़ात न पा जाएं । यह बहिष्कार लगभग तीन साल जारी रहा । मुसलमान इस हालत में वहां से निकले कि उनके रोशन चेहरे से ईमान की रोशनी फूटती थी और दिलों में अल्लाह और उसके रसूल (सल्ल॰) की मुहब्बत और भी बढ़ गयी थी ।

हज़रत फ़ातिमा और हज़रत ख़दीजा

हज़रत फ़ातिमा नज़रबंदी की तकलीफ़ को अभी भूल भी न पायी थीं कि उनकी ज़िन्दगी का कठिनतम दिन आ गया । यह वह दिन था जिस दिन हज़रत ख़दीजा का इन्तिक़ाल हुआ । वे अपनी मां की वफ़ात से बहुत दुखी हुईं । ऐसा मालूम होता था कि उन पर स्नेह का हाथ रखने वाला अब कोई नहीं रहा । ज़िन्दगी की सारी ज़िम्मेदारी हज़रत फ़ातिमा के कमज़ोर कंधों पर आ गयी, हालांकि इससे उनके ईमान में इज़ाफ़ा ही हुआ । फिर वे अपने वालिद (पिता) की निगरानी में आ गयीं जिनके दिल में उनके प्रति बड़ी रहमत भरी हुई था । उनके साथ ज़िन्दगी का सफ़र तय करने लगीं । मदीना को हिजरत (प्रस्थान) तक हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) की दावती ज़िन्दगी (इस्लाम के आह्वान) में शरीक थीं । हज़रत फ़ातिमा (रज़ि॰) ने मुहाजिरीन के साथ मदीना हिजरत की । वहां अंसार (शरण देने वाले) के बीच एक नयी ज़िन्दगी शुरू की ।

हज़रत फ़ातिमा का निकाह

बद्र की लड़ाई के बाद सन 2 हिजरी में हज़रत अली (रज़ि॰) से हज़रत फ़ातिमा (रज़ि॰) की शादी के पैग़ाम के सिलसिले में एक वाक़िया बहुत मशहूर हुआ । पैग़ाम देने वाले की ज़ुबानी इसे सुनिये–'हज़रत फ़ातिमा को शादी के लिए पैग़ाम दिये जा चुके थे । मेरी एक दासी ने कहा कि क्या आपको मालूम है कि फ़ातिमा की शादी का पैग़ाम दिया जा चुका है। मैंने कहा, नहीं । उसने कहा, दिया जा चुका है । आपके लिए क्या रुकावट है, आप नबी (सल्ल॰) के पास जाइये । वह उनकी शादी आपसे कर देंगे । मैंने कहा, मेरे पास शादी के लिए क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं । उसने कहा अगर आप नबी (सल्ल॰) के पास जाएंगे तो वह ज़रूर आपकी शादी हज़रत फ़ातिमा से कर देंगे । वह मुझे निरंतर प्रेरित करती रही, यहां तक कि मैं आप (सल्ल॰) की ख़िदमत में हाज़िर हो गया । आपके सामने बैठ गया । अल्लाह क़सम, मैं आपके रौब और दबदबे की वजह से बात नहीं कर सकता था । आपने पूछा, क्यों आये हो । क्या चाहिए ? मैं ख़ामोश रहा । आपने फ़रमाया, शायद फ़ातिमा को निकाह का पैग़ाम देने आये हो । मैंने कहा, हां । आप (सल्ल॰) ने पूछा, महर में देने के लिए कुछ है ? मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल कुछ भी नहीं है । आपने पूछा, वह जिरहबख़्तर (ढाल) क्या हो गयी जो मैंने तुम्हें दी थी । मैंने कहा, वह मेरे पास है, लेकिन वह तो पुरानी है, उसकी क़ीमत चार दिरहम से ज़्यादा नहीं है । आपने फ़रमाया उसके बदले मैं तुम से फ़ातिमा का निकाह कर दूंगा । इस तरह एक जिरहबख़्तर हज़रत फ़ातिमा का महर क़रार पायी ।

नबी (सल्ल॰) ने हज़रत फ़ातिमा की तरफ़ मुख़ातिब होकर पूछा, अली तुम्हारा ज़िक्र कर रहे थे । वह ख़ामोश हो गयीं । अत: इस ख़ामोशी को उनकी रज़ामंदी मान कर आप (सल्ल॰) ने उनका निकाह कर दिया ।

हज़रत फ़ातिमा (रज़ि॰) की शादी के दिन नबी (सल्ल॰) ने पानी मांग कर वुज़ू किया । वुज़ू के पानी को हज़रत अली पर छिड़का और यह दुआ फ़रमायी–'ऐ अल्लाह इन दोनों की उम्र और नस्ल में बरकत दे । निकाह के मौक़े पर अब्दुल मुत्तलिब के वंश के लोग और सहाबा किराम (रज़ि॰) जमा हुए । हम्ज़ा बिन मुत्तलिब ने ऊंट ज़ब्ह किया और लोगों को खाना खिलाया । हज़रत फ़ातिमा अपने शौहर के घर पहुंचा दी गयीं । इस घर में न विशाल पलंग थे, न गलीचे और न ही साज-सज्जा का सामान । बल्कि केवल ज़रूरत का बहुत ही कम सामान था । खाल के गद्दे-तकिये, एक प्याला, मिट्टी के दो घड़े और एक चक्की थी । इनका घर नबी (सल्ल॰) के घर से ज़्यादा दूर न था ।

कुछ दिनों के बाद नबी (सल्ल॰) हज़रत फ़ातिमा के घर तशरीफ़ लाये । उनसे कहा मैं तुम्हें अपने घर ले जाने के लिए यहां आया हूं । फ़ातिमा ने कहा, हज़रत हारिसा बिन नोमान (रज़ि॰) से कहिये कि वह अपने कुछ मकान हमारे लिए ख़ाली कर दें । आप (सल्ल॰) ने फ़रमाया, उन्होंने पहले ही हमारे लिए कई मकान ख़ाली कर दिये

हैं, अब मैं और मकान के लिए कहना मुनासिब नहीं समझता । यह ख़बर हज़रत हारिसा को मिली, वह ख़ुशी-ख़ुशी दौड़े हुए आये और आपसे पूछा या रसूलुल्लाह! मुझे मालूम हुआ है कि आप फ़ातिमा को अपने यहां ला रहे हैं । ये मेरे मकान हैं जो बनू निजार के क़रीब हैं–और मेरा माल अल्लाह और उसके रसूल के लिए है । या रसूलुल्लाह ! बाख़ुदा मेरा जो भी माल आप क़बूल फ़रमा लेंगे तो मुझे ख़ुशी होगी, इसके मुक़ाबले कि आप क़बूल न करें । नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया–"सही कहा, अल्लाह तुम्हें बरकत दे ।" आप (सल्ल०) ने हज़रत अली व हज़रत फ़ातिमा को हज़रत हारिसा बिन नौमान (रज़ि०) के घर में पहुंचा दिया, जहां उन्होंने वास किया ।

तक़वा और सब्र

सब्र व तक़वा में हज़रत फ़ातिमा (रज़ि०) की तरह किसी और औरत की मिसाल पेश करने में इतिहास असमर्थ है । अपने विवाहित जीवन की शुरुआत से घर के सारे काम करती थीं । चक्की चलातीं, रोटी पकाती थीं । उनके ज़ाहिद और मुजाहिद शौहर हज़रत अली (रज़ि०) के अन्दर इतना सामर्थ्य न था कि किसी सेवक को रख लेते, जो उनके घरेलू कामों में फ़ातिमा बिन्त मुहम्मद की मदद करता । बल्कि हज़रत अली ने अपनी वालिदा फ़ातिमा बिन्त असद से कहा कि घर के बाहर के कामों में फ़ातिमा की मदद करें, वह तो घर के अन्दर के कामों रोटी-चक्की को ख़ुद संभाल लेती हैं ।

हज़रत अली देखते थे कि फ़ातिमा के चेहरे पर थकान के आसार मौजूद हैं । एक बार उन्होंने हज़रत फ़ातिमा से कहा–आपके वालिद के पास क़ैदी आये हैं, जाकर एक सेवक मांग लो । उन्होंने कहा, मेरा भी यही विचार है । चक्की चलाते-चलाते मेरे हाथों में निशान पड़ गये हैं । अत: वे नबी (सल्ल०) की ख़िदमत में पेश हुईं । आपने दरयाफ़्त किया, बेटी किस मक़सद से आयी हो ? कहा, आपको सलाम करने आयी थी । शर्म की वजह से कुछ नहीं कह सकीं ।

फिर हज़रत अली और फ़ातिमा दोनों ने मिलकर बड़े संकोच और शर्म के साथ अपनी कठिनाइपूर्ण ज़िन्दगी की शिकायत की और एक ख़ादिम की मांग की । आप (सल्ल०) ने इन दोनों से फ़रमाया–मैं तुम दोनों को आगे करूं और सुफ़्फ़ा वालों को इस हाल में छोड़ दूं कि उनके पेट भूख से चिपके रहें, उनकी ज़रूरतें पूरी करने की कोई चीज़ न हो । यह सुनकर दोनों वापस आ गये । उनके पीछे चादर लपेटे नबी (सल्ल०) तशरीफ़ लाये । चादर इतनी तंग थी कि सिर ढकते पैर खुल जाते और पैर ढकते तो सिर खुल जाता । दोनों ने उठकर आपका इस्तिक़बाल करना चाहा तो आपने फ़रमाया, अपनी जगह लेटे रहो ।

फिर आपने फ़रमाया कि मैं तुम्हें उससे अच्छी बात न बताऊं जिसका तुमने सवाल किया था । दोनों ने कहा, ज़रूर बताइये । आपने कहा, कुछ कलिमात हैं जो जिबरील (अलैहि०) ने मुझे बताये हैं । हर फ़र्ज़ नमाज़ के बाद, 10 बार सुब्हानल्लाह, 10 बार अल्हम्दुल्लिाह और 10 बार अल्लाहु अकबर कह लिया करो । जब सोने के लिए बिस्तर पर आओ तो 33 बार सुब्हानल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 33 बार अल्लाहु अकबर कह लिया करो ।

हज़रत फ़ातिमा (रज़ि०) ने और हज़रत अली (रज़ि०) ने इन बरकत वाले कलिमात पर संतोष व्यक्त किया और इस पर ज़िन्दगी भर अमल किया ।

"और ईमान वाली स्त्रियों से कह दो कि वे भी अपनी निगाहें बचा कर रखें और अपने गुप्तांगों की रक्षा करें । और अपने शृंगार प्रकट न करें, सिवाय उसके जो उनमें खुला रहता है और अपने सीनों पर अपने दुपट्टे डाले रहें ।
(क़ुरआन)

Mohd. Ali
Wholesale Fish Merchant
GOA

तक़वा और परहेज़गारी

अबू नईम ने हज़रत फ़ातिमा ज़ुहरा के गुणों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि हज़रत फ़ातिमा साफ़ दिल और ईसार व क़ुरबानी (त्याग) का जज़्बा रखने वाली थीं । दुनिया और दुनिया की पूंजी से बेनियाज़ थीं । उनका तक़वा, परहेज़गारी, ख़ौफ़े ख़ुदा और अमल सिर्फ़ ख़ुदा की मर्ज़ी के लिए होता था । इमाम ज़हबी ने एक घटना इस तरह नक़ल की है–एक बार नबी (सल्ल०) हज़रत फ़ातिमा के पास आये, उस वक़्त वे सोने का हार पहने हुए थीं । कहने लगीं अबू हसन (हज़रत अली) ने मुझे यह उपहार में दिया है । आपने फ़रमाया, क्या तुम्हें इस बात से ख़ुशी होगी कि लोग कहें कि फ़ातिमा बिन्त मुहम्मद को देखो उसके हाथ में ज़ंजीर है । यह कहकर आप बाहर आ गये । हज़रत फ़ातिमा ने उस हार को बेचकर एक ग़ुलाम ख़रीद लिया और उसे आज़ाद कर दिया । आप (सल्ल०) ने फ़रमाया शुक्र है उस ख़ुदा का जिसने फ़ातिमा को आग से बचा लिया । यह था उनकी परहेज़गारी और ख़ौफ़े ख़ुदा का जज़्बा । यह कैसे न होता, वह तो बेटी थीं ज़ाहिदों के सरदार हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की ! उन्होंने आप (सल्ल०) के इस फ़रमान को ग़ौर से सुना था–'ऐ फ़ातिमा मुझ से जो कुछ मांगना हो मांग लो, अल्लाह के यहां मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊंगा ।' यह फ़रमान सुनकर दुनिया की तरफ़ कैसे मायल हो सकती थीं । इसलिए उन्होंने इबादत और जिद्दोजेहद के लिए अपने को तैयार कर लिया था और उसके रसूल की मर्ज़ी की ख़ातिर दुनिया की हर चीज़ से बेनियाज़ हो गयी थीं । ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह का फ़रमान है–'ऐसे ही लोग कामयाब हैं ।'(सूरह तौबा)

हज़रत फ़ातिमा अपनी नेकी और परहेज़गारी में इतने बुलंद दर्जे पर थीं कि उस दौर की कोई औरत उनकी बराबरी नहीं कर सकती थी । वे अपनी पूरी क्षमता भर अपने वालिद के नक़्शेक़दम पर चलती रहीं । उनकी इन्हीं ख़ूबियों का ज़िक्र करते हुए हज़रत आइशा (रज़ि०) फ़रमाती हैं–'मैंने फ़ातिमा की तरह सिद्क़दिली (सहृदयता) में किसी को नहीं देखा, सिवाय उनके वालिदे गिरामी के ।'

मुजाहिदाना कारनामे

हज़रत फ़ातिमा (रज़ि०) के मुजाहिदाना कारनामे बहुत ताबनाक हैं । उहुद की लड़ाई में नबी (सल्ल०) के चेहरे और जिस्म के अन्य हिस्से पर ज़ख़्म हो गया था, उससे ख़ून बहने लगा । चटायी जला कर उसकी राख लगाने से ख़ून बन्द हो गया । इमाम बैहक़ी ने हज़रत फ़ातिमा के कारनामों पर इस तरह रोशनी डाली है–'मुहाजिर और अंसार औरतें जंग के लिए निकल खड़ी हुईं । अपनी पीठ पर पानी और खाने का सामान लिए हुए थीं, उनमें हज़रत फ़ातिमा भी थीं । उन्होंने अपने वालिद के जिस्म पर ख़ून देखा, चेहरे से ख़ून को साफ़ करने लगीं । जंगे उहुद में हज़रत फ़ातिमा की भूमिका का हज़रत सुहैल बिन असद इस तरह उल्लेख करते हैं–

''नबी (सल्ल०) इस जंग में ज़ख़्मी हो गये, आपके कुछ दांत शहीद हो गये । सिर में ख़ूद की एक कड़ी पैवस्त हो गयी थी । हज़रत अपनी ढाल में पानी लाकर ज़ख़्म पर डालते और हज़रत फ़ातिमा उसे साफ़ करती थीं । उन्होंने जब देखा कि पानी से धोने की वजह से ख़ून बन्द नहीं हो रहा है तो चटायी का एक टुकड़ा लिया, उसे जलाकर राख को ज़ख़्म पर लगा दिया तो ख़ून बहना बन्द हो गया ।''

''हज़रत हम्ज़ा (रज़ि०) इसी लड़ाई में शहीद हुए थे । हज़रत फ़ातिमा अपने चचा को याद करतीं और उनके उस एहसान को भी याद करतीं, जब उन्होंने उनकी शादी के मौक़े पर ऊंट ज़ब्ह किया था और लोगों को खाना खिलाया था । उनकी क़ब्र की ज़ियारत को जातीं, वहां रोतीं और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करती थीं ।''

अन्य मौक़ों पर भी हज़रत फ़ातिमा ने मुजाहिदाना कारनामे दिखाये । जंगे उहुद के अलावा वे जंगे ख़ैबर में शरीक थीं । जंगे ख़ैबर में नबी (सल्ल०) ने उन्हें 85 वस्क़ ख़ैबर का भेंट किया । इसी तरह हज़रत फ़ातिमा ने ग़ज़वा फ़त्ह में भी शरीक होकर बड़ा कारनामा अंजाम दिया ।

नबी (सल्ल०) से मुहब्बत

नबी (सल्ल०) से पूछा गया कि आपको कौन ज़्यादा महबूब है ? फ़रमाया, फ़ातिमा । इमाम ज़ेहनी फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल०) के नज़दीक औरतों में हज़रत फ़ातिमा और मर्दों में हज़रत अली ज़्यादा महबूब थे । नबी (सल्ल०) के दिल में हज़रत फ़ातिमा (रज़ि०) की इतनी मुहब्बत थी कि जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता

था । उनके शर्फ़ के लिए बस इतना काफ़ी था कि आप उनके इस्तिक़बाल में खड़े हो जाते थे और उन्हें अपनी जगह बिठा देते थे । इस सिलसिले में इमाम बुख़ारी (रह०) ने हज़रत आइशा (रज़ि०) से रिवायत की है । वे कहती हैं कि मैंने हज़रत फ़ातिमा से ज़्यादा किसी को नहीं देखा जो बातचीत, व्यवहार आदि में नबी (सल्ल०) से ज़्यादा समानता रखता हो । आप जब हज़रत फ़ातिमा को आते हुए देखते तो ख़ुशआमदीद कहते, खड़े होकर उनका बोसा लेते फिर उनका हाथ पकड़कर अपनी जगह बिठा देते । हज़रत फ़ातिमा ने नबी (सल्ल०) की मुहब्बत का यह आलम था कि आप उनकी सीरत से ख़ुशी महसूस करते थे । ख़ुशी के आसार आपके मुबारक चेहरे पर ज़ाहिर हो जाते थे । एक मर्तबा आपने महसूस किया कि हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा के बीच कुछ अनबन हो गयी है, जाकर सुलह करायी । आप (सल्ल०) से पूछा गया कि आप एक ख़ास कैफ़ियत में उनके घर गये थे और बाहर आये तो आप ख़ुशी के आसार देख रहे हैं । आपने फ़रमाया, मुझे कौन बाज़ रख सकता है, मैंने अपने दोनों महबूबों के दर्मियान सुलह-सफ़ाई करा दी है ।

जिस तरह नबी (सल्ल०) हज़रत फ़ातिमा की मसर्रत से ख़ुशी महसूस करते थे, उसी तरह उनकी तकलीफ़ से दुखी भी हो जाते थे । उनके हालचाल मालूम करने का बड़ा ध्यान रखते थे । बयान किया जाता है कि हज़रत अली ने अबू जहल की बेटी को निकाह का पैग़ाम देना चाहा । जब हज़रत फ़ातिमा ने सुना तो नबी (सल्ल०) की ख़िदमत में हाज़िर हुईं और अर्ज़ किया, आपकी क़ौम समझती है कि आपकी बेटी को नाराज़ नहीं करेगी । यह अली हैं जो अबू जहल की बेटी से निकाह करने वाले हैं । आप मिम्बर पर तशरीफ़ लाये और फ़रमाया, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मैं उसे तक्लीफ़ दिया जाना पसन्द नहीं करता । एक ही आदमी के निकाह में रसूल की बेटी और अल्लाह के दुश्मन की बेटी नहीं रह सकती ।

हज़रत फ़ातिमा की रियायत में हज़रत अली ने निकाह का इरादा छोड़ दिया, जल्दी से उनके पास गये और खेद व्यक्त किया । और उम्र भर ऐसे काम से बचते रहे जिससे उन्हें दुख पहुंचे । हज़रत अली से रिवायत है कि वे कहते हैं कि मैंने नबी (सल्ल०) से पूछा, आपकी निगाह में ज़्यादा महबूब मैं हूं या फ़ातिमा ? फ़रमाया, मेरी निगाह में फ़ातिमा ज़्यादा महबूब हैं और तुम उससे ज़्यादा सम्माननीय हो । इससे मालूम होता है कि हज़रत फ़ातिमा के साथ मुहब्बत और हज़रत अली का मान-सम्मान उनके रिश्ते की वजह से थी ।

ख़ुशगवार ज़िन्दगी बसर हो रही थी कि हज़रत फ़ातिमा (रज़ि०) गर्भवती हो गयीं । जब माह शाबान 3 हिजरी में उनके पहले बच्चे का जन्म हुआ तो हुज़ूर (सल्ल०) को इसकी ख़बर दी गयी । इस मुबारक ख़बर से आप बहुत ख़ुश हुए और तमाम सहाबा को भी नवासा-ए-रसूल की विलादत से ख़ुशी हुई । उनकी विलादत के सातवें दिन आपने एक मेढ़े को ज़ब्ह करके अक़ीक़ा किया और बच्चे के सिर के बाल मुंडवाये, और हुक्म दिया कि इन बालों के वज़न के बराबर चांदी सदक़ा की जाए । नवजात बच्चे को देखने के लिए आप हज़रत फ़ातिमा के घर आये, उनका नाम हसन रखा । दाहिने कान में अज़ान दी । शाबान 4 हिजरी में हज़रत हुसैन की विलादत हुई । इस शुभ अवसर पर भ वही सब कुछ किया जो हसन के साथ किया था । ये दोनों ख़ुशक़िस्मत बच्चे हुज़ूर (सल्ल०) की निगाह में बड़े महबूब थे । इनके बारे में हुज़ूर (सल्ल०) ने फ़रमाया कि ये दोनों दुनिया में मेरे लिए ख़ुशबू हैं । आगे फ़रमाया ये दोनों जन्नत के जवानों के सरदार होंगे ।

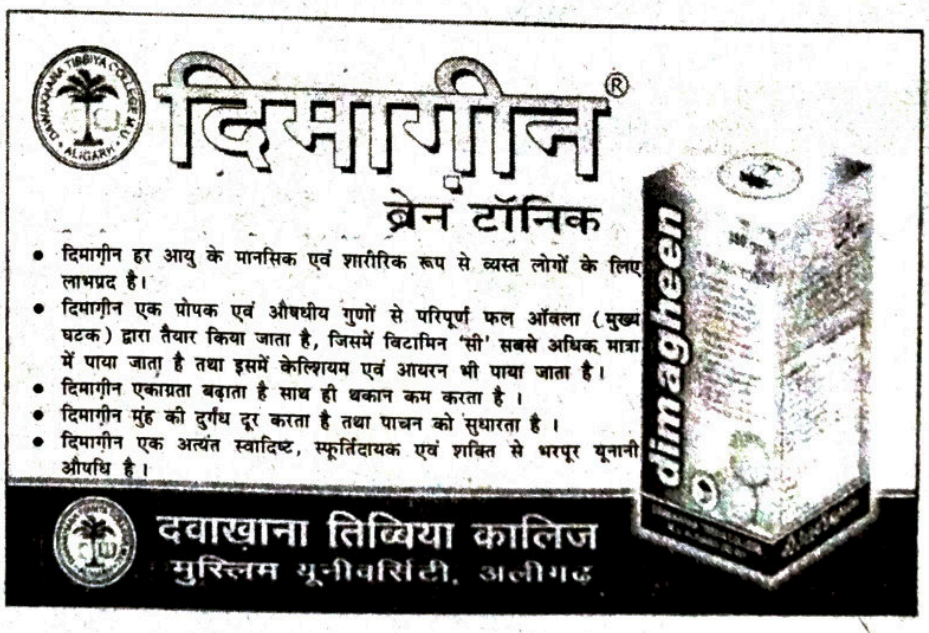



हमारी नई किताब

शैतानी धोखे के विभिन्न रूप

लेखक: डा० सय्यद शाहिद अली

पृष्ठ 96

मूल्य 40 ₹

शैतान क्या है? शैतान क्यों है? शैतान कैसा है? शैतान मनुष्यों को किस-किस तरह बहकाता है? इन प्रश्नों का उत्तर इस पुस्तक में मिलेगा। शैतान इस सांसारिक जीवन में मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है इसलिए मनुष्य को सावधान रहना चाहिये। मनुष्य अपने प्रत्येक अच्छे या बुरे काम का स्वयं ज़िम्मेदार है शैतान केवल मनुष्य को बहकाता है। वास्तव में शैतान को मनुष्य के इम्तिहान के लिए छूट दी गयी। इन्ही सब बातों की इस पुस्तक में व्याख्या की गयी है।

हमारी अन्य पुस्तकें

इस्लाम आतंक या आदर्श?	(उर्दू, हिन्दी, अंग्रेजी)	स्वामी लक्ष्मीशंकराचार्य	₹ 40=00
ग़लत फहमियों का निवारण	(उर्दू, हिन्दी, अंग्रेजी)	डा० ज़ाकिर नाईक	₹ 25=00
डा० अम्बेडकर और इस्लाम	(उर्दू, हिन्दी)	आर० एस० आदिल	₹ 10=00
इतिहास के साथ यह अन्याय	(उर्दू, हिन्दी)	बी० एन० पाण्डे	₹ 7=00
मुहम्मद (सल्ल०) इस्लाम के पैग़म्बर	(हिन्दी, अंग्रेजी)	प्रो० रामा कृष्णा राव	₹ 15=00
हज़रत मुहम्मद और भारतीय धर्म ग्रन्थ	(हिन्दी)	डा० एम० ए० श्रीवास्तव	₹ 18=00
रियाजुस्सालिहीन (हदीस संग्रह)	(हिन्दी)	इमाम मुहिउद्दीन अन-नव्वी	₹ 17=00

दावती काम करने वालों और मुफ़्त तक़सीम करने वालों के लिए विशेष छूट।

मधुर सन्देश संगम

E-20, अबुल फ़ज़ल इन्क्लेव, जामिया नगर,
ओखला, नई दिल्ली - 110025
फोन : 011 - 26953327, 09212356332
E-mail :madhursandeshsangam@yahoo.co.in

मेरी मौत

❖ मासूम अंसारी
(लखनऊ, उ०प्र०)

मेडिकल कॉलेज के टी०बी० वार्ड के पहले गेट पर मेरा पहला क़दम पड़ा । मेरी निगाहें दोनों पैरों पर जम गयीं, बायां पैर आगे बढ़ा था, थोड़ा-सा नहीं में सर हिलाती हुई आगे चल दी । सामने से एक गाड़ी गुज़री जिसके ऊपर या यूं कहें उसके माथे पर "लाश के वास्ते" लिखा था । मैं कुछ उत्सुकता से खिड़की के शीशों से देखने का प्रयत्न करने लगी इतने में वह गाड़ी आगे बढ़ गयी । मगर इस नज़ारे के बाद मुझे यह ख़याल तक न रहा कि ट्यूबर क्लोसिस वार्ड तक पहुंचने के लिए कौन-सा क़दम आगे बढ़ा रही हूं । पापा तो यह मंज़र देखकर तेज़-तेज़ क़दम से मुझ से और मम्मा से आगे बढ़ गये । पर मम्मा ने अपने धड़कते हुए दिल और कांपते हुए हाथों से मेरा कंधा थाम लिया । समझ में नहीं आ रहा था कि वह मेरे कंधों को मज़बूती से पकड़े हुए अपने ममत्व भरे दिल को तसल्ली दे रहीं या मुझे इस माहौल से न सहमने के लिए तसल्ली दे रहीं थीं ।

जब मैं उनके इस तरह सहमने से घबरायी तो मुस्कराती हुई तरह-तरह की बातें बनाती हुई आगे बढ़ने लगी । जिससे मेरी मम्मा का ध्यान बंटा तो मुझे डांट कर कहा बहुत बातें बनाती हो, रहो यहां कुछ दिन तो तुम्हारा दिमाग़ सुधर जाए। पर मैं उन्हें कैसे बताती कि मेरा मन एक पल भी यहां रहने को तैयार नहीं है । न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि सब कुछ छूट रहा हो, हर अगला क़दम टी०बी० वार्ड तक जाने के लिए बढ़ रहा था या कहीं और...? मन तो कर रहा था दौड़ कर अपनी दुनिया में वापस लौट जाऊं, टी०बी० वार्ड की झलक तक दिखलाई न दे ।

वार्ड के दरवाज़े पर ही से जो नज़ारा देखा तो उसी में मैं खो गयी । दाहिना पैर बढ़ा या बायां ख़बर ही न रही । कुछ मरीज़ पलंग पर लेटे-बैठे थे कुछ ज़मीन पर बिस्तर लगाये वार्ड की छत पर बेआस नज़रें जमाये लेटे थे, कुछ मरीज़ मुसम्मी छील कर खा रहे थे और अपने पड़ोसी मरीज़ मित्र से बातें बना रहे थे और उनके चेहरों पर सुकून भी दिखलायी दे रहा था । थे तो यह भी उन बेआस मरीज़ों की तरह मरीज़, मगर उनके चेहरों पर वह परेशानी न थी कि दूसरा भी उलझ कर रह जाए । यही तो मैं भी चाहती थी दिली तसल्ली भुलाया जाए वह ग़म वह डर जो हमारी ज़िन्दगी के लम्हे खा रहा था । हम जीकर भी क्यों मरें । मुझे मेरा बेड मिल गया था बेड नम्बर 76 । पास में बेड नम्बर 75 पड़ा था उस पर 45 बरस की औरत ब्लाउज़ पेटीकोट पहने हुए बैठी थी । शरीर इतना सूखा था कि उसका बलाउज़ उसके जिस्म पर हिल रहा था । उसकी पसलियों की एक-एक हड्डी देखकर ही गिनी जा सकती थी । पेट सुकड़ा हुआ लटक रहा था । चेहरे पर पीलापन था । हाथ-पैर पीले और नाख़ून सफ़ेद थे । उसने अपने उलझे बालों को समेट कर जूड़ा बनाया और बेड के नीचे हाथ बढ़ाये शायद चप्पल लेना चाह रही थी, थोड़े से प्रयास के बाद चप्पल निकाली और बाथरूम की तरफ़ चल दी ।

उसको देखकर मैं उलझ कर रह गयी । चेहरे पर एक भी मुस्कान नहीं कोई अंदाज़ नहीं हां शायद एक नज़र मुझ पर डाली थी या पड़ गयी थी । तब भी उन आंखों में कोई भाव नहीं था उफ़ । यह ज़िन्दगी है या मौत ?

आज यहां मुझे आये हुए आठ दिन पूरे हो गये थे । सभी मरीज़ों में मैं कम उम्र थी । चेहरे के भाव बनते थे बिगड़ते थे । अच्छे कपड़े पहनना धूप में बालों को सुखाना, कंघा करना । आईना देखना आदि मेरे शौक़ थे । मेरा रंग जो सफ़ेदी और पीलापन लेने लगा था इसे मिटाने के लिए मैं बार-बार मुंह पर पानी मारती उंगलियों से गालों को रगड़ देती और आईना देखकर ख़ुश होती ।

ख़ामोशी में मेरा दम घुटता था, बहुत बोलने की वजह से जल्दी ही मेरी दोस्ती मरीज़ों से हो गयी थी कुछ मरीज़ मित्रों के रिश्तेदारों से भी मेरी बात हो जाया करती थी । एक अच्छी जान-पहचान सी हो गयी थी किसी की मुसम्मी छील देना, किसी के धूप में सूखते कपड़े उठा कर ला देना, किसी की कंघी करना, तो किसी के सर से जू निकालना, बेड नम्बर 75 की चप्पल बाहर खींच देना क्योंकि उनके हाव-भाव समझने लगी थी, कभी-कभी उनकी मुस्कराहट की वजह बन जाती मैं । किसी के लिए पानी लिए चले आना, किसी के सर में तेल डालना मेरा सारा समय यूं ही बीत जाता । पता ही न चलता कि वक़्त कब आया और

गया।

आज मन में यह आ रहा था कि इस बेक़ाबू मन को अन्दर से बाहर निकाल कर फेकूं । मेरी प्यारी दादी मेरे भाई-बहन मुझ से मिलने आये थे और वह वार्ड से बाहर जा रहे थे । आज अपनी उस दुनिया की बहुत याद आ रही थी। अपने साथी अपना घर, घर का बाग़ीचा अपना बिस्तर । आज दिल में यह लालसा पैदा हो रही थी कि जल्दी से मेरा कोर्स पूरा हो और मैं हंसती-खेलती वापस अपनी दुनियां में लौट जाऊं । मैं खोयी हुई थी नर्स ने मुझे हिलाया "बेड नम्बर 76 तुम्हारा ब्लड टेस्ट है चलो ।" मैं टेस्ट करा कर लौटी कुछ भी अच्छा न लग रहा था । ज़मीन पर बिछे बिस्तर पर बैठ और साथ वाले मरीज़ की मुसम्मी छीलने लगी । एक ने पूछा "तुम्हारा ब्लड टेस्ट हो गया कोई दिक़्क़त तो नहीं हुई ।" "मैंने कहा मुझे तो कोई दिक़्क़त नहीं हुई । हां, डॉ॰ सरला ने मेरी बातों से परेशान होकर दो-तीन बार कानों में उंगलियां ज़रूर लगायी थीं । वार्ड के सभी लोग मेरी इस हरकत पर हंस रहे थे । वह जी रहे थे मैं जी रही थी ।

अगली सुबह डॉक्टरों की मीटिंग ने मुझे निराश कर दिया था । कुछ का बहना था कि मुझे ट्यूबर क्लोसिस नहीं है दिल से जुड़ी कोई प्राब्लम है । कुछ कहते टी॰बी॰ है । इसलिए मुझे कभी इस वार्ड से उस वार्ड में तो कभी फिर उसी वार्ड में कर दिया जाता । मुझे मर्ज़ क्या है इसका सही पता नहीं लग पा रहा था । मुझे कभी कोई डोज़ दी जाती तो कभी कोई और । डोज़ के बदलने पर मुझे काफ़ी परेशानी होती थी पर इससे बड़ी परेशानी कि मेरा मर्ज़ क्या है ? मैं जल्दी से अच्छी होना चाहती थी । वार्ड से बाहर जाना चाहती थी ।

आज पूरा एक महीना हो गया था मेरे परिजन मुझ से मिलने आये थे मेरी दादी की उंगलियां मेरी उंगलियों के आगे चमकदार गुलाबी लग रही थीं । मेरी पीली पड़ चुकी थी जिसका एहसास मुझे शीद्दत से हुआ । मेरा इलाज क्या है ? किसी को कुछ सही पता नहीं लग पा रहा था । मेरे माता-पिता कुछ ज़्यादा ही चिंतित होने लगे थे । मेरे परिजन वापस लौट रहे थे मैं उनको वार्ड से बाहर जाता हुआ देख रही थी मायूसी को कितना भी छुपाओ अपना अक्स चेहरे पर छोड़ ही देती है । मेरी मां ने मेरा चेहरा ग़ौर से देखा "क्या हुआ मेरे बच्चे ।" वह एक दर्द भरी आवाज़ में पूछ रही थीं ।

इस दर्द से मैं कराह उठी, "कुछ नहीं मम्मा मैं सोच रही थी कि डॉ॰ सरला कितनी व्यस्त रहती है उनका मन कभी तो आराम करने को चाहता होगा और जब मैं टेस्ट करने जाती हूं तो मेरी बातें उन्हें परेशान कर देती हैं । बस वह मेरी भोली सूरत पर मुझे छोड़ देती है वरना कोई और हो तो ऐसी डांट लगाये कि उनके सामने सांस तक न ले । है ही मेरी सूरत इतनी प्यारी । मेरे अन्दर की आवाज़ ने मुझे टोका" है नहीं थी ।" पर अपनी मां को हंसता देखकर मैं भी हंस दी ।

"मैडम जी अभी से सोने जा रही हो ।" यह बेड नम्बर 75 थी । जो बड़े शोख अंदाज़ में मुझे छेड़ कर पूछ रही थी । मैं भी शोख होकर बोली "रोज़ तो सबको परेशान करके देर रात आख़िर में लेटती हूं पर रोज़-रोज़ के टेस्ट ने मेरा मूड ऑफ़ कर दिया है । इसलिए जल्दी सोकर अपना मूड सही करना चाहती हूं । कल सुबह ही सुबह सबसे पहले आपको परेशान करूंगी । बस सुबह का इन्तिज़ार है वह भी बेसबरी से ।" हंसते हुए मैं लेट गयी उन पर मेरी नज़र पड़ी वह भी हंस रही थी । एक पल के लिए मेरे मन में ख़याल आया कहीं मैं इनको आख़िरी बार तो नहीं देख रही । आज फिर मैंने पहले दिन की तरह नहीं में सर हिलाया । और चादर से मुंह को ढक लिया । और मेरी सुबह मेरा इन्तिज़ार मेरी ज़िन्दगी मेरी पलकों में बन्द होकर रह गयी सदा के लिए ।

"ऐ लोगो अपने रब का डर रखो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और उसी जाति का उसके लिए जोड़ा पैदा किया और उन दोनों से बहुत से पुरुष और स्त्रियां फैला दीं।"
-क़ुरआन

Sauker
Fisheries
GOA

सूखी नदी का चिन्तन

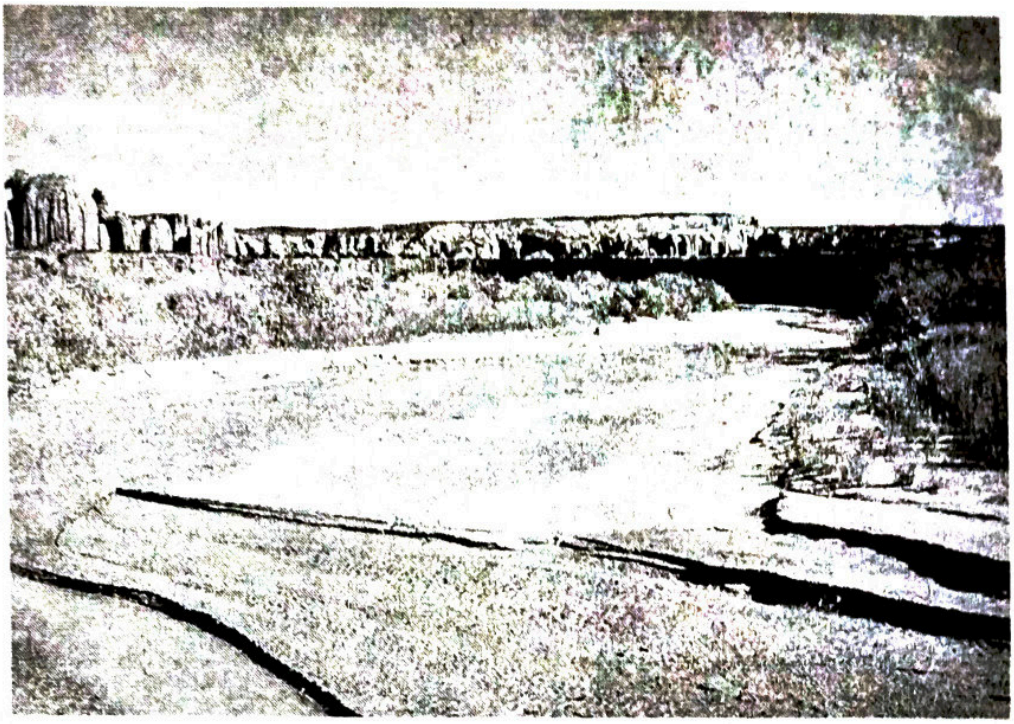

आज फिर उसी तिराहे पर खड़ा हूं
जहां से जीवन शुरू हुआ
जहां पला-बढ़ा
धूप की प्रचंडता देखी
शीतल समीर के साथ
छांव में लिपटी
कुहासे की चादर ओढ़े
सोयी रहती थी वह
मेरा जीवन, मेरी लय, मेरी गति थी...
वह जीवनदायिनी !
.....
एक नदी थी
जो नवगज़वा से बहती थी
अभी तो अर्द्ध शती
भी नहीं बीती !!
कहां है वह ?
कहां है उसकी निर्मल धारा
जो थी सबका सहारा
जानता हूं
अब तू नहीं बहती
तेरा पानी जम चुका है
ऊपर से सड़ांध
नाले में तब्दील होकर भी
तेरा यह हाल है !?
और तेरी भवितव्य
संतति का ???
.....
वह नदी थी जो
सुखद
स्मृति-बोध कराती है
कहां है वह
अपनी थाती ?
जिस पर सवार होता था मैं
बालमन के सपने बुनता था !
.....
क्या ये गीली लकड़ियां हैं
नाले का परवर्ती रूप ?
आज कुछ ऐसी ही
कल्पना के सहारे खड़ा हूं !
और ये लकड़ियां...
सुलगती हुई
मेरे विचारों की तरह,
बौनी पड़ती ।
शायद इनका भी पानी मरने वाला है ?!
.....
इन घनेरे वृक्षों की छांव
जहां अब पथिक नहीं
रेतीले भहराए तट हैं...
दूर-दूर तक...
नदी के कंकाल को
मैं साफ़-साफ़ देख रहा हूं
नीर नहीं...समीर नहीं
दोनों काले/ज़र्द पड़ गये हैं !
अस्थि भी ऐसी नहीं कि
अंतिम संस्कार हो !
बस त्राहिमाम, बस त्राहिमाम
औपचारिकता निभा लेता हूं
उसके साथ...
जो समय के साथ सूख गयी...
उन विचारों की तरह
जो सद्क्रांति लाते थे ।

● डॉ॰ मुहम्मद अहमद

ये बदलाव ले जाएंगे सुनिर्माण की ओर

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं आर्थिक न्याय मंच के संस्थापक श्री रोशनलाल अग्रवाल की भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरी दृष्टि है । उन्होंने इसके सभी पहलुओं का विहंगम एवं सघन अध्ययन किया है । वे आर्थिक क्षेत्र में सुधार के लिए दशकों से सक्रिय हैं । 'कान्ति' के अनुरोध पर उन्होंने अपने महत्वपूर्ण एवं उपयोगी विचारों व सुझावों को लेखाकार दे दिया है । इस बृहत आलेख के महत्वपूर्ण हिस्सों को यहां विचारार्थ प्रकाशित किया जा रहा है । इस पर हम सुधी पाठकों के विचार भी आमंत्रित करते हैं । ■ संपादक

❑ रोशनलाल अग्रवाल
(संस्थापक–'आर्थिक न्याय मंच')

परिवर्तन की बात तो आज अनेक लोग कर रहे हैं किन्तु अधिकांश लोग यह भी नहीं जानते कि परिवर्तन का अर्थ क्या है ? वर्तमान में यह मूल कमी है कि यह देश के नागरिकों को वास्तविक तौर पर देश का मालिक नहीं बनाती । क्योंकि नये सत्ताधीशों ने क़ानूनों में कोई ऐसा बदलाव नहीं किया जो उनसे अपेक्षित था । किन्तु इसके लिए केवल उन्हें ही दोषी ठहराना क़तई उचित नहीं है । इसके लिए मुख्य दोष देश के चिंतकों, विचारकों, विशेषज्ञों और विद्वानों का है, वे अपने इस दायित्व को पूरा करने में विफल रहे हैं ।

अब समाज को केवल ऐसे प्रावधानों की ज़रूरत है जो देश के नागरिकों को वास्तविक तौर पर मालिक बनाते हों । आज हम जिस व्यवस्था में रह रहे हैं उसे लोकतंत्र कहा जाता है । लोकतंत्र में जनता ही वास्तविक मालिक मानी जाती है । किन्तु देश के आज़ाद होने के बाद ऐसे बदलाव नहीं हुए जो देश की जनता को वास्तविक तौर पर देश का मालिक बनाते हों । अत: यह कार्य देश के क़ानूनों में उचित परिवर्तन के द्वारा ही संभव है । इसे करने के लिए हमें जानना होगा कि मालिक के मूल अधिकार कौन से होते हैं और उनके लिए हमारे संविधान और क़ानूनों में उचित बदलाव क्या होना चाहिए और वह कैसे संभव है ? अत: हम पहले यह जान लें कि मालिक के मूल अधिकार क्या हैं–

1. स्वयं निर्णय का अधिकार

यह मालिक का सबसे प्रमुख अधिकार है और इसके बिना आज़ादी का अर्थात मालिक होने का भी कोई अर्थ नहीं होता । हालांकि हमारी वर्तमान व्यवस्था में सैद्धांतिक रूप से मतदान के अधिकार के रूप में यह अधिकार प्राप्त है किन्तु व्यावहारिक तौर पर इसका कोई अर्थ नहीं है । इसका कारण यह है कि विचारवान लोगों अथवा सत्ता में बैठे लोगों द्वारा इस अधिकार के सही उपयोग पर विचार ही नहीं किया गया । आम आदमी को समझाने की बात तो अलग है । मतदान का अधिकार इतना शक्तिशाली है कि सत्ताधीशों की नाक में नकेल डालकर मनचाहा काम उनसे करवाया जा सकता है ।

इस अधिकार को व्यावहारिक स्वरूप देने के लिए देश के नागरिकों को अपने मत देने के अधिकार का सही उपयोग ज्ञात होना चाहिए । वे मतदान करने से पहले व्यापक तौर पर यह विचार-विमर्श करें कि उनकी समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है । उदाहरण के तौर पर आज अगर देश का 90 प्रतिशत व्यक्ति अपनी आर्थिक समस्याओं से ग्रस्त है तो उसे इन्हीं समस्याओं का समाधान को अपना मुख्य मुद्दा बनाकर उन लोगों को अपना वोट देना चाहिए जो उनकी इन समस्याओं को स्पष्ट सोच के आधार पर हल करने की क्षमता रखते हों । इसके अतिरिक्त भी उन्हें अपने संवैधानिक नियमों और क़ानूनों में जो भी उचित बदलाव करवाना हो उससे चुनाव का मुद्दा बनाया जाना चाहिए ताकि वे ही लोग जीत

जनता को मिले नैसर्गिक हक़

कर जाएं जो उस समस्या को हल करने के लिए समाज द्वारा बताए गये उपाय को स्वीकार करते हों ।

2. मालिक का दूसरा अधिकार

मालिक का दूसरा अधिकार सब कुछ जानने का अधिकार है । किन्तु देश के शासन प्रशासन और अर्थव्यवस्था में गोपनीयता का प्रावधान मालिक के इस अधिकार को पूरी तौर पर ख़ारिज करता है । अत: गोपनीयता का यह प्रावधान देश के मालिकों का अपमान भी है । इसी की आड़ में हमारी विधायिका और कार्यपालिका में जाने वाले विशेषाधिकार सम्पन्न लोग सारे षड्यंत्र रचते हैं और अपने पद के दुरुपयोग का कुकर्म भी करते हैं । देश में मौजूद काले धन और भ्रष्टाचार का मूल कारण भी यह गोपनीयता ही है । देश में बनायी जाने वाली ग़लत नीतियों और उनके ग़लत क्रियान्वयन केवल गोपनीयता के कारण ही संभव होते हैं।

आज जो लोग किसानों, मजदूरों, गरीबों, हिन्दुओं, मुसलमानों, दलितों, ईसाईयों व अन्य पंथों, जाति, रोज़गार, लिंग-भेद अथवा अन्य किसी भी भेदभावपूर्ण आधार पर विशेष लाभ देने की बात को चुनाव में अपना मुद्दा बनाते हैं, वे जाने-अनजाने में समाज को तोड़ते हैं और उसे कमज़ोर बनाते हैं। इस प्रकार के प्रचार से केवल अन्याय, अत्याचार करने वालों तथा अपराधियों को बल मिलता है। व्यापक न्यायपूर्ण सामूहिक हित के मुद्दों के उठने पर देश का आम नागरिक जागरूक होगा और अपने न्यायोचित अधिकारों के लिए स्वयं उठकर खड़ा हो जाएगा।

3. मालिक का तीसरा मूल अधिकार

इस अधिकार के अंतर्गत अपने प्रबंधकों से देश की आय-व्यय, सम्पत्ति और साधनों का पूरा हिसाब-किताब लेना है । हमारी शासन व्यवस्था में कोई ऐसा शासकीय विभाग नहीं है जो देश की सामूहिक और निजी स्वामित्व की संपत्तियों का सच्चा विवरण रखता हो । सरकार को आज यह पता ही नहीं है कि देश में संपत्ति का निजी हाथों में वितरण किस प्रकार है । यदि यह पता रहे तो काला धन रह ही नहीं सकता । इस स्थिति का मूल कारण है निजी संपत्ति की गोपनीयता का क़ानून । एक सीमा से अधिक आय या संपत्ति होने पर देश के हर नागरिक को उसका विवरण (आयकर रिटर्न के द्वारा) सरकार को देना अनिवार्य होता है किन्तु इस रिटर्न की जानकारी देश का कोई दूसरा नागरिक नहीं ले सकता । आज बड़े-बड़े धनपति व सत्ता पर बैठे लोग भी झूठा आयकर विवरण (I T Return) दे रहे हैं । इसी कारण देश का हर नागरिक झूठा आयकर विवरण दे रहा है । इसका अर्थ यह है कि आज बड़े लोग भी झूठा आयकर विवरण दे रहे हैं । यह स्थिति कितनी ख़तरनाक है, इस पर गहराई से विचार करने की ज़रूरत है । झूठ की नींव पर सत्य का भवन नहीं बन सकता । यह बात सबको समझ लेनी चाहिए कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण, अर्थहीन और विवेकहीन गोपनीयता को ख़त्म किये बिना किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता ।

4. मालिक का चौथा मूल अधिकार

इस अधिकार के अंतर्गत देश के शुद्ध लाभ में हर नागरिक का हिस्सेदार होना है । देश के सारे साधनों, संपत्ति और प्राकृतिक संसाधनों के मूल स्वामी देश के सारे नागरिक हैं । उन्हें यह अधिकार जन्म से ही प्राप्त होता है। अत: सबका यह मूलभूत अधिकार समान है और इसका संबंध व्यक्ति की योग्यता, क्षमता, सक्रियता, मेहनत या अन्य किसी भी विशेषता से स्थापित नहीं किया जा

सकता । इसलिए इन सारे साधनों से होने वाली शुद्ध आय पर भी देश के सारे नागरिकों का समान अधिकार होता है जो सबको लाभांश के रूप में मिलना चाहिए, किंतु यह उन्हें नहीं मिल रहा है । यह देश के नागरिकों के न्यायपूर्ण मौलिक अधिकार का हनन है । भयमुक्त, अभावमुक्त, सम्पन्न और शान्तिपूर्ण समाज की स्थापना भी न्यायपूर्ण वितरण के द्वारा ही संभव है । इन सब का सार है शुद्ध लाभ का सब में लाभांश के रूप में समान वितरण ।

सुसमाज की परिकल्पना

समाज में सुसमाज की स्थापना के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि हम न्याय के मूल आधार को ठीक प्रकार से समझ लें, क्योंकि इसका मूल आधार न्याय ही है । न्याय के दो मूल तत्व हैं–समानता और स्वतंत्रता । आज समाज (पूरे विश्व) में प्रचलित व्यवस्थाओं को यदि हम इस कसौटी पर परखें तो सभी या तो खोटी सिद्ध होती हैं या अमूर्त और अस्पष्ट । अत: ऐसे बदलाव समाज में नये-नये टकराव और समस्याओं को जन्म भी देते रहते हैं । समाज में शांति की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि व्यवस्था न्याय की कसौटी पर खरी हो । तभी वह समाज में शांति की स्थापना करने में समर्थ हो सकती है ।

न्याय की आवश्यकता वहां पड़ती है जहां किसी प्रकार का विवाद होता है । प्राय: यह विवाद स्वामित्व या अधिकार को लेकर ही होता है । विवादग्रस्त पक्षों में एक पक्ष दूसरे पक्ष की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है तो दूसरा पक्ष कमज़ोर ।' शक्तिशाली व्यक्ति हमेशा न्याय का अर्थ स्वतंत्रता से लेता है, जबकि कमज़ोर व्यक्ति उसका अर्थ समानता से लेना चाहता है । ताक़तवर व्यक्ति का तर्क यह होता है कि वह अपनी प्रतिभा के बल पर जो कुछ भी अर्जित करता है उसे व्यय और संग्रह करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए । इस स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया जाना उसके साथ अन्याय है । अर्थात वह अर्जित करने, व्यय करने और संग्रह करने की पूर्ण अर्थात सीमाहीन स्वतंत्रता चाहता है किन्तु दूसरी ओर कमज़ोर व्यक्ति का तर्क यह होता है कि जब प्राकृतिक संसाधनों पर सबका समान अधिकार है तो उसके मूलभूत अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए । यह उसके साथ अन्याय है जो शक्तिशाली व्यक्ति को पूर्ण यानि असीमित स्वतंत्रता देने से मिल जाता है । इस समस्या का समाधान यही हो सकता है कि एक व्यक्ति की अधिकतम स्वतंत्रता को परिभाषित किया जाए ताकि दोनों ही पक्षों की न्याय की मांग पूरी हो सके । इस प्रकार न्याय स्वतंत्रता और समानता का विवेकपूर्ण समन्वय है ।

सामाजिक व्यवस्था (राजनैतिक, आर्थिक व अन्य सभी उपव्यवस्थाएं) एक व्यापक समझौता है जिनका उद्देश्य सब लोगों के हितों में न्यायपूर्ण सामंजस्य के द्वारा, उनके बीच होने वाले हितों के टकराव को रोकना और उनके बीच परस्पर पूरकता के संबंध स्थापित करना है ।



इसी से सब लोग भयमुक्त, अभावमुक्त, सम्पन्नता, सम्मान, संतुष्टि और शान्ति का जीवन जी सकते हैं ।

इस प्रकार समस्या का मूल कारण अर्थ है और उसका समाधान है आर्थिक न्याय, जिसे बोलचाल की भाषा में हम लोग संपत्ति कहते हैं । इसके लिए यह आवश्यक है कि एक व्यक्ति के न्यायपूर्ण संपत्ति अधिकार को परिभाषित किया जाए । व्यावहारिक दृष्टि से न तो व्यक्ति को संपत्ति अधिकार से वंचित किया जाना चाहिए और न ही असीमित संपत्ति अधिकार दिये जाने चाहिए ।

''एक नागरिक की औसत सीमा से अधिक मूल्य की संपत्ति पर कर लगाया जाए और व्यवस्था का ख़र्च (बजट) काटकर शेष राशि को देश के सारे नागरिकों में लाभांश के रूप में समान रूप से बांट दिया जाना

चाहिए । अन्य सभी प्रकार के कर जैसे–आयकर, उत्पादन कर, विक्रय कर, सेवा कर व अन्य सभी प्रकार के अन्य करों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए ।''

यह समाज में विद्यमान विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सहज समाधान होगा । यह प्रकृति, पर्यावरण, उत्पादन और उपभोग के बीच प्राकृतिक समन्वय की स्थापना करेगा । समाज में विद्यमान अन्यायपूर्ण आर्थिक विषमता, गरीबी, अभाव, लाचारी, गुलामी, शोषण, अन्याय, अपमान, बेरोज़गारी, आतंकवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद, अविश्वास, अपराध, अज्ञान, विवाद, टकराव, युद्ध और विनाश की सभी स्थितियों का अंत कर एक स्वस्थ समाज का निर्माण करेगा ।

देश के व्यापार, उद्योग, कृषि, पशुपालन और उत्पादन के साथ-साथ सभी प्रकार के सेवा क्षेत्रों को कल्पनातीत ऊंचाइयों पर ले जाएगा । हर प्रतिभावान को अपनी प्राकृतिक प्रतिभा का विकास करने का पूरा अवसर देगा और हर नागरिक को अपनी प्राकृतिक रुचि के अनुसार अपना कार्य क्षेत्र चुनने की भी पूरी स्वतंत्रता देगा । सेवा और विकास के अन्य सभी क्षेत्रों को सहज रूप से पूर्ण विकसित होने की भी पूरी अनुकूलता प्रदान करेगा ।

इसे ठीक से समझने के लिए समाज में धन की गतिशीलता के सिद्धांत की समझ होना अत्यंत आवश्यक है । इसे दो प्रकार से समझा जा सकता है–

1. एक स्वस्थ समाज में धन को निरन्तर गतिशील रहना चाहिए । उस का जड़ होना समाज को अस्वस्थ बना देता है । इसकी तुलना हम प्रकृति के जलचक्र से कर सकते हैं । समुद्रों का पानी सूर्य की गर्मी से भाप बनकर उड़ता है और भाप आसमान में जाकर वहां की ठंडक पाकर बादलों में बदल जाता है जो हवा के प्रभाव से चारों ओर फैल जाते हैं तथा अधिक ठंड पाकर ये पुन: पानी में बदलकर वर्षा के रूप में धरती पर बरसते हैं । इससे सारे जड़-चेतन और जीव-जन्तुओं को जीवन प्राप्त होता है । धरती हरी-भरी सुखदायी तथा प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण हो जाती है । फिर यही पानी जलाशयों, कुओं, नालों और नदियों के माध्यम से फिर समुद्रों में पहुंच जाता है । यही प्रक्रिया निरन्तर प्रकृति में चलती रहती है । किन्तु यदि यह प्रक्रिया रुक जाए तो धरती पर जीवन की कल्पना भी नहीं हो सकती । हमारी अर्थव्यवस्था भी इसी प्रकार की होनी चाहिए । किन्तु हमारी अर्थव्यवस्था में सारा धन धनपतियों (धन के समुद्र) तक तो पहुंच रहा है किन्तु वर्षा की तरह उचित मात्रा में पुन: नीचे नहीं आ रहा है । इसके कारण जहां धनपतियों के गोदाम भरे हैं वहीं जनता के पेट ख़ाली हैं ।

2. धन की गतिशीलता की तुलना हमारी शारीरिक संरचना से भी की जा सकती है । समाज में धन का वही स्थान है जो हमारे शरीर में ख़ून का होता है । हम जो आहार ग्रहण करते हैं, उसे ख़ून में बदलने का काम शरीर के केवल कुछ अंग ही कर सकते हैं । शरीर के अन्य अंगों में यह क्षमता नहीं होती । किन्तु शरीर के सारे अंगों को ख़ून की ज़रूरत होती है । उसके बिना वे न तो अपना काम ठीक प्रकार से पूरा कर सकते हैं और न ही ज़िन्दा रह सकते हैं ।

अत: हमारा हृदय बने हुए ख़ून को उन अंगों से लेकर शेष सारे अंगों तक पहुंचाता है जिसे पाकर वे सबल और स्वस्थ होते हैं तथा अपने-अपने दायित्वों का सही निर्वाह करते हैं । यही क्रिया निरन्तर चलती रहती है । इसी प्रकार धन को पैदा करने की सामर्थ्य सब लोगों में नहीं होती किन्तु आवश्यकता सब की होती है ।

यह दायित्व योग्य लोगों का है कि वे अपनी प्रतिभा द्वारा जो भारी सम्पन्नता पैदा करते हैं, वह न्यायोचित (वैज्ञानिक) रूप से देश के हर अयोग्य और योग्य सब तक पहुंचे । इसके बिना समाज में परिवार भाव पैदा नहीं हो सकता ।

इस प्रकार के प्रावधानों से पूरा समाज एक विशाल परिवार का रूप ले लेगा जिससे सारे प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता पैदा होगी । क्योंकि इनका विवेकहीन विनाश बंद होगा । मनुष्य के लालच पर अंकुश लग जाएगा । उत्पादन, विनिमय, वितरण और उपभोग में संतुलन स्थापित होगा । विनाशकारी प्रवृत्तियों और नकारात्मक विचारों में भी कमी आएगी, इसका समाज के सभी वर्गों पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा । जैसे–

1. सम्पन्नता सुख में बदलेगी

इससे समाज के सम्पन्न वर्ग की सम्पन्नता सुख में बदलेगी । क्योंकि तब सम्पन्न लोगों के प्रति समाज की दृष्टि ही बदल जाएगी । समाज उन्हें अपने कमाऊ सपूत की तरह समझने लगेगा ।

2. विपन्नों को लाभ

विपन्नों को विपन्न होने के सबसे बड़े अभिशाप से सब को मुक्ति मिलेगी । पेट भरने के लिए अनचाहा काम करने की आत्म पीड़ा सहने या अपराध करने की मजबूरी से सबको मुक्ति मिलेगी । अपनी प्रतिभा के विकास हेतु सारे साधन और सुविधाएं उन्हें सहज रूप से मिलेंगी । आशादी का वास्तविक अर्थ उन्हें समझ में आएगा । किसी भी बात के लिए उन्हें शक्तिशाली व्यक्ति के अन्याय, शोषण, अपमान या अवज्ञा का शिकार नहीं बनना पड़ेगा । वे सब भय-मुक्त, अभाव-मुक्त और सम्पन्नता का जीवन जी सकेंगे । वेश्यावृत्ति, बालश्रम, बच्चों को बेचने या चोरी करने की अमानवीय बाध्यताओं से भी मुक्ति मिलेगी ।

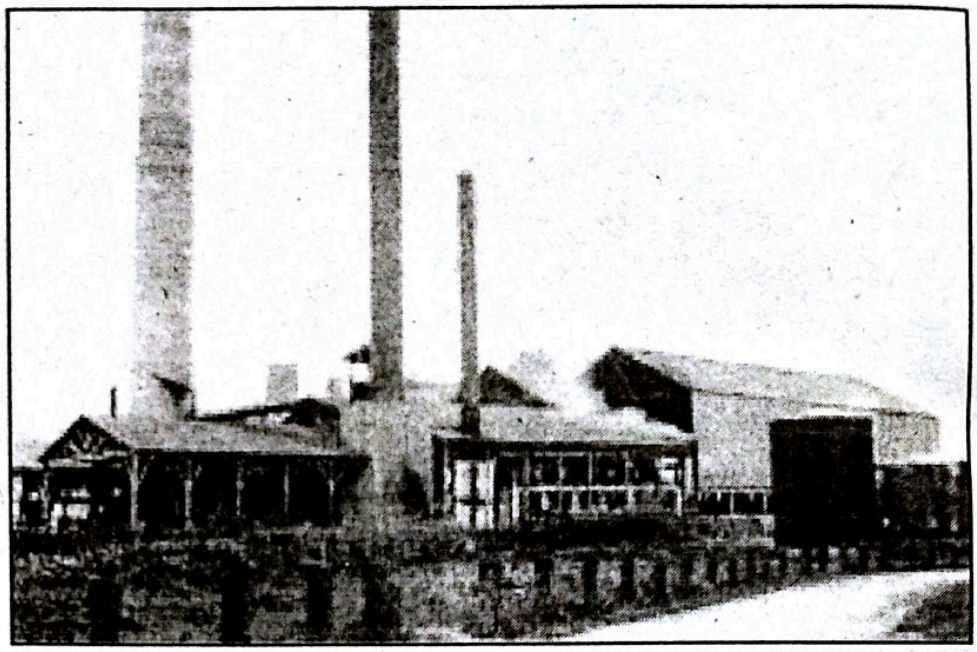

3. देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

इससे देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही अनुकूल प्रभाव पड़ेगा । उद्योग और व्यापार में मन्दी का ख़तरा समाप्त हो जाएगा । जब देश के सारे नागरिकों को लाभांश मिलेगा तो उनकी क्रयशक्ति में भारी वृद्धि होगी । वे इस धन का उपयोग अपने उपभोग की अनेक वस्तुओं को पूरा करने के लिए करेंगे ।

इससे इन वस्तुओं की मांग में भारी वृद्धि होगी जिसे पूरा करने के लिए हमारे उद्योगों, व्यवसायों, कृषकों, पशुपालकों आदि को पूरा करना होगा । इससे उन्हें पूरी योग्यता और क्षमता से काम करने का अवसर मिलेगा और उनका हर उत्पादन मुंह मांगे दामों पर बिकेगा । इससे उन्हें भारी मुनाफ़ा होगा । इससे उन्हें अपना माल बेचने के लिए किसी झूठ या हथकंडे का सहारा भी नहीं लेना पड़ेगा । सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के पास भी काम की कोई कमी नहीं होगी ।

4. बेरोज़गारी का ख़ात्मा

देश में बेरोज़गारी आज निश्चय ही अत्यन्त भयानक समस्या बनी हुई है किन्तु इसका समाधान करने के लिए इसके मूल कारण को समझना होगा । इसका मूल कारण उत्पादन और विनिमय की क्रियाओं में आया भारी बदलाव है । यह बदलाव कृत्रिम ऊर्जा, स्वचालित मशीनों और बैंकिंग प्रणाली के विकास से आया है । इससे उत्पादन और विनिमय की क्रिया अत्यंत सरल हो गयी है । जिस काम को पहले एक सौ लोग मिलकर भी काफ़ी समय में पूरा कर पाते थे अब उसे दस-पांच लोग ही थोड़े समय में हीं पूरा कर सकते हैं । इससे उत्पादन का स्तर भी अच्छा हुआ है और उत्पादन सस्ता भी हो रहा है । किन्तु इसके कारण 85-90 प्रतिशत लोग उत्पादन की प्रक्रिया से बाहर हो गये हैं और इसी का नाम बेरोज़गारी है । यह समस्या इसलिए बढ़ी क्योंकि समाज ने इन लोगों को हुई इस क्षति की पूर्ति का कोई न्यायपूर्ण समाधान नहीं किया । मशीनों द्वारा किये गये सरल उत्पादन का अधिकांश लाभ जहां पहले से ही सम्पन्न लोगों को मिला जिससे वे और भी अधिक सम्पन्न हो गये और इसका दुष्प्रभाव श्रमजीवियों को भोगना पड़ा जिससे वे और भी विपन्न हो गये । अत: समाज एक ओर तो भारी आर्थिक विषमता का शिकार हुआ जिससे चंद लोग अति सम्पन्न हो गये वहीं दूसरी ओर भारी बेरोज़गारी और ग़रीबी का सामना समाज के विशाल समुदाय को

करना पड़ा । इन सभी समस्याओं का सही समाधान सबको इन बदलावों से पैदा हुए अतिरिक्त लाभ में शामिल करना है जो लाभांश देकर आसानी से किया जा सकता है । सैद्धांतिक दृष्टि से भी देश का मालिक होने के कारण उन्हें अपना लाभांश ही लेना चाहिए । रोज़गार (नौकरी) की मांग गुलाम करता है न कि मालिक ।

5. आर्थिक विषमता

आर्थिक विषमता का होना नितान्त आवश्यक है किन्तु उसे न्याय की कसौटी पर खरा होना चाहिए । वर्तमान विषमता अत्यन्त अन्यायपूर्ण ही नहीं बल्कि यह पूरी मानवता के लिए भीषण ख़तरा भी है । देश के धन का विशाल भाग केवल मुट्ठी भर लोगों के हाथों में केन्द्रित हो गया है और शेष समाज धनहीन विपन्नता की स्थिति में पहुंच गया है । यह नितान्त ज़रूरी है कि साधनों से होने वाली आय तो सबको समान रूप से मिले और परिश्रमों से होने वाली आय पर व्यक्ति का निजी हक़ हो ।

6. साधनों से मिलने वाले अतिरिक्त लाभ का आकलन

इस प्रकार अर्थव्यवस्था में हुए बहुआयामी परिवर्तन और विकास से प्राप्त हुए अतिरिक्त लाभ की गणना पश्थक से करना अत्यंत आवश्यक है ।

7. ब्याज का स्वामित्व

इस प्रकार ब्याज के रूप में किसी भी व्यक्ति को जो अतिरिक्त लाभ मिलता है उसका परिश्रम से कोई संबंध नहीं होता । अत: उसके ऊपर व्यक्ति का स्वामित्व अनुचित है । क्योंकि मूल रूप से सारी सम्पत्ति पर समाज का ही अधिकार होता है । इसलिए ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाले लाभ पर भी समाज का सामूहिक स्वामित्व होना चाहिए । एक व्यक्ति ब्याज के रूप में जो लाभ प्राप्त करता है उसका भुगतान उत्पादन और उपभोग की क्रियाओं के माध्यम से अन्य लोगों को भोगना पड़ता है । इस प्रकार ब्याज के ऊपर व्यक्ति का स्वामित्व मानने से समाज में न केवल शोषण की प्रवृत्ति को बल मिलता है बल्कि उससे समाज की एकता भी दुष्प्रभावित होती है । ब्याज का त्याग आवश्यक है, लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो पाता है, ब्याज-धन को कल्याणकारी कामों पर ख़र्च करना चाहिए ।

8. धन के दो उपयोग

धन का एक उपयोग उत्पादन के लिए होता है तो दूसरा उपयोग उपभोग के लिए । उत्पादन के लिए अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है और उपभोग के लिए कम संसाधनों की ज़रूरत होती है । उत्पादन का दायित्व योग्यतम लोगों के पास हो जिसके लिए उनके पास अधिक साधन होने आवश्यक हैं, किन्तु उपभोग के लिए आवश्यक धन सब लोगों को प्राप्त होता रहे यह भी आवश्यक है ।

9. योग्यता का परीक्षण

योग्यता के परीक्षण के लिए किसी भी प्रकार की परीक्षा या प्रशिक्षण को आधार बनाना सही व्यवस्था नहीं है बल्कि व्यक्ति की योग्यता का सही परीक्षण तो उसके कार्यक्षेत्र में उतरने पर ही होता है । समाज में ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है जिनमें अनेक बड़ी-बड़ी डिग्रियां रखने वाले लोग वास्तविक तौर पर सर्वथा मूर्ख या अयोग्य सिद्ध होते हैं और अपनी भारी-भरकम डिग्रियों के कारण अत्यन्त ऊंचे और प्रभावशाली पदों पर आसीन होकर समाज को गहरी हानि पहुंचाते हैं, जबकि बिना किसी डिग्री या प्रशिक्षण प्राप्त कई लोग अपने अनुभव और प्रकृति प्रदत्त कुशलता के कारण अपनी ज़िम्मेदारियों का निर्वाह अधिक कुशलता के साथ करते हैं । इसलिए योग्यता का परीक्षण कृत्रिम तरीक़े से करने की बजाय सहज प्राकृतिक तरीक़े से होना चाहिए ।

10. सबको समान स्वतंत्रता

देश के उत्पादक संसाधनों का अधिकतम सदुपयोग करने की क्षमता के परीक्षण हेतु सभी लोगों को कार्यक्षेत्र में उतरने की पूर्ण व समान स्वतंत्रता होनी चाहिए । प्रशिक्षण होने या न होने से न तो किसी प्रकार की छूट होनी चाहिए और न ही निषेध । बल्कि हर व्यक्ति के लिए करमुक्त साधन (सम्पत्ति) की एक समान सीमा तय कर दी जानी चाहिए और उससे अधिक सम्पत्ति या साधनों से रायल्टी, किराया, सामाजिक दायित्व कर के रूप में राशि ली जानी चाहिए । उत्पादन से किसी व्यक्ति को लाभ मिल रहा है या नहीं इससे समाज को कोई लेना-देना नहीं होना चाहिए ।

11. अनुचित प्रतिद्वंद्विता की जड़

व्यापार और उद्योग आदि में प्रतिस्पर्धा का होना समाज के हित में है, किन्तु उसमें स्वस्थता होनी चाहिए । इसमें अनुचित हथकंडों को तब स्थान मिल जाता है जब उत्पादन में लगे साधनों को पूरी तरह करमुक्त कर दिया जाता है । इसका परिणाम यह होता है कि कोई भी बड़ी इकाई अपने साधनों की ताक़त के बल पर छोटी इकाई को उस क्षेत्र से बाहर करने के लिए अनुचित हथकंडे अपनाने लगती है । वह अपने लाभ में थोड़ी-सी कमी करके माल की आपूर्ति करके छोटी इकाई के उत्पादन को बाज़ार से बाहर करने का हथकंडा अपनाती है । उन घटी क़ीमतों पर अपना माल बेच पाना छोटी इकाई के लिए संभव नहीं होता क्योंकि उसका लागत मूल्य ज़्यादा होता है ।

अत: वह हानि उठाकर अधिक समय तक अपना अस्तित्व नहीं बचा पाती । छोटी इकाई के बाज़ार से बाहर हो जाने पर बड़ी इकाई का बाज़ार पर एकाधिकार हो जाता है और वह इस स्थिति का जमकर अनुचित लाभ उठाने में सक्षम हो जाती है । वह अपने माल की क़ीमतों में मनचाही वृद्धि करके यह कार्य करती है । किन्तु यदि उत्पादन के साधनों पर रायल्टी या किराये का प्रावधान कर दिया जाए तो बड़ी इकाई को अधिक रायल्टी देनी होगी जिससे वह छोटी इकाई को दबा पाने में अक्षम हो जाएगी ।

12. समाज को भारी लाभ

उत्पादन या व्यापार आदि में लगे साधनों पर भी रायल्टी या किराये का प्रावधान करने से सबसे बड़ा लाभ तो सारे समाज को होगा । क्योंकि इससे भारी मात्रा में राजस्व शासन को मिलेगा और अनेक प्रकार के शोषणकारी कर लगाने की उसकी मजबूरी समाप्त हो जाएगी । अत: हर प्रकार की सम्पत्ति पर निम्न सूत्र के आधार पर कर लगाना चाहिए–

एक सीमा से अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से टैक्स लगाने पर वही व्यक्ति अधिक संपत्ति रख पाएगा जो उसका अधिकतम उत्पादक उपयोग करने की क्षमता रखता हो । इस प्रकार की क्षमता न रखने वाला व्यक्ति चाह कर भी अधिक मात्रा में उत्पादक साधन नहीं रख सकेगा । इससे सारे उत्पादन के साधनों का अधिकतम सदुपयोग होगा, जिससे समाज भी अधिक समृद्ध होगा ।

13. सम्पत्ति का सही मूल्यांकन

समाज में धन के न्यायपूर्ण वितरण के लिए संपत्ति का सच्चा मूल्यांकन होना बेहद आवश्यक है । आयकर विवरण-पत्र में संपत्ति के मालिकों द्वारा अपनी संपत्ति को न केवल छिपाया जाता है, बल्कि बेहद झूठा मूल्य भी दर्शाया जाता है । उनके द्वारा दर्शाये गये मूल्य और उनके वास्तविक मूल्य (बाज़ार मूल्य) में लाखों गुना अंतर भी हो सकता है । क्योंकि पिछले 50-60 वर्षों में भूमि के दामों में भारी वृद्धि हुई है । शहरों में इसके दाम कई स्थानों पर तो लाखों गुना बढ़े हैं, जबकि पिछड़े क्षेत्रों में यह वृद्धि कुछ सौ गुना तक ही सीमित है । इस स्थिति का पूरा लाभ संपन्न लोग उठा रहे हैं । महानगरों में जो अतिसम्पन्न लोग अपनी संपत्ति का मूल्य अपने इन्कम टैक्स रिटर्न में दर्शाते हैं उससे दस गुनी आय प्रतिमाह वे इन संसाधनों से कर रहे हैं ।

ये लोग यह काम संपत्ति के मूल्यांकन के ग़लत क़ानूनों और संपत्ति की गोपनीयता के ग़लत क़ानूनों के बल पर कर रहे हैं । इस प्रकार ये लोग उचित टैक्स देने से तो बच रहे हैं साथ ही बिना मेहनत किये ही इस संपत्ति से होने वाली विशाल आय के बल पर निरन्तर संपन्न हो रहे हैं । अति विलासिता का जीवन जीने के बाद भी इनका आर्थिक साम्राज्य घटने की बजाय निरन्तर बढ़ता जा रहा है । ऐसे ग़लत क़ानूनों को बदले बिना समाज में किसी अच्छी व्यवस्था का निर्माण नहीं हो सकता ।

13. संपत्ति के मूल्यांकन का वैज्ञानिक उपाय

संपत्ति के मूल्यांकन का सही उपाय यह है कि इसमें शासन का कोई भी हस्तक्षेप न हो । यह मामला पूरी तरह से व्यक्ति और समाज के बीच का है । शासन का काम तो केवल इतना ही है कि कोई भी व्यक्ति समाज को धोखा न दे पाये और उसे अपनी संपत्ति का वास्तविक मूल्य बताने के लिए विवश होना पड़े । संपत्ति के मूल्यांकन का पहला अधिकार संपत्ति के मालिक का होना चाहिए और दूसरा अधिकार समाज का ।

संपत्ति के मूल्यांकन के बारे में जिस प्रकार के पुनर्मूल्यांकन की बात ऊपर कही गयी है उसे कुछ लोग

तानाशाहीपूर्ण या अनुचित मान सकते हैं और इसे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन भी मान सकते हैं । किन्तु ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि इस संदर्भ में यह कहना उचित होगा कि आज भी आयकर विभाग चाहे तो 10 प्रतिशत अधिक मूल्य देकर किसी की भी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है ।

14. वर्तमान दोषपूर्ण व अपर्याप्त प्रावधान

वास्तविक मूल्यों से बेहद कम मूल्यों पर होने वाले सम्पत्ति के क्रय-विक्रय को रोकने के लिए सरकार ने जो नये नियम बनाए हैं वे भी दोषपूर्ण तथा अपर्याप्त हैं । सरकार ने इसके लिए सर्किल रेटों की व्यवस्था की है जो प्रत्येक क्षेत्र के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा घोषित किये जाते हैं । उन क्षेत्रों में होने वाले क्रय-विक्रय इन घोषित मूल्यों से कम पर नहीं होते । किन्तु इनमें भी भारी विसंगतियां हैं । ये सम्पत्ति के वास्तविक बाज़ार-मूल्यों से प्राय: बहुत कम ही रहते हैं और उन्हीं सम्पत्तियों पर लागू होते हैं जिनका क्रय-विक्रय होता है । शेष सम्पत्तियों पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता । ऐसा सर्किल रेटों का निर्धारण सरकार द्वारा ही किया जा सकता है और सरकार के निर्णयों को सत्ता में बैठे लोगों और उस पर दबाव बना सकने की क्षमता रखने वाली शक्तियों के अनुचित हस्तक्षेप से नहीं बचाया जा सकता । इसके कारण वे न केवल वर्षों तक टलते रहते हैं बल्कि वास्तविक बाज़ार-मूल्यों से बेहद कम तय हो पाते हैं । इसका अनुचित लाभ संबंधित क्षेत्र के लोगों को मिलता रहता है ।

सरकार द्वारा लागू किये गये सम्पत्ति के सर्किल रेट उसके वास्तविक बाज़ार की दरों से बहुत कम ही होते हैं किन्तु फिर भी यदि उसे समान रूप से सारी सम्पत्तियों पर लागू किया जाए और एक नागरिक को उचित सीमा तक सम्पत्ति रखने का मूलभूत अधिकार प्रदान कर उससे अधिक मूल्य की सम्पत्तियों पर कर या रायल्टी लगायी जाए तो भी सरकार के पास केवल सम्पत्ति कर से पचास लाख करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व आसानी से मिल सकता है ।

किन्तु वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था किसी न किसी बहाने से धनपतियों की सभी प्रकार की सम्पत्तियों को सारे टैक्सों से बचाए रखना चाहती है ताकि उनकी धन की सत्ता बरक़रार रहे और उस पर कोई आंच न आये । इसके कारण वे निरन्तर भारी-भरकम आय भी प्राप्त करते रहते हैं क्योंकि उन्हें स्थायी तौर पर मिलने वाली आय का मुख्य आधार उनकी सम्पत्ति होती है न कि उनकी बुद्धि या मेहनत । आज भी सकल और शुद्ध राष्ट्रीय आय का लगभग 80 प्रतिशत भाग सम्पत्ति के अनुपात में बंट रहा है और शेष मात्र 20 प्रतिशत भाग बुद्धि और मेहनत के आधार पर बंट पाता है । किन्तु टैक्स के मामले में उल्टा है । नितान्त ग़लत, आधारहीन, तर्कहीन तथा अन्यायपूर्ण क़ानून बना कर उन्हें सारे करभारों से सुरक्षित बना दिया गया है ।

15. न्यायपूर्ण व्यवस्था की कसौटी

व्यवस्था जो समाज के प्रत्येक आदमी को भयमुक्त, अभाव मुक्त और सम्मान के साथ जीने की गारन्टी देती हो, उसका एकमात्र आधार न्यायपूर्ण सम्पत्ति अधिकार ही हो सकता है ।

16. अस्ली विकास की कसौटी

वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जी॰डी॰पी॰) को विकास का आधार मानती है जो भ्रामक, नक़ली और ग़लत है । विकास का वास्तविक आधार लोगों के बीच विद्यमान विश्वास, सद्भाव, सहयोग, आत्मीयता, प्रेम, शान्ति और व्यवस्था के प्रति संतोष है । ये सारे लक्ष्य स्थायी तौर पर केवल न्यायपूर्ण वितरण से ही प्राप्त किये जा सकते हैं ।

पूंजीवादी विकास की ग़लत अवधारणा आज पूरी मानवता को धोखा दे रही है और इसको अविलम्ब अमान्य किया जाना चाहिए । इसने समाज में अनगिनत टकराव और षड्यंत्र पैदा कर दिये हैं कि मानवता ही नहीं बल्कि धरती के अस्तित्व को ही ख़तरा पैदा हो गया है ।

17. पूंजीवाद के शिंकजे का अंत

पूंजीवाद के शिंकजे का सही, स्थायी व न्यायपूर्ण अन्त केवल एक सीमा से अधिक सम्पत्तियों पर ब्याज की दर से कर (रायल्टी) लगाना और उसका समाज में समान वितरण करना है । इससे समाज में विद्यमान गंभीर आर्थिक व सामाजिक विषमता का अन्त होगा और इसी के साथ पूरी मानवता भी विकृतियों से छुटकारा पाकर शान्ति, सुरक्षा व सुख का अनुभव कर सकेगी ।

18. ग़लत मूल्यांकन का दुष्प्रभाव

संपत्ति के ग़लत मूल्यांकन का दुष्प्रभाव पूरी अर्थव्यवस्था पर स्पष्ट रूप से दिखायी दे रहा है । करोड़ों-अरबों रुपये की बाज़ार मूल्य की संपत्ति का दस्तावेज़ों में मूल्य कुछ हज़ार या कुछ लाख रुपये दर्शाया जा रहा है जिसके कारण संपत्ति कर से होने वाली आय भी शासन का प्राप्त नहीं हो पाती । इसका प्रत्यक्ष उदाहरण वर्ष 2011-12 में शासन को प्राप्त हुआ । हज़ार 20 करोड़ रुपया मात्र है । विचारणीय बात है कि जिस देश में कई लाख लोग अरबपति और खरबपति हों वहां संपत्ति कर से होने वाली आय कुल बजट का दस हज़ारवां हिस्सा भी नहीं है जबकि सकल राष्ट्रीय आय का बहुत विशाल भाग संपत्तिशाली लोग ही अपनी संपत्ति के बल पर प्राप्त कर रहे हैं ।

19. वर्तमान कर प्रणाली का दोष

वर्तमान कर प्रणाली समाज के लिए अभिशाप है । सैद्धांतिक, व्यावहारिक और समाज को होने वाले हानि व लाभ के आधार पर यह पूरी तरह से खोटी है । यह न्याय, नैतिकता, मानवता, सत्यता, सामाजिकता और अर्थव्यवस्था आदि के किसी भी मापदंड पर खरी नहीं उतरती । यह अत्यंत ख़र्चीली, अस्पष्ट, अन्तर्विरोधी और अपने मूल उद्देश्य अर्थात शासन को पर्याप्त राजस्व उपलब्ध कराने में भी विफल है ।

यह इतनी क्रूर भी है कि इसमें भूखे की रोटी पर, नंगे आदमी की लंगोटी पर, भिखारी के भीख के कटोरे पर और मुर्दे के कफ़न पर भी टैक्स लगा हुआ है । सैद्धान्तिक दृष्टि से इसका उद्देश्य किसी आदर्श समाज का निर्माण करना न होकर केवल शासन के लिए धन उपलब्ध कराना मात्र है ।

पूरे समाज का तो इसमें विचार ही नहीं किया गया है । इसीलिए इसके आधार पर पूरे समाज का बजट नहीं बनाया जा सकता । यह केवल सरकार का बजट भी ठीक प्रकार से बना पाने में असमर्थ है । यह झूठों और मक्कारों के लिए स्वर्ग है तो सच्चों और सरल लोगों के लिए गले की फ़ांसी है । यह सच की हत्या करती है और हर आदमी को झूठ बोलने के लिए प्रेरित और बाध्य करती है । इतना ही नहीं इसमें लगे टैक्सों (आय कर, उत्पादन कर, विक्रय कर, सेवा कर) आदि का हिसाब-किताब करने के लिए लाखों टन काग़ज़, अरबों-खरबों का धन और अरबों घंटे मानव श्रम भी नष्ट करने पड़ते हैं ।

देश के उद्यमी व व्यवसायी जितनी बुद्धि और मेहनत सरकार को अपना हिसाब-किताब देने हेतु बनाने में ख़र्च करते हैं, उसका दूसरी जगह उपयोग करके समाज को अधिक समृद्ध कर सकते हैं । फिर भी इन्हें इस प्रणाली के अंतर्विरोधी व अस्पष्ट प्रावधानों के कारण शासन और प्रशासन में बैठे लोगों की मनमानी से अपमानित और भयादोहन का शिकार होना पड़ता है । इसके कारण ये इनके नितांत ग़लत कामों पर भी अपनी ज़बान नहीं खोल पाते और सदा भयभीत बने रहते हैं । यह स्थिति बहुत ही भयानक है । विशेष बात यह भी है कि इन सब के बाद भी सरकार को नितांत झूठा हिसाब-किताब ही प्राप्त होता है क्योंकि उसकी सत्यता की सही जांच करना क़तई संभव नहीं है ।

20. लाभों की ग़लत गणना

वर्तमान कर प्रणाली में जो लाभ कर का प्रावधान है वह झूठ की प्राकाष्ठा कही जा सकती है । अपने लाभ को कम-से-कम दर्शाने के लिए सभी व्यवसायी व सेवा क्षेत्रों से जुड़े लोग अपने व्यापारिक ख़र्चों को बढ़ा-चढ़ा कर बताते हैं और इस प्रकार कम लाभ दर्शा कर टैक्स देने से बच जाते हैं । इसी प्रकार भवन और मशीनों पर किया गया मूल्य ह्रास का प्रावधान भी टैक्स चोरों के लिए वरदान सिद्ध हो रहा है ।

21. सम्पत्ति कर की विशेषता

न्याय और नैतिकता की दृष्टि से टैक्स उसी से लिया जाना चाहिए जो अपने उपभोग की सारी आवश्यकताओं को सहज रूप से पूरा करने के बाद भी धन बचा रहा हो ।

22. सम्पत्ति कर से होने वाली आय की अनुमान

इस प्रकार सारे करों को हटाकर केवल संपत्ति कर से होने वाली आय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मुट्ठी भर अति सम्पन्न लोगों से टैक्स लिए जाने के बाद भी

इससे होने वाली आय, अन्य अनेक करों से होने वाली आय से आठ-दस गुनी अधिक होगी । अत: यह 200 लाख करोड़ रुपये या इससे भी अधिक हो सकती है । इतनी भारी राशि से सरकार के बजट में वृद्धि करके विकास की गति को तेज़ किया जा सकता है और शेष बचे शुद्ध राष्ट्रीय लाभ को देश के सारे नागरिकों में बिना किसी भेदभाव के बांटकर लाभांश के रूप में हर नागरिक को दस हज़ार रुपया हर माह आसानी से दिये जा सकते हैं । किन्तु अर्थव्यवस्था में होने वाले उतार-चढ़ाव के कारण यह राशि कम या अधिक होती रह सकती है ।

आकलन

विशेषज्ञों की राय के अनुसार आज देश मैं निजी संपत्ति का कम से कम कुल बाज़ार मूल्य तीन हज़ार लाख करोड़, आबादी 125 करोड़, और ब्याज की दर 10 प्रतिशत है तथा देश में 10 प्रतिशत लोगों के पास 90 प्रतिशत संपत्ति है। किन्तु मात्र 0.1 प्रतिशत लोगों के पास ही देश की कुल निजी संपत्ति का लगभग 73 प्रतिशत भाग इकट्ठा हो गया है । अत: इस आधार पर गणना प्रस्तुत है–

मात्र 0.1 प्रतिशत (12 लाख) मुख्य अमीरों की संपत्ति का मूल्य-

$\frac{3000 \text{ लाख करोड}}{100} \times \frac{73}{} = 2190$ लाख करोड़ रुपये

संपत्ति कर की मात्रा = $2190 \times \frac{10}{100} = 219$ लाख करोड़ रुपये

सभी सरकारों का कुल वर्तमान बजट लगभग = 30 लाख करोड़

बजट को दुगना करने पर भी बची शेष रकम=160 लाख करोड़ रुपये । यह रक़म सारे ख़र्च काट कर प्राप्त होने वाला शुद्ध राष्ट्रीय लाभ है और इससे देश के हर नागरिक को 10 हज़ार रुपये प्रतिमाह लाभांश के रूप में आसानी से निरन्तर प्रदान किये जा सकते हैं । यह अनुमानित संपत्ति है जिस पर मतभेद हो सकते हैं ।

आज की वर्तमान संपूर्ण कर प्रणाली को हटाकर एक नई वैकल्पिक प्रणाली अपनाई जानी चाहिए जिसमें केवल संपत्ति कर का ही प्रावधान हो ।

वैकल्पिक कर प्रणाली का क्रियान्वयन

इसके लिए कुछ नये क़ानूनों की ज़रूरत होगी–

(1) **परिवारों का पंजीकरण :** वर्तमान व्यवस्था में परिवारों का पंजीकरण न होने के कारण परिवार का वैधानिक महत्व नहीं है, जिसके कारण व्यवस्था में भारी गड़बड़ियां हो रही हैं ।

(2) परिवार का मुखिया ही वैधानिक दृष्टि से अपने परिवार के लिए समाज और सरकार के प्रति उत्तरदायी होगा । परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा किये जाने वाले अपराध का आर्थिक दंड परिवार से वसूला जाएगा किन्तु जेल की सजा अपराधी सदस्य को ही भोगनी होगी ।

(3) परिवार का मुखिया निर्धारित नियमों के अनुसार अपने परिवार की संपूर्ण संपत्ति (चल, अचल व नक़द) और सदस्यों का सही विवरण एक निर्धारित विवरण-पत्र के माध्यम से शासन को देगा जिसके झूठे, भ्रामक या अधूरे होने पर उसे दंडित होना पड़ेगा । उसके परिवार के सारे सदस्यों के किसी भी व्यवहार के लिए वह सामाजिक या क़ानूनी रूप से जबाबदेह होगा ।

(4) परिवार का मुखिया अपनी सारी संपत्तियों का अलग-अलग विवरण अपने विवरण-पत्र में देगा । वह उसमें संपत्तियों का वर्तमान बाज़ार मूल्य स्वयं ही निर्धारित कर अंकित करेगा । संपत्तियों के मूल्य निर्धारण में सरकार या समाज का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा । इसी प्रकार परिवार के सदस्यों का भी नाम और उम्र सहित सच्चा विवरण देना परिवार के मुखिया की ज़िम्मेदारी होगी ।

(5) यह विवरण-पत्र सार्वजनिक अभिलेख होगा और इसमें कोई गोपनीयता नहीं होगी । देश का कोई भी अन्य नागरिक इसके बारे में जानने या निर्धारित प्रक्रिया द्वारा इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि ले सकेगा ।

(6) एक नागरिक के लिए कर-मुक्त संपत्ति की अधिकतम सीमा का निर्धारण विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर सरकार द्वारा किया जाएगा जिसे अमीरी रेखा कहा जाएगा व टैक्स की दर भी विशेषज्ञों के द्वारा दी गयी जानकारियों के आधार पर सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित की जाएगी ।

(7) परिवार का मुखिया इसके आधार पर अपनी कुल-संपत्ति के मूल्य में से अपने परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर कर-मुक्त संपत्ति को घटाकर शेष बची अधिक मूल्य की संपत्ति पर स्वयं ही कर का आंकलन कर निर्धारित नियमों के अनुसार शासन के पास जमा करेगा । अमीरी रेखा से कम संपत्ति रहने पर उसे कोई कर नहीं देना होगा ।

(8) विवरण-पत्र में दर्शायी गयी संपत्तियों के निर्धारित मूल्य से कम-से-कम 20 प्रतिशत अधिक मूल्य किसी अन्य नागरिक द्वारा लगाए जाने पर उसकी अनिवार्य बिक्री का प्रावधान होगा । लगाया गया मूल्य संपत्ति के पुराने स्वामी को दे दिया जाएगा और संपत्ति का स्वामित्व नये व्यक्ति को सौंप दिया जाएगा । यह प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा में अवश्य पूरी करवाना शासन का दायित्व होगा ।

(9) परिवार की संपत्ति कर-मुक्त सीमा से कम रहने पर अनिवार्य विक्रय का प्रावधान लागू नहीं होगा ।

(10) किसी भी परिवार के विवरण-पत्र की सत्यता की जांच का विशेषाधिकार शासन के पास होगा । किन्तु इसका प्रयोग वह किसी शिकायतकर्ता की लिखित सूचना के आधार पर ही कर सकेगी । शिकायत सच पाये जाने पर छिपाई गयी संपत्ति का 40 प्रतिशत शिकायतकर्ता को देकर शेष 60 प्रतिशत राजकोष में जमा कर लिया जाएगा । छिपाई गयी संपत्ति का मूल्य एक निर्धारित सीमा से अधिक होने पर जेल की सज़ा का भी प्रावधान होगा ।

(11) इस प्रकार संपत्ति कर से प्राप्त कुल राशि में से सरकार के बजट का ख़र्च काट कर शेष राशि देश के सारे नागरिकों में लाभांश के रूप में समान रूप से वितरित कर दी जाएगी ।

अन्य सुधार

राजनीति संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का अत्यंत महत्त्वपूर्ण हिस्सा है । राजनीति समाज की आकांक्षाओं की पूर्ति का साधन होती है । अत: राजनीति जितनी दोषमुक्त होगी उतनी ही अपने लक्ष्य को पूरा कर सकेगी । हमारी राजनैतिक व्यवस्था के दोषपूर्ण होने के कारण ही आज अच्छे लोग राजनीति में नहीं टिक पाते और बुरे लोग सत्ता पर हावी होकर समाज का शोषण करते हैं । वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार करते समय उनका उल्लेख करना भी उचित होगा ।

(1) मतदान को प्रोत्साहन

लोकतांत्रिक व्यवस्था में देश की सारी राजनैतिक व्यवस्था की आधारशिला देश के वयस्क नागरिकों को प्राप्त मतदान का अधिकार होता है । आज भी देश में औसत 60-70 प्रतिशत के बीच ही मतदान हो रहा है । इसमें भी बहुत बड़ी संख्या लोभ-लालच, दबाव, भय और बोगस मतदान के कारण होने वाले मतदान की है। एक स्वस्थ व समृद्ध लोकतंत्र के लिए अधिकतम लोगों द्वारा विचारपूर्वक मतदान किया जाना बेहद ज़रूरी होता है । जिसकी भारी कमी हमारे देश में मौजूद है । मतदान के प्रति घटते उत्साह की समस्या को हल करने के लिए अनिवार्य मतदान की बातें ख़ूब हो रही हैं । यहां तक कि मतदान न करने पर दंडात्मक क़ानून बनाने की बात भी की जा रही हैं, किन्तु समस्या के समाधान का यह सही मार्ग नहीं है ।

(2) समस्या का कारण

किसी भी समस्या का सही समाधान उसके मूल कारणों को समझकर किया जाना चाहिए । वर्तमान समस्या

इस्लामी पुस्तकें

कुरआन, बाइबल और आधुनिक विज्ञान	(डॉ॰ ज़ाकिर नाइक)	₹50
इस्लाम और हिन्दू धर्म में समानताएँ	(डॉ॰ ज़ाकिर नाइक)	₹25
दुनिया के बड़े धर्मों में ईश्वर की कल्पना	(डॉ॰ ज़ाकिर नाइक)	₹25
पवित्र क़ुरआन और आधुनिक विज्ञान	(डॉ॰ ज़ाकिर नाइक)	₹35

पुस्तक विक्रेता और दावती काम करनेवालों के लिए विशेष छूट

KHALID BOOK DEPOT

Head Office: Chander Ghata, Maqbara, Kota - 6 (Raj.)
Ph.: 0744-2381650, 08233318955 E-mail: mkkhan123456@gmail.com

Branch Office: JAMAL BOOK DEPOT
25/B-1 (Basement) Rehman Complex, Batla House Chowk,
Jamia Nagar, N.Delhi-25 | Ph.: 9990507638

का कारण मतदान के ग़लत नियम हैं । इनसे मतदाताओं को प्रोत्साहन मिलने की बजाय भारी कष्ट व क्षति उठानी पड़ती है । मतदाता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह दूरदराज़ के मतदान केन्द्रों तक अपना स्वयं का ख़र्च करके मतदान करे, उस दिन की अपनी रोज़ी-रोटी का त्याग करे, किसी के लोभ-लालच में न आये, धूप, वर्षा पानी व अन्य बाधाओं का स्वयं ही सामना करे, मतदान के लिए लम्बी-लम्बी लाईनों में घंटों खड़ा रहे, पुलिस का दुर्व्यवहार सहे और प्रतिद्वन्दी प्रत्याशियों में से किसी एक का कोपभाजन भी बने । इसके बाद भी उसके पास इस बात का उत्तर नहीं होता कि वह किसे और क्यों मतदान करे। ये स्थितियां मतदाता को निरुत्साहित करने के लिए काफ़ी हैं । इसलिए मतदान कम होने का सही कारण इस प्रकार से होने वाला मतदाता का शोषण है तो दूसरी ओर मतदाता के साथ किया जाने वाला भारी पक्षपात भी है । उसकी मतदान के प्रति निराशा का दूसरा कारण अनजान व अयोग्य प्रत्याशी ही नहीं भारी मात्रा में शातिर अपराधियों व षड्यंत्रकारियों को प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव में अपना प्रत्याशी बनाया जाना भी होता है । यह मतदाताओं का खुला शोषण है जो उन्हें मतदान के प्रति निराश करता है ।

(3) कम मतदान होने का दूसरा प्रमुख कारण मतदाताओं के साथ होने वाला पक्षपात है । मतदाता ही अपना मत देकर सांसदों और विधायकों का निर्माण करते हैं और फिर यही लोग वर्तमान पूरे शासकीय व प्रशासनिक ढांचे का निर्माण करते हैं । इस संपूर्ण ढांचे में काम करने वाले सभी लोग भारी-भरकम वेतन, भत्ते, पेंशन व अनेक सुविधाएं तो पाते ही है साथ ही हर काम में होने वाला सारा व्यय भी उन्हें सरकारी ख़ज़ाने से मिलता है । केवल बेचारा मतदाता ही हैं जो भारी क्षति और कष्ट सहता है । उसके साथ यह अन्याय क्यों ?

अत: समस्या का सही समाधान मतदान करने वाले सभी मतदाताओं को मतदान के अपने संवैधानिक दायित्व का पालन करने के लिए एक प्रोत्साहन राशि या मानदेय दिया जाना चाहिए । यह राशि जनप्रतिनिधियों पर होने वाले ख़र्च को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जानी चाहिए । आज यह राशि कम से कम पांच हज़ार रुपये प्रति मतदाता



होनी चाहिए । मतदान के महत्व को देखते हुए इसे केवल पारिश्रमिक कहना उचित नहीं होगा । क्योंकि मतदाता ही देश की सारी व्यवस्थाओं का निर्माता है और देश का वयस्क मालिक भी है ।

सकारात्मक प्रभाव

इस प्रकार के प्रावधान के गहरे प्रभाव देश की संपूर्ण राजनीति पर तत्काल दिखलायी पड़ेंगे जो निम्नानुसार होंगे–

(1) मतदान के प्रतिशत में भारी वृद्धि होगी । पूरा 100 प्रतिशत मतदान तक संभव हो सकता है, इससे लोकतंत्र मज़बूत होगा । हर नागरिक मतदान के लिए अपनी जेब से धन ख़र्च करके भी मतदान करेगा । बीमार, अक्षम, विकलांग और अतिवृद्ध लोगों को भी उनके परिवार के लोग मतदान कराने के लिए ख़ुद ही लेकर जाएंगे । बहुत दूर गये हुए लोग भी मतदान के दिन अपने घर पहुंच कर मतदान करने की कोशिश करेंगे।

(2) इस प्रावधान से अनेक गलत हथकंडे व लोभ लालच, दबाव या भय के बल पर वोट लेने वालों के लिए

भारी परेशानी खड़ी हो जाएगी । चुनावों में काले धन का प्रयोग हतोत्साहित होगा, क्योंकि ऐसा करके भी वे बहुत कम वोट ही पा सकेंगे ।

(3) मतदान करने से पहले लोग अधिक ज़िम्मेदारी दिखाएंगे । वे आपस में विचार-विमर्श करेंगे, प्रत्याशियों के गुण-अवगुण की समीक्षा करेंगे, इससे अयोग्य और अपराध ी प्रत्याशियों का संसद या विधानसभाओं में जा पाना बेहद कठिन होगा । इससे इन संस्थाओं की भूमिका भी अधिक सार्थक हो सकेगी । इससे राजनेताओं को भी गंभीर, जबावदेह, ईमानदार और योग्य बनना होगा । मतदान में अनुचित साधनों का दुरुपयोग आज हमारी बहुत बड़ी समस्या है जो अपराधी, बेईमान, षड्यंत्रकारी, दुष्चरित्र, मूर्ख और अयोग्य सबको संसद और विधानसभाओं में पहुंचा देती है । ऐसे लोग वहां जाकर इन पवित्र संस्थाओं की पवित्रता और गरिमा को नष्ट करते हैं और लोकतंत्र को कलंकित, बदनाम व असफल कर देते हैं । किन्तु इस प्रावधान से विधायिका में योग्य लोगों का जा पाना अपेक्षाकृत सरल हो सकेगा, इससे इन पवित्र संस्थाओं की पवित्रता व विश्वास में वृद्धि होगी ।

(4) इस प्रावधान से मतदाता सूचियों में होने वाली लापरवाही, अधूरापन व हेराफ़ेरी आदि में भी भारी कमी आएगी । हर मतदाता चुनाव से पहले अपना नाम मतदाता सूची में होने या न होने की स्वयं जांच करेगा ।

(5) इस प्रावधान से समाज का समझदार व नैतिकता में विश्वास करने वाला वर्ग भी मतदान के लिए प्रोत्साहित होगा ।

(6) इस प्रावधान से समाज के कमज़ोर और अभावग्रस्त वर्ग को विशेष राहत मिलेगी । यह वर्ग अपनी ख़राब आर्थिक स्थिति के कारण मतदान के लिए अपनी एक दिन की मज़दूरी का त्याग करने में भी भारी कठिनाई का सामना करता है । अत: वह चाह कर भी मतदान नहीं कर पाता । उनमें हर्ष की भारी लहर भी पैदा कर देगा । उनके लिए यह प्रोत्साहन राशि पाना किसी सपने से कम नहीं होगा ।

वर्तमान में ख़ासकर दो प्रकार के सुधार होने चाहिएं–

(I) राजनैतिक सुधार

गोपनीयता की समाप्ति

(1.1) शासन, प्रशासन व अर्थव्यवस्था में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए ।

(1.2) गोपनीयता का प्रावधान न केवल देश के नागरिक के मालिक होने के अधिकार के प्रतिकूल है बल्कि झूठ, अविश्वास और षड्यंत्रों को भी जन्म देता है । यह नागरिकों का अपमान भी है ।

(1.3) गोपनीयता का प्रावधान सत्ता में बैठे लोगों को पूरी तरह निरंकुश बना देता है । वे इसकी आड़ में समाज के साथ बड़े से बड़ा धोखा करने से भी नहीं चूकते । वे अपने पद का खुला दुरुपयोग कर अपराधियों को खुला संरक्षण प्रदान करते हैं । सार्वजनिक धन को लूट कर अपना घर भी भरते है ।

(1.4) चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों और दलों के लिए मतदाताओं से अनुबंध करने का स्पष्ट प्रावधान अनिवार्य किया जाना चाहिए जो उन्हें इनके बल पर प्राप्त सत्ता के पदों से हटा सके और जेल तक की सज़ा भी करा सके ।

(II) आर्थिक सुधार

(2.1) एक नागरिक की मूलभूत संपत्ति अधिकार की अधिकतम सीमा (अमीरी रेखा) तय की जानी चाहिए । यह औसत सीमा तक होनी चाहिए।

(2.2) आर्थिक गोपनीयता को समाप्त कर दिया जाना चाहिए । इसमें निजी संपत्ति की गोपनीयता को समाप्त करना सबसे अधिक जरूरी हैं। इसके लिए किसी भी नागरिक के आय और संपत्ति संबंधी सरकार को दिये जाने वाले विवरण-पत्र को सार्वजानिक अभिलेख घोषित कर दिया जाना चाहिए तथा देश के हर नागरिक को इसकी प्रतिलीपि लेने या इसके अवलोकन का पूरा अधिकार दिया जाना चाहिए ।

(2.3) संपति के मूल्यांकन की वर्तमान झूठी प्रणाली को ख़त्म कर उसके प्रतिवर्ष नव-मूल्यांकन का प्रावधान किया जाना चाहिए । यह मूल्यांकन उस संपत्ति का वास्तविक वर्तमान मूल्य होना चाहिए ।

(2.4) अपनी संपत्ति के मूल्यांकन करने का पहला अधिकार संपत्ति के स्वामी का होना चाहिए तथा दूसरा समाज का, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए । इसके लिए संपत्ति का स्वामी अपनी संपत्ति का स्वयं ही मूल्य लगाने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए । किन्तु देश का कोई भी अन्य नागरिक इससे अधिक मूल्य लगाने के लिए भी स्वतंत्र हो । यदि वह संपत्ति का कम से कम 20 प्रतिशत अधिक मूल्य लगाता है तो उसकी अनिवार्य विक्रय का प्रावधान होना चाहिए ।

(2.5) विवरण-पत्र के असत्य, भ्रामक या अपूर्ण होने पर उचित दंड का प्रावधान भी होना चाहिए ।

(2.6) अधिकतम संपत्ति अधिकार के आधार पर एक अमीरी-रेखा बनायी जानी चाहिए और उस अमीरी रेखा से अधिक संपत्ति पर ही ब्याज की दर से टैक्स लगाया जाना चाहिए । बाक़ी सभी प्रकार के कर समाप्त कर दिये जाने चाहिएं ।

(2.7) संपत्ति कर से होने वाली आय में से सरकार के बजट का ख़र्च काटकर शेष राशि लाभांश के रूप में देश के सारे नागरिकों में समान रूप से बांट दी जानी चाहिए । यहां पर देश के सारे नागरिकों में जिस लाभांश को समान रूप से बांटने की बात कही गयी है, वह देश के मूलधन का बंटवारा नहीं बल्कि केवल लाभ का बंटवारा है । ठीक उसी तर्ज पर देश के लाभ का बंटवारा होना चाहिए । मान लीजिए कि सारा देश एक कंपनी है और देश का हर नागरिक इसका सदस्य है । इस कंपनी में सारे नागरिकों की अंश पूंजी (शेयर) समान है । इसलिए प्रतिवर्ष देश के शुद्ध लाभ-हानि की गणना करके सभी को उनका लाभांश दिया जाना चाहिए ।

चुनाव में उठाये जाने वाले अन्य मुद्दों को उठाते समय यह ध्यान ज़रूर रखा जाना चाहिए कि वे मुद्दे देश के सारे नागरिकों को समान रूप से लाभ देने वाले हों । अलग-अलग वर्गों, जातियों, व्यवसायों, समुदायों, क्षेत्रों, भाषाओं, लिंग व आयु के आधार पर उठाये जाने वाले मुद्दों से पूरी तरह परहेज़ किया जाना चाहिए । क्योंकि इस प्रकार के मुद्दे समाज में विघटन पैदा करते हैं और समाज की एकता को भंग कर उसे कमज़ोर बना देते हैं । जबकि सबको समान लाभ देने वाले मुद्दे समाज में एकता और संगठन पैदा करते हैं ।

आज जो लोग किसानों, मज़दूरों, ग़रीबों, हिन्दुओं, मुसलमानों, दलितों, ईसाइयों व अन्य पंथों, जाति, रोज़गार, लिंग-भेद अथवा अन्य किसी भी भेदभावपूर्ण आधार पर विशेष लाभ देने की बात को चुनाव में अपना मुद्दा बनाते हैं, वे जाने-अनजाने में समाज को तोड़ते हैं और उसे कमज़ोर बनाते हैं । इस प्रकार के प्रचार से केवल अन्याय, अत्याचार करने वालों तथा अपराधियों को बल मिलता है । व्यापक न्यायपूर्ण सामूहिक हित के मुद्दों के उठने पर देश का आम नागरिक जागरूक होगा और अपने न्यायोचित अधिकारों के लिए स्वयं उठकर खड़ा हो जाएगा । फिर उसकी संगठित ताक़त के आगे किसी भी षड्यंत्रकारी की कुछ भी नहीं चल पाएगी और व्यवस्था में उचित बदलाव आसानी से किया जा सकेगा । इस प्रकार हमारी व्यवस्था परिवर्तन की सारी आकांक्षाओं और आशाओं का केन्द्र पूरी तौर पर इस देश का मतदाता ही है । हमें उसे पूरी शक्ति लगाकर ज्ञानवान बनाना होगा और उसे देश के वास्तविक मालिक होने का विश्वास भी दिलाना होगा ।

इस परिवर्तन की अपेक्षा सत्ता और संपत्ति के बल पर संसद और विधानसभाओं में गये हुए लोगों से नहीं करना चाहिए । किंतु अपवाद स्वरूप इनमें से कुछ लोग निश्चय ही इस परिवर्तन में हमारे प्रबल सहायक भी हो सकते हैं जिनकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए । इसके साथ-साथ अति सम्पन्न लोगों में अपवाद स्वरूप इस परिवर्तन के पक्षधर अवश्य ही होंगे और उनको भी तलाशने व उनका हर संभव सहयोग लेने की कोशिश रहनी चाहिए ।

For Information On
City Shops, Roads, Restaurants, Magazine, Schools and much more.
Syed Shahbaz Alam Barvi
Business Development Director (09049185093)
Visit us:
www.shoppinglanes.com

Md. Rashid
9835125717

N. S. ENCLAVE

Masud Ahmad
9431107797

आप मकान,
दुकान, कोठी,
रिहाइशी मकान एवं
सस्ते और सुन्दर
प्लाट एवं फ्लैट
के लिए
संपर्क करें।



साथ में
बी॰ एड॰ कॉलेज
एवं
इंजीनियरिंग कॉलेज
की भी सुविधा
उपलब्ध है।

साथ में मस्जिद एवं क़ब्रिस्तान भी है।

नग़मा ड्रेसेज

हमारे यहां फैंसी साड़ियां, रेडिमेड ड्रेस, टी शर्ट,
बाबा सूट, फ्रॉक, मिडी, नाइटी, स्कूल ड्रेस,
जींस पैंट एवं फैंसी रेडिमेड होजरी वस्त्रों के लिए पधारें।

OFFICE CONTACT : NAGMA DRESSES
Booti Chowk, Dubey Market, Ranchi (Jharkhand)

CONTACT No. 2 Masud Ahmad, Hamid Book Depot,
Opp. Urdu Library,
Main Road, Ranchi-834001 (Jharkhand)

Mobile : 09431107797

''पहली दूब''–यथार्थपूर्ण जीवन-स्पंदन

पुस्तक का नाम : **पहली दूब** (काव्य संग्रह)
कवयित्री : रचना त्यागी
प्रकाशक : गगन बुक्स, नयी दिल्ली
समीक्षा : **डॉ॰ मुहम्मद अहमद**



कविता जीवन का स्पंदन है । इसकी ठीक-ठीक अनुभूति-अभिव्यक्ति कविता को जीवंत बनाती है, जो कवि ऐसा नहीं कर पाते, वे कविता की सार्थकता को नहीं सिद्ध कर सकते । यह भी एक बात है कि जो लोग काव्य को जीवन से बाक़ायदा नहीं जोड़ पाते, वे आज की हिन्दी कविता पर यह आरोप लगाकर अपनी इतिकर्तव्यता समझ लेते हैं कि उसमें काव्यानुभूति की प्रमाणिकता के अभाव के साथ ही अवास्तविकता का एक संसार बसा हुआ है ।

रचना त्यागी 'आभा' का रचना-संसार जीवंत कविता का संसार है, जहां सर्वत्र यथार्थबोध है । रचना जी के पहले काव्य-संग्रह 'पहली दूब' में संग्रहीत सभी छत्तीसों कविताएं हमारे अन्तस् को जगाती एवं जीवन की वास्तविकताओं से साक्षात्कार कराती हैं । साथ ही इन्सान के चेहरे पर चढ़ी हुई नक़ाब को धीरे-धीरे किन्तु साहस के साथ उघाड़ने का दावा भी करती हैं । आस्वादन कीजिए 'क़लम' शीर्षक एक ऐसी ही कविता की कुछ पंक्तियों का–

ईमान की स्याही सूख गयी
खुद्दारी की निब टूट गयी
इसकी बोली अब लगती है
जैसे सत्ता व्यापारों में । (पृष्ठ-31)

यह एक प्राय: सर्वमान्य हक़ीक़त है कि आज भी हिन्दी कविता के सिरमौर पहले के सम्मान्य कवि गण ही हैं । आज भी प्रतिनिधि कवि सूरदास, तुलसीदास, कबीर, मीरा, रसखान, रहीम, निराला, बच्चन, प्रसाद, महादेवी, दिनकर, जय शंकर प्रसाद और मैथिलीशरण ही हैं ।

नयी कविता अपनी पहचान इसलिए नहीं बना पायी, क्योंकि वह ज़मीन से नहीं जुड़ सकी । रचना 'आभा' जी की प्रत्येक कविता मानव-जीवन बहुत गहरे जुड़ती है । द्रष्टव्य हैं 'पड़ोसी' शीर्षक रचना की ये पंक्तियां–

''न उलझ हमसे पड़ोसी
तू भी अपना हिस्सा है ।
नक़्शे जुदा कैसे हुए
अब ये पुराना क़िस्सा है ।'' (पृष्ठ-25)

अब तक आधुनिक हिन्दी कविता अपने दुराग्रहों के कारण पाठकों से किसी भी प्रकार का संबंध बनाने में असफल रही है । दूसरे शब्दों में इसमें कवियों की भी असफलता निहित है । इस विषम स्थिति को तोड़ने का सफल प्रयास किया है रचना जी ने ''पहली दूब'' के माध्यम से । इसमें जीवन के विविध रंग दिखायी पड़ते हैं । नारी-व्यथा पर कवयित्री का यह कथन बहुत सार्थक है कि इस आधी आबादी के लिए अभी आज़ादी का दिन नहीं आया । उस पर जुल्म के पहाड़ अनवरत तोड़े जा रहे हैं ।

(शेष पृष्ठ 45 पर)

दस हाइकू

(1) घर में घर,
आदमी में आदमी,
फिर भी डर ।

(2) जीवन-भर
जोड़े ईंट-पत्थर,
बना न घर ।

(3) क़िस्त चुकाते
चुक गया ज़ीवन,
चुके न खाते ।

(4) दुख-ही-दुख
मिलते हैं जग में,
कांटे पग में ।

(5) हालात ऐसे,
'सत्यमेव जयते'
कहें तो कैसे !

(6) सब व्यापारी,
कोई थोक-विक्रेता,
कोई पंसारी ।

(7) पाट वक़्त का
पीसे जौ-गेहूं-मक्की,
जीवन चक्की ।

(8) सुख-ऐषणा
भटकाती मन को,
है मृगतृष्णा ।

(9) थी हरी-भरी
यौवन की फ़सल,
उम्र ने चरी ।

(10) घटा-जोड़ में,
बीत गया जीवन
भाग-दौड़ में ।

डॉ॰ रामनिवास 'मानव'
706, सेक्टर-13, हिसार-125005 (हरियाणा)

कविता

चुनौतियों का पहाड़

साम्राज्यवादी सांस्कृतिक हमला
हो रहा है
और इस हमले से
कौन टकराएगा ?

रचनाकारों के लिए भी
यह एक चुनौती है–
इस चुनौती से
जो बचेगा,
वह कैसे रचेगा !

ध्यान देने वाली बात यह है कि
हम रचनाकारों को
इन चुनौतियों से
बचना नहीं है
बल्कि टकराना है ।
मैं मानता हूं
चुनौतियों का पहाड़
बहुत ही बड़ा है
और हमारे पांव
बहुत ही छोटे हैं ।

चुनौतियों के पहाड़ के मुक़ाबले
पांव चाहे छोटे ही सही,
लेकिन दो मज़बूत हाथ तो हैं
और क़लम की शक्ति भी तो है
और इसके साथ ही
एक चुस्त-दुरुस्त दिमाग़ भी तो है ।
इन सब के सहारे 'लाडी'
चुनौतियों के उस बड़े पहाड़ को
लांघना असंभव नहीं ।

अमित कुमार लाडी
मुख्य संपादक 'आलराउंड' (मासिक)
आलराउंड अकादमी, डोडां स्ट्रीट,
फ़रीदकोट-151203 (पंजाब)
मो॰ : 09815775626

मात्र योग्यता नहीं, सफलता के लिए अनिवार्य है सकारात्मक दृष्टिकोण

■ सीताराम गुप्ता

क्या मात्र टैलेंट यानी प्रतिभा अथवा योग्यता के बल पर पूर्ण सफलता संभव है ? एक उदाहरण देखिये–एक बार जूते बनाने वाली एक कंपनी ने अपने एक विक्रय प्रतिनिधि को एक अत्यंत पिछड़े इलाक़े में अपना कारोबार शुरू करने के लिए भेजा । जब वह प्रतिनिधि उस इलाक़े में पहुंचा तो देखा कि वहां किसी के भी पैरों में जूते नहीं हैं और न ही पूरे इलाक़े में कोई जूतों की दुकान ही है । इलाक़ा बहुत पिछड़ा हुआ है । वह मायूस हो गया और उसने अपनी कंपनी से कहा कि यहां जूते बिकने की कोई संभावना नहीं है ।

कंपनी ने उस विक्रय प्रतिनिधि को वापस बुला लिया और एक-दूसरे प्रतिनिधि को वहां भेज दिया । दूसरे प्रतिनिधि ने भी वहां पहुंचते ही देखा कि किसी के भी पैरों में जूते नहीं हैं । उसने फ़ौरन कंपनी से संपर्क किया और कहा कि यहां किसी के भी पैरों में जूते नहीं हैं अत: जूते बिकने की असीम संभावनाएं हैं । कृपया जितना भी स्टॉक है फ़ौरन भेज दो । जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के लिए एक विशेष प्रकार का दृष्टिकोण अनिवार्य है ।

ह्यूमन रिसोर्सेज़ ट्रेनर राजेश अग्रवाल कहते हैं–''सक्सेस डिपेंड्स मोर ऑन एटीट्यूड रादर दैन टैलेंट'' अर्थात सफलता हमारे टैलेंट यानी प्रतिभा अथवा योग्यता नहीं अपितु हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करती है । आपका दृष्टिकोण आपकी सफलता का मानक है । जैसा आपका दृष्टिकोण होगा जीवन में वैसी ही सफलता आपको प्राप्त होगी । जिस क्षेत्र में आपका दृष्टिकोण सकारात्मक होगा उसी क्षेत्र में आप बाज़ी मार ले जाएंगे ।

प्रश्न उठता है कि दृष्टिकोण से क्या तात्पर्य है ? दृष्टिकोण अर्थात देखने का ढंग । हम घटनाओं, स्थितियों और व्यक्तियों को जिस दृष्टि से देखते हैं वही हमारा दृष्टिकोण होता है, लेकिन इसके लिए यथार्थ आधारों का होना आवश्यक है ।

हम घटनाओं, स्थितियों और व्यक्तियों को किस दृष्टि से देखते हैं यह हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है न कि वे क्या हैं ? कोई घटना कैसी है, इसका कोई मापदंड नहीं होता । हर व्यक्ति उसे अलग ढंग से लेता है और जो जिस

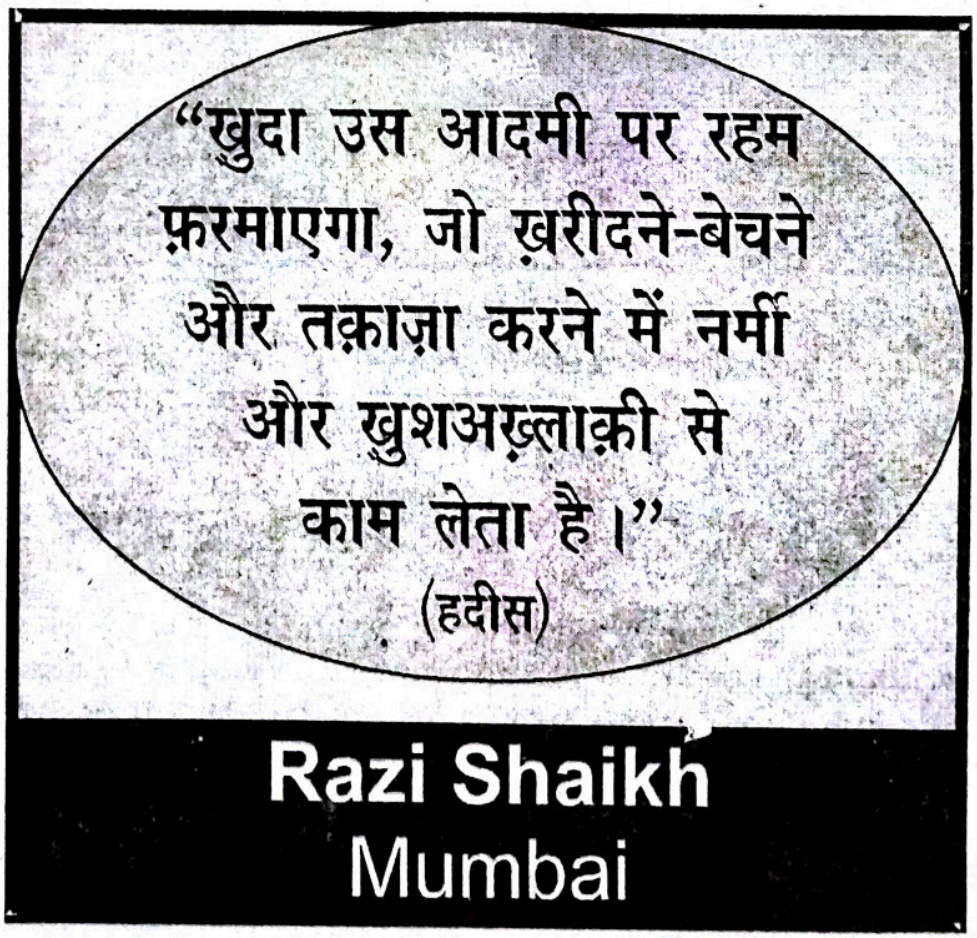

ढंग से लेता है उसका वैसा ही अच्छा या बुरा प्रभाव उस पर पड़ता है । किसी भी घटना, स्थिति या व्यक्ति के प्रति हमारा दृष्टिकोण या तो सकारात्मक हो सकता है या नकारात्मक । यदि हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक है तभी हम पूर्णत: लाभान्वित हो सकते हैं अन्यथा नहीं ।

जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण होना अनिवार्य है, लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास कैसे हो ये भी कम महत्वपूर्ण नहीं । वास्तव में हमारा दृष्टिकोण हमारे विचारों द्वारा संचालित होता है । जैसे विचार वैसा दृष्टिकोण और जैसा दृष्टिकोण वैसी उपलब्धि । विचार ही हमारे जीवन को वास्तविकता प्रदान करते हैं ।

यदि हमारा ध्यान अभावों पर केन्द्रित रहता है तो हम सदैव अभावग्रस्त बने रहते हैं और यदि समृद्धि पर तो समृद्ध होते देर नहीं लगती । एक सफल व्यक्ति वही होता है जो सफलता के विषय में ही सोचता है और सदैव असफलता के विषय में सोच-सोचकर परेशान रहने वाला व्यक्ति जीवन में शायद ही सफलता का मुंह देखता हो ।

यदि कमज़ोर बच्चे के बारे में एक ट्यूटर ये कहे कि ये बच्चा तो बहुत कमज़ोर है अत: मैं इसे नहीं पढ़ा सकता तो उस ट्यूटर के दृष्टिकोण के बारे में आप क्या कहेंगे ? उसे न सिर्फ़ एक कमज़ोर बच्चा पढ़ाने के लिए मिल रहा है अपितु उसे स्वयं को प्रूफ़ करने का मौक़ा भी मिल रहा है जो उसके पेशे के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है । यदि आप उस बच्चे को पढ़ा पाते हैं तो ये आपके लिए एक विशेष उपलब्धि ही होगी । यह आपकी कुशलता में वृद्धि करके आपको व्यावसायिक सफलता दिलवाने में सहायक होगा, इसमें संदेह नहीं ।

कई व्यक्ति किसी भी काम को करने से पहले एक बार उसे करने से मना अवश्य करते हैं चाहे वह कितना ही आसान क्यों न हो जबकि कुछ व्यक्ति कभी किसी काम को मना ही नहीं करेंगे । कुछ लोग किसी विषय में कोई निर्णय ही नहीं ले पाते जबकि कुछ लोग सही समय पर सही निर्णय लेने में देर नहीं लगाते ।

यह दृष्टिकोण का ही अंतर है । इच्छा-अनिच्छा अथवा निर्णय-अनिर्णय भी एक प्रकार का निर्णय ही है जो हमारे दृष्टिकोण पर ही निर्भर करता है । उपरोक्त विभिन्न परिस्थितियों में जीवन में वास्तविक सफलता कौन और कब प्राप्त कर सकता है इसका अनुमान लगाना कठिन नहीं ।

"हज़रत इब्न उमर (रज़ि॰) से रिवायत है कि नबी (सल्ल॰) ने कहा : सबसे बड़ी नेकी यह है कि आदमी अपने बाप के दोस्तों के साथ अच्छा सलूक करे ।" **(मुस्लिम)**

मुहम्मद हुसैन

मुंबई

एक बार एक उद्योगपति एक विमान से यात्रा कर रहा था। विमान से उतरने के फ़ौरन बाद उसे एक ज़रूरी मीटिंग में जाना था। उड़ान के दौरान जब एक विमान परिचारिका उसे भोजन सर्व कर रही थी तो न जाने कैसे उसके क़मीज़ पर कुछ भोजन गिर गया और उसका क़मीज़ गंदा हो गया। विमान के कर्मचारियों ने उससे क्षमा याचना की लेकिन उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि विमान से उतरने के फ़ौरन बाद उसे एक ज़रूरी मीटिंग में जाना था और उसके पास दूसरे कपड़ों की व्यवस्था करने का समय नहीं था। गुस्से में उसने फ़ैसला किया कि भविष्य में कभी भी इस एयरलाइन से यात्रा नहीं करूंगा।

अपने गंतव्य पर पहुंचने के बाद जैसे ही वह एयरपोर्ट की इमारत में दाख़िल हुआ उस एयरलाइन का एक सीनियर मैनेजर उसका इन्तिज़ार करता मिला। वह उन्हें अपने कक्ष में ले गया। वहां पर ठीक उसी के साइज़ की बेहतरीन क़िस्म की तीन कमीज़ें रखी हुई थीं। मैनेजर ने उद्योगपति से यात्रा के दौरान हुई घटना के लिए पुनः क्षमायाचना की और नई कमीज़ बदलने का आग्रह किया। वापसी में न केवल उनकी अपनी कमीज़ साफ़ करवाकर लौटा दी गयी अपितु शेष दो कमीज़ें भी उन्हें उपहार के रूप में दे दीं।

एयरलाइन के कर्मचारियों के इस व्यवहार ने उसे अपना उपरोक्त फ़ैसला बदलने के लिए मजबूर कर दिया। उसने एक और फ़ैसला किया और वो ये कि भविष्य में जब भी यात्रा करूंगा केवल इसी एयरलाइन से यात्रा करूंगा। संबंध चाहे व्यक्तिगत हों अथवा व्यावसायिक उनको बनाने में हमारा दृष्टिकोण बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अच्छे व्यक्तिगत संबंध और व्यावसायिक सफलता दोनों के लिए ही हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक होना अपेक्षित है।

यूं चाहते हैं हम

किसने कह दिया यूं चाहते हैं हम
कब दर्द सिमट गया, यूं चाहते हैं हम

कल तलक शिकायतें रहीं हम से
औरों की नज़र, यूं चाहते हैं हम

शब ने दिखायीं अजब शोख़ अदाएं
तारों से कहा हंस कर यूं चाहते हैं हम

इक नज़र का फ़ासला पाया हर-सू
कारवां में चलते हुए, यूं चाहते हैं हम

काश ! वक़्त बताता मंज़िलों का पता
बेरुख़ी में जिए, यूं चाहते हैं हम

क्यूं कर कहे 'प्रीता' दास्ता-ने-इश्क़
दिल का सफ़र है ये, यूं चाहते हैं हम।

डॉ॰ अपर्णा चतुर्वेदी 'प्रीता'
सिद्धार्थ नगर, जयपुर (राज॰)

पहली दूब

(पृष्ठ 41 का शेष)

प्रस्तुत हैं चंद पंक्तियां–

"क्या अब भी ये कहते हो
आज़ादी का दिन आया ?
नहीं, तब तलक नहीं
जब तलक है उस पर काला साया।" (पृष्ठ-40)

निश्चय ही "पहली दूब" जीवन का स्पंदन है। इसे मैं पहला स्पंदन कह सकता हूं, क्योंकि इसकी कई अनुभूतियां और संवेदनाएं प्रवाह एवं आघात से उत्पन्न नवीन मनःस्थितियों का परत-दर-परत अंकन करने में सक्षम हैं। देखिये कुछ और पंक्तियां–

"रोज़गार दुश्वार हुआ अब
धरी रह गयी शिक्षा
या अपना व्यापार जमाओ
या फिर मांगो भिक्षा।" (पृष्ठ-28)

"घर में हैं पैबंद लगे
बाहर करता दान।
ऐसी भी क्या तृष्णा है
जो दर झूठा सम्मान।" (पृष्ठ-48)

गगन स्वर बुक्स द्वारा प्रकाशित "पहली दूब" का आवरण बहुत सुन्दर है। छपाई दोषमुक्त है, पर कहीं-कहीं प्रूफ़ की त्रुटियां खटकती हैं।

समीक्षा : **डॉ॰ मुहम्मद अहमद**

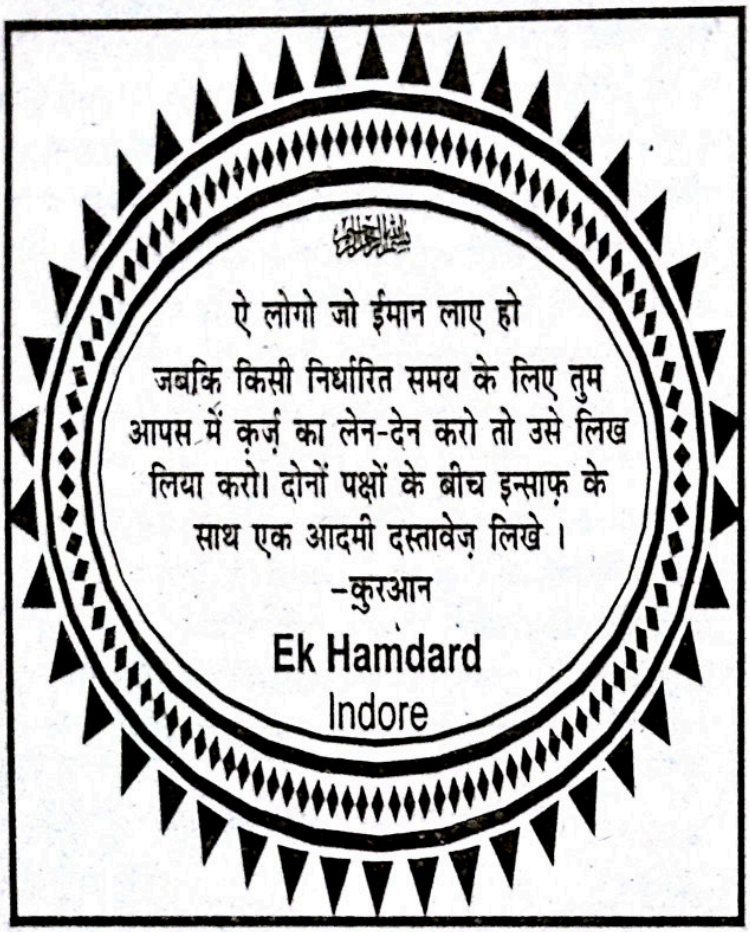

"खुदा उस आदमी पर रहम फ़रमाएगा, जो ख़रीदने-बेचने और तक़ाज़ा करने में नर्मी और खुशअख़्लाक़ी से काम लेता है।"

(हदीस)

Exacta Enter Prises

PUNE

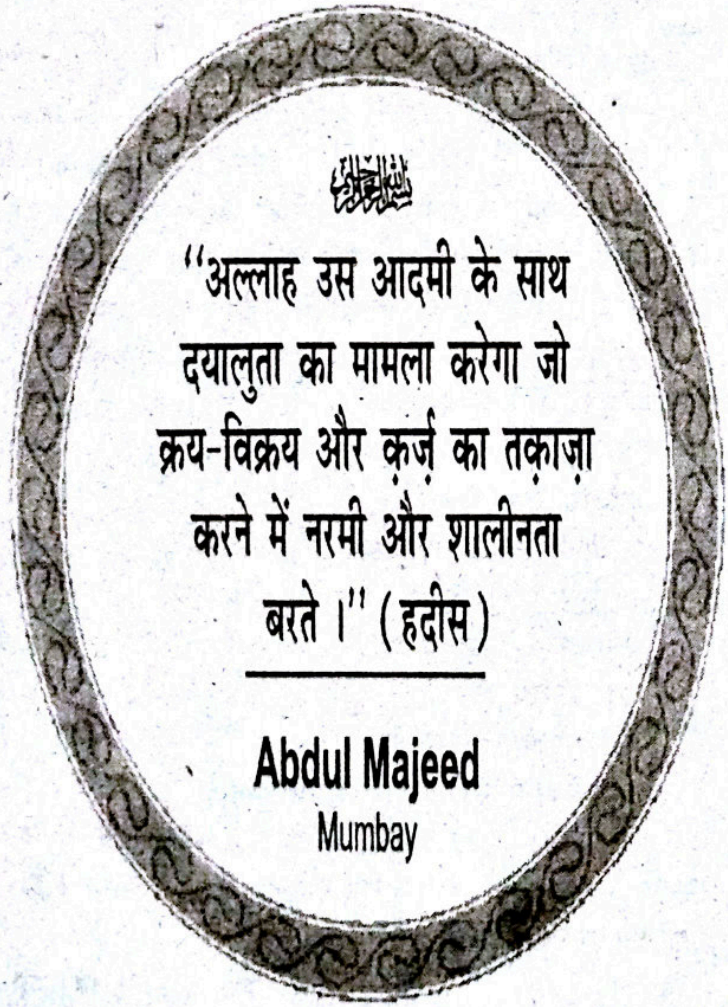

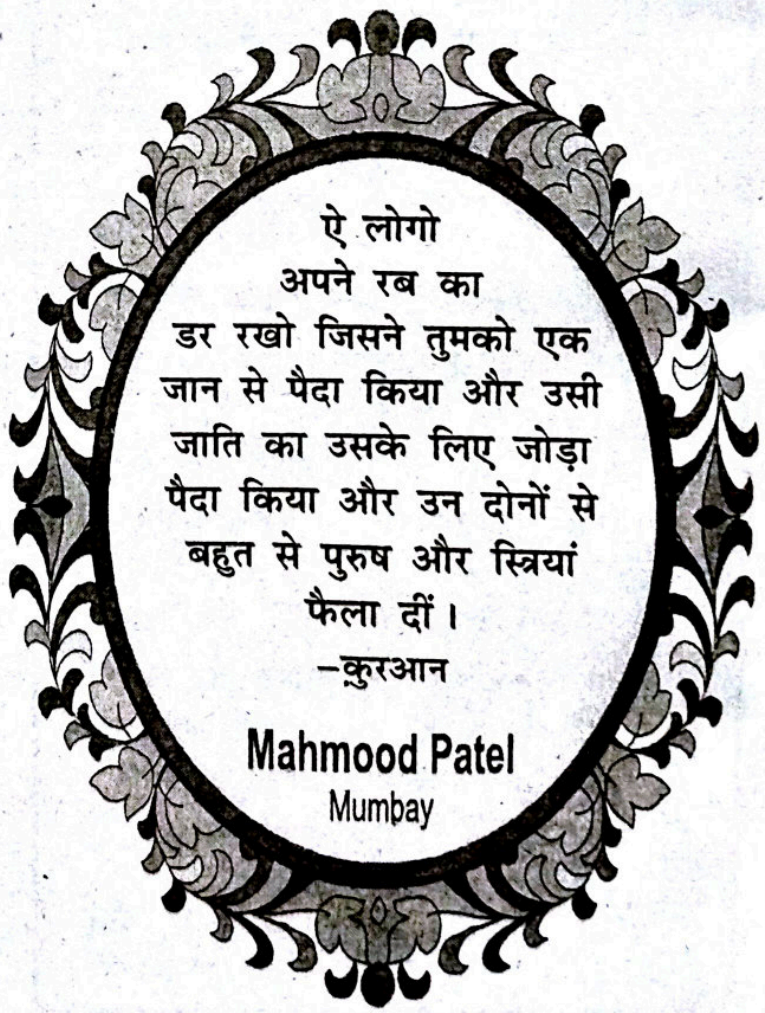

स्वयं को प्रेरित करना सीखें

■ भाषणा बांसल

अक्सर कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति की सफलता के पीछे किसी अन्य व्यक्ति की प्रेरणा का काफ़ी बड़ा हाथ होता है । वैसे भी हर व्यक्ति को किसी न किसी की प्रेरणा की आवश्यकता अवश्य महसूस होती है परन्तु कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं, जो स्वयं को ही प्रेरित करते हैं यानी उन्हें किसी अन्य व्यक्ति की प्रेरणा की आवश्यकता ही नहीं होती । स्वयं प्रेरित व्यक्ति कठोर परिश्रमी व ऊंची उपलब्धि प्राप्त करने वाले होते हैं और वे स्वयं ही अपना लक्ष्य निर्धारित कर उसे पाने के लिए अपनी ही प्रेरणा का सहारा लेते हैं तथा तेज़ी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाते हैं लेकिन इसके लिए कुछ ख़ास गुणों का होना अत्यावश्यक होता है । आइये डालें इन गुणों पर एक नज़र ।

स्वयं प्रेरित व्यक्ति अपनी ज़िम्मेदारियों को भली-भांति पहचानते हैं । किसी भी काम को हाथ में लेने के पश्चात वे उसे पूरा करने में जी-जान से जुट जाते हैं और उसे पूरा करके ही दम लेते हैं । इसलिए अगर आप भी स्वयं प्रेरित व्यक्तियों की श्रेणी में आना चाहते हैं तो अपने दायित्व को समझकर उसे निभाने की पूरी कोशिश करें । अपनी ग़लतियों के लिए कभी भी दूसरों को ज़िम्मेदार न ठहराएं और सच्चाई को नज़रअंदाज़ करने का प्रयास न करें ।

किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए सतर्क रहना आवश्यक है । कोई भी मुसीबत आने पर ख़ामोश होकर न बैठें बल्कि चौकन्ने होकर उस मुसीबत से उबरने के लिए उसका हल खोजें । वर्तमान में जीना ठीक है परंतु अतीत व भविष्य को बिल्कुल नज़रअंदाज़ करना सही नहीं है । अतीत में जो ग़लतियां आपने की हैं, उनके प्रति सतर्क रहें ताकि आपसे वे ग़लतियां वर्तमान में अथवा भविष्य में पुनः न होने पाएं ।

किसी भी कार्य की सफलता के लिए विपरीत परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ता है । यह आवश्यक तो नहीं कि बिना किसी कठिनाई के आपको सफलता प्राप्त हो सके, इसलिए यदि आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो जोख़िम उठाने में ज़रा भी संकोच न करें ।

इतना आसान कार्य हाथ में न लें जिसे बिना किसी कठिनाई के बड़ी आसानी से चुटकी बजाते किया जा सके, क्योंकि अगर आपके मार्ग में कठिनाइयां अथवा बाधाएं ही नहीं आएंगी तो आप उनका सामना करने के लिए स्वयं को मज़बूत नहीं बना पाएंगे ।

हमारा कहने का तात्पर्य यह हरगिज़ नहीं है कि आप ऐसे आसान कार्यों को करें ही नहीं लेकिन सदैव आसान कार्य करना विषम परिस्थितियों से दूर भागना ही है । इसलिए कभी-भी कठिनाइयों से मुंह न मोड़ें बल्कि उन्हें चुनौती समझकर स्वीकार करें । यह भी ध्यान रखें कि कार्य सदैव अपनी क्षमता के अनुसार ही करें । इतना कठिन कार्य भी हाथ में न लें, जिसे करते वक़्त आपको पछताना पड़े ।

किसी भी कार्य की सफलता या असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसलिए किसी कार्य में असफल हो जाने पर घबराएं नहीं और निराश न हों । यह सदैव याद रखें कि असफलता आपको और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है । कई लोगों को काम करते वक़्त असफलता का ही भय सताता रहता है और इसी भय की वजह से वे काम में कुछ ऐसी ग़लतियां कर बैठते हैं, जिनकी वजह से ही उन्हें असफलता हाथ लगती है ।

आज आप कोई कार्य करते हैं तो जल्द ही उससे संतुष्ट न हों । वैसे यह बात आपको अटपटी ज़रूर लग रही होगी परन्तु यदि इस बात की तह तक जाएं तो आप जान जाएंगे कि असंतुष्ट होने पर आपको क्या लाभ होता है । यदि आप जल्द ही अपनी उपलब्धि से या कार्य से संतुष्ट हो जाएंगे तो आप न तो स्वयं को अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित कर पाएंगे और न ही स्वयं में सुधार लाने का प्रयत्न करेंगे ।

अपने लक्ष्य को पूरा करने हेतु नयी युक्तियों की खोज में लगे रहें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केन्द्रित करें ।

خطباتِ پاکستان

مولانا سید جلال الدین عمری

یہ کتاب اصلاً مولانا سید جلال الدین عمری امیر جماعت اسلامی ہند کے ان خطبات پر مشتمل ہے جو انھوں نے جون ۲۰۱۲ء میں اپنے سفر پاکستان کے دوران مختلف دینی، تحریکی اور علمی مجلسوں میں دیے تھے۔ ان خطبات کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ ان میں اقامتِ دین کے علمی تقاضے، احیائے اسلام کی تدابیر، غلبۂ دین کی مختلف جہتیں، ذاتی اصلاح و تربیت، ہندوستانی مسلمانوں کے حالات و مسائل اور جماعت اسلامی ہند کی خدمات جیسے اہم موضوعات زیر بحث آئے ہیں۔

ان خطبات کے ساتھ وہ روداد، جو مولانا کے رفیق سفر ڈاکٹر محمد رضی الاسلام ندوی نے قلم بند کی تھی اور ۲۰۰۵ء میں مولانا عمری کے سفر پاکستان کی وہ روداد، جو خود انھوں نے تحریر کی تھی، دونوں شامل کر دی گئی ہیں۔ یہ دونوں رودادیں عام طرح کی رودادیں نہیں ہیں، بلکہ ان میں پاکستان کے حالات، وہاں کی بعض اہم شخصیات کا تعارف، دینی و تحریکی حلقوں کی سرگرمیاں اور بعض علمی مسائل پر اسلامی نقطۂ نظر کی وضاحت آ گئی ہے، اس لیے ان کی حیثیت ایک علمی دستاویز کی ہو گئی ہے۔

● سائز : $\frac{۲۳ \times ۳۶}{۱۶}$ ● صفحات : ۱۹۲ ● قیمت: 100.00

مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز، نئی دہلی ۲۵

D-307, Dawat Nagar, Abul Fazl Enclave, Jamia Nagar, New Delhi-110025
Phone: 26971652, 26954341, 26946447(D) Fax: 26947858
E-mail: mmipublishers@gmail.com • Website: www.mmipublishers.net

जीवन को उजियारा लिख

जीवन को उजियारा लिख,
हारेगा अंधियारा लिख ।
सच्चाई मीठी लगती,
झूठ, कपट को खारा लिख ।
अन्दर यदि है मेल भरा,
नहीं बनोगे प्यारा लिख ।
ईमां को अपनाये जो,
क्यों पाता वो कारा लिख ।
वो जो गुरबत में रहता,
होता बिना सहारा लिख ।
अन्न, धान क्या छोड़ेंगे,
जो खा जाते चारा लिख ।
क़ानून पकड़ता छोटे को,
ऊंचे पर ना धारा लिख ।
मुंहदेखी तुम मत करना,
सच्चा और करारा लिख ।
साहस, दमखम है जिसमें,
'शरद' कभी ना हारा लिख ।

प्रो॰ (डॉ॰) शरद नारायण खरे
विभागाध्यक्ष इतिहास
शासकीय महिला महाविद्यालय,
मंडला (म॰प्र॰) 481661

फ़ार्म–4
नियम–8

प्रकाशन	:	'कान्ति', D-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली–25
प्रकाशनअवधि	:	मासिक
प्रकाशक,मुद्रक	:	**ख़लील अहमद**
राष्ट्रीयता	:	भारतीय
पता	:	D-105, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025
सम्पादक	:	**डॉ॰ मुहम्मद अहमद**
राष्ट्रीयता	:	भारतीय
पता	:	एफ 101, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव-II, शाहीन बाग़, जामिया नगर, नयी दिल्ली-110025
स्वामित्व	:	**दावत ट्रस्ट (रजि॰)** D-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली–25

बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज

चेयरमैन	:	**मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी** दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025
सेक्रेट्री	:	**जनाब मुहम्मद अहमद** दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

सदस्य : 1. **जनाब टी॰के॰ अब्दुल्लाह मौलवी,** इलाथन कण्डी हाउस, पोस्ट-पालीरी, वाया-कुटियाड़ी, ज़िला कालीकट, केरल, 2. **जनाब मुहम्मद जाफ़र,** दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली–25, 3. **प्रो॰ के॰ ए॰ सिद्दीक़ हसन,** दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025, 4. **जनाब नुसरत अली,** दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025, 5. **जनाब एजाज़ अहमद असलम,** दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025, 6. **जनाब मुज्तबा फ़ारूक़,** दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली-110025, 7. **जनाब रफ़ीक़ अहमद,** दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025, 8. **डॉ॰ वक़ार अनवर,** दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025, 9. **जनाब परवाज़ रहमानी,** 1353, बाज़ार चितली क़ब्र, दिल्ली-110006, 10. **डॉ॰ सैयद क़ासिम रसूल इलयास,** 632/9, ज़ाकिर नगर, नयी दिल्ली-110025

मैं ख़लील अहमद, एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिये गये विवरण सत्य हैं ।

हस्ताक्षर

ख़लील अहमद
1 मार्च 2013

क्या होती है विश्व धरोहर ?

■ विद्या प्रकाश

विश्व धरोहर किसी देश की संस्कृति तथा इतिहास से जुड़े स्थल होते हैं । इनमें वन क्षेत्र, पर्वत, झील, मरुस्थल, स्मारक तथा भवन सम्मिलित होते हैं । विश्व विरासत स्थल समिति द्वारा इस स्थलों का चयन किया जाता है । यह समिति यूनेस्को के तत्वावधान में हमारी प्राचीन विरासतों और ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण करती है । वर्तमान काल में 936 विश्व विरासत हैं जिनमें 725 सांस्कृतिक, 183 प्राकृतिक तथा 28 अन्य हैं । भारत में कुल 28 विश्व धरोहर हैं जिनमें 23 सांस्कृतिक तथा पांच प्राकृतिक हैं ।

किसी स्थल को विश्व धरोहर के रूप में चयनित करने के लिए निश्चित चयन प्रक्रिया से गुज़रना पड़ता है । किसी देश को सर्वप्रथम सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक हिसाब से उन स्थलों की सूची बनानी होती है जिनका नाम वह विश्व विरासत में दर्ज कराना चाहता है । इसे परीक्षण सूची कहा जाता है । तत्पश्चात इस सूची का मूल्यांकन अन्तर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल परिषद तथा विश्व संरक्षण द्वारा किया जाता है । दोनों संस्थाएं विश्व विरासत समिति को अपनी सिफ़ारिश प्रेषित करती है । इस समिति की साल भर में एक बार बैठक होती है जिसमें निर्धारित मापदंडों के अनुसार विश्व धरोहर के रूप में किसी स्थान या स्मारक का चयन किया जाता है ।

समिति का किसी स्थान या स्मारक को विश्व धरोहर के रूप में चुनने के लिए अपना मापदंड होता है । रचना ऐसी हो जो मानव निर्मित हो तथा उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन करे । रचना मानवीय मूल्यों को दरशाने वाली हो । ऐसी कृति को जो मानव की किसी ऐसी संस्कृति तथा सभ्यता की परिचायिका हो जो वर्तमान में नहीं है । कोई ऐतिहासिक इमारत हो जो वास्तुशास्त्र तथा तकनीक की मिसाल हो । ऐसा कोई बेहतरीन नमूना हो जिसका मानव की ऐतिहासिक परंपरा के साथ पर्यावरण से संबंध हो तथा जो कला और साहित्य का परिद्योतक हो ।

किसी देश की विरासत उसकी पहचान होती है । दिल्ली के जंतर-मंतर के आसपास ऊंची इमारतों के कारण इसके सूर्य घड़ी यंत्रों को सूर्य का प्रकाश मिलना बन्द हो गया । लिहाज़ा वे बेकार हो गये । हाल ही में दिल्ली सरकार तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का इसे यूनेस्को की साझा विश्व विरासत में शामिल करने का दावा इसी आधार पर ख़ारिज कर दिया गया ।

ज्ञातव्य है कि ग्रहों की चाल तथा उनके संबंध में तथ्यपूर्ण ज्ञान के उद्देश्य से महाराजा जयसिंह द्वितीय ने सन 1723 से सन 1727 के मध्य दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन तथा वाराणसी में जंतर-मंतर का निर्माण कराया था जिनमें ग्रहों की चाल का निर्धारण करने हेतु अनेक यंत्र लगाये गये । इन 13 खगोलीय यंत्रों में सम्राट यंत्र, जय प्रकाश यंत्र तथा मिस्र यंत्र प्रमुख हैं । जंतर का अर्थ होता है यंत्र तथा मंतर का अर्थ होता है गणना करना । इस कारण इनका नामकरण जंतर-मंतर किया गया ।

इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज (इनटेक) भारतीय धरोहरों को सुरक्षित रखने वाली गैर-सरकारी संस्था है । सन 1984 में स्थापित इस संस्था का कार्यालय दिल्ली में है । इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन धरोहर के प्रति लोगों में जागरूकता लाना तथा उनका संरक्षण करना है । यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल आर्गनाइज़ेशन (यूनेस्को) की स्थापना सन 1945 में हुई थी जिसका मुख्य कार्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है । इसका मुख्य उद्देश्य मानवाधिकारों तथा संस्कृति की रक्षा करना है ।

मुद्रक एवं प्रकाशक ख़लील अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि०), D-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं भारत ऑफ़सेट, गली क़ासिम जान, बल्लीमारान, दिल्ली-6 से मुद्रित ।
फोन: 09818799223, 011-26949430
संपादक : डॉ० मुहम्मद अहमद

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित है ।

ambar

Lifestyle Products



Shower partitions



RN-816 Shower Partition
Standard Height : 1950 mm
Size width in **mm** :
1200, 1350, 1500 mm
1650, 1800, 1950 mm
& 2100×2100 (W×H)

A 14 Shower Partition
Standard Height : 1880 mm
Size width in **mm** :
1500, 1650 & 1800 mm

AMAN TRADING COMPANY

Showroom 1 : #29, Bowring Hospital Road,
Malik's Complex, Next to DHL, Bangalore-560001
Tel. : 91 80 2286 8229, Fax : 91 80 22868230
Mob. : 98450 48673, arshadmerchant1@hotmail.com
Showroom 2 : #21, St. Johns Church Road,
Near Bharathinagar Police Station, Frazer Town, Bangalore-5
Tel. : 91 80 4203 2906/07, Mob. : 98451 46199
info@amantrading.net/aman.showroom@hotmail.com
www.ambarlifestyle.com

Posted on 20-21 March 2013
April 2013
E-mail: kantimonthly@hotmail.com
Publishing Date: 18.3.2013

हिन्दी साहित्यों की मासिक पत्रिका
कान्ति

RNI 53372/91
DL(S)-01/3147/2012-2014
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U (SE)-73/2012-14

इस्लामिया अरबिक कॉलेज

ISLAMIA ARABIC COLLEGE

(Residential School, रेजिडेंशियल स्कूल)

मंसूर एजूकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के अन्तर्गत



दीनी और आधुनिक शिक्षा का सुन्दर संगम

इस्लामिया अरबिक कॉलेज, दक्षिण भारत का अनोखा रेजिडेंशियल स्कूल है, जहां देश के विभिन्न राज्यों के छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। आधुनिक शिक्षा (पांचवीं से दसवीं कक्षा तक) के साथ-साथ दीनी शिक्षा में सानविया (मौलवी) तक की शिक्षा दी जाती है।

शिक्षा का उद्देश्य

- छात्रों को किताब व सुन्नत की तालीम देना।
- आधुनिक शिक्षा देना • मोमिनाना बसीरत पैदा करना।
- इक़ामते दीन के फ़रीज़े के लिए तैयार करना।
- अल्लाह का मुख़लिस बन्दा और देश का एक अच्छा नागरिक बनाना।



उपलब्ध सुविधाएं

विस्तृत कैम्पस, सुखद और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्रशिक्षण, हॉस्टल, मस्जिद, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, कराटे की शिक्षा, खेल-कूद के लिए बड़ा मैदान, दावती काम के लिए लिखत व मौखिक अभ्यास, सभी विभागों के लिए योग्य, अनुभवी और मेहनती शिक्षक।

दाख़िले की शर्तें

- छात्र की उम्र 11 वर्ष से अधिक न हो।
- पांचवीं कक्षा पास हो।
- नाज़रा क़ुरआन मजीद पढ़ सकता हो।
- हमारी प्रवेश परीक्षा में सफल हो।

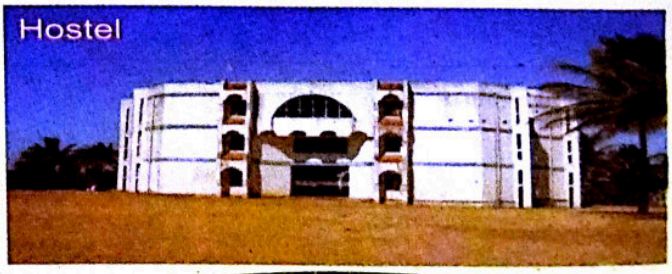

एक जून से शिक्षा वर्ष का आरंभ होता है
प्रवेश परीक्षाएं मई के महीने में होती है।

रजिस्ट्रेशन और अन्य जानकारियों के लिए संपर्क करें :

ताहिर हुसैन (सेक्रेट्री)
09445475006

मनव्वर पाशा
09986846146

एडमीशन टेस्ट इन स्थानों पर होगा–
•सिंधनूर 7 मई 2011 •गुलबर्गा 8 मई 2011 •मंसूरा 15 मई 2011

Islamia Arabic College,Mansoora, Post ALUR.573213,Dist:Hassan,Karnataka
Ph:08170-218320,9341995959,E.mail:secmansoora@rediffmail.com
Website:www.iacmansoora.com